



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 14, 1986/ज्येष्ठ 24, 1908

No. 24]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 14, 1986/JYAISTHA 24, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)

PART II—Section 3—Sub-section (1)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 29 मई, 1986

सं.का.नि 429.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (प्रशिक्षण स्थापना पद) भर्ती नियमावली 1961 जहां तक वे विधि प्रोफेसर के पद से संबंधित है उन बातों के सिवाय जिन्हें इस अधिसूचना से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है एतद्वारा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में विधि प्रोफेसर पद की भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का नाम लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी विधि के प्रोफेसर भर्ती नियमावली, 1986 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान : उक्त पद की संख्या, इस वर्गीकरण तथा इसका वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 तक में निविष्ट किए अनुसार होगा।
- भर्ती की प्रणाली, आयु सीमा तथा अन्य अर्हताएं : भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा उक्त पद से संबंधित अन्य बातें उक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 तक में निविष्ट किए अनुसार होंगी।
- परस्पर बरिष्ठता : इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को विधि के प्रोफेसर के पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की परस्पर बरिष्ठता संबंधित पदों पर उनकी नियमित नियुक्ति होने की तारीख के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी।

(1239)

5. निरसृताएः वह व्यक्ति :

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होने हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है उस सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनजन्म है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. नियम पितृत्व करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि एका करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों से किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा पितृत्व कर सकेगी ।

व्याप्ति : इन नियमों में किया गया कोई भी प्रावधान ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगा जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है ।

### अनुसूची

| पद का नाम   | पदों की संख्या  | वर्गीकरण  | वेतनमान   | क्या अयन पद है<br>अथवा<br>गैर अयन पद |
|---|---|---|---|--------------------------------------|
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5                                    |
| विधि के प्रोफेसर  | 3 *(1986)<br>*कार्यभार को ध्यान में रखते हुए परिवर्तनीय ।   | सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रेड "क" राजपक्षित  | र. 1500-60-1800-100-2000-125/2-2500   | लागू नहीं होता ।                     |
| सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा  | क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा में जोड़े गए वर्षों का लाभ अनुज्ञेय है | सीधी भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित तथा अन्य अपेक्षित अर्हताएं ।   | क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा प्रौक्तिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के संबंध में भी लागू होंगी | परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो ।       |
| अधिमालतः 50 वर्ष से अधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक छूट) ।<br>टिप्पणी :—आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख (अंशमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के उम्मीदवारों को छोड़कर) भारत में उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तारीख होगी । | हां   | अनिवार्य :—<br>(क) (1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से विधि में (एल.एल.एम.) स्नातकोत्तर डिग्री अथवा इसके समकक्ष ;<br>(2) अध्यापन कार्य और अथवा अनुसंधान में 10 वर्ष का अनुभव ।<br>अथवा<br>मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री अथवा इसके समकक्ष ।<br>(2) राज्य स्थायिक सेवा में 12 वर्ष का अनुभव, जिसमें से अंतर जिला जज के रूप में 5 साल का अनुभव होना चाहिए ।<br>अथवा<br>अकालत का 12 साल का व्यावहारिक अनुभव जिसमें से 5 वर्ष तक अंतर जिला जज के रूप में कार्य किया हो । | लागू नहीं होता  | सीधी भर्ती वालों के लिए एक वर्ष ।    |

टिप्पणी 1:—अन्यथा सुयोध्य ग्रहता प्राप्त उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर ग्रह-ताओं में छूट दी जा सकती है।

टिप्पणी 2:—यदि चयन के किसी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का यह मत हो कि अनु. जा./अनु. ज. जातियों के लिए आरक्षित पदों पर भर्ती के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो इन समुदायों के उम्मीदवारों के मामलों में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर ग्रहता (ओं), अनुभव में छूट दी जा सकती है।

भर्ती की पद्धति—क्या सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती के मामले में वह प्रेक्ष जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है

यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो इसका गठन

बहु परिस्थितियों जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।

11

12

13

14

66-2/3% प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसमें अल्पकालिक अनुबंध शामिल हैं) जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा। 33-1/3% सीधी भर्ती द्वारा।  
टिप्पणी:—गैरे अधिकारी जिन्हें इन नियमों के अधिसूचित करने से पहले रु. 1500-2000 (जिसे बाद में संशोधित करके 1500-2500 कर दिया गया) के पूर्व संशोधित वेतनमान वाले पद में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है, उन्हें संशोधित वेतनमान वाले पद में नियुक्त किया गया समझा जाएगा।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण :  
(क) (जिसमें अल्पकालिक अनुबंध शामिल हैं) कानूनी/व्यापिक कार्य करने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारी जो :—  
(1) समकक्ष पदों पर कार्य कर रहे हों।

अथवा

(2) जिनकी रु. 1100-1800 अथवा इसके समकक्ष वेतनमान वाले पदों में 7 वर्ष की सेवा हो।

अथवा

(ख) (1) राज्य भ्यापिक सेवाओं के 12 वर्ष की स्थायी सेवा वाले अधिकारी जिनमें से उन्होंने 5 वर्ष की अवधि तक अपर जिला जज के पद पर कार्य किया हो।

ऐसा न होने पर :

(2) राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार/विश्वविद्यालयों के अधिकारी जो विधि में डिग्री रखते हों तथा जिन्होंने सम-तुल्य पदों पर कार्य किया हो अथवा रु. 1200-1900 अथवा समकक्ष वेतनमान वाले पदों में उन्हें 5 वर्ष का अध्यापन/अनुसंधान का अनुभव हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें अन्य संवर्गों का पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है।

उसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पहले धारित पद का कार्य-काल 3 वर्ष से अधिक नहीं होगा)।

ग्रेड "क" विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए)

1. निदेशक, ला. ब. शा. रा. प्र. अकादमी  
—अध्यक्ष  
अकादमी  
—सदस्य

टिप्पणी:—स्थायीकरण से संबंधित विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाहियों को अनु-मोदन के लिए आयोजन में भेजा जाएगा, यदि इन्हें आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है तो विभागीय पदोन्नति समिति की एक नई बैठक बुलाई जाएगी जिसकी अध्यक्षता संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य करेंगे।

कालम 11ख के अधीन सीधी भर्ती और चयन आयोग के परामर्श से किया जाएगा।

**MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES  
AND PENSIONS**

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 29th May, 1986

G.S.R. 429.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (Training Establishment Posts) Recruitment Rules, 1961 in so far as they relate to the post of Professor of Law, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Professor of Law in the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, namely :—

1. (1) Short title and commencement.—These rules may be called the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Professor of Law Recruitment Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their Publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule Annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Inter-se-seniority.—The inter-se-seniority of persons holding the posts of Professor of Law on the date of notification of these rules, shall be determined with reference to the date of regular appointment to the respective posts.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the post :

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| Name of Post  | No. of Posts  | Classification           | Scale of pay                          | Whether selection post or non-selection post  | Age limit for direct recruits   | Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972  |
|---|---|--------------------------|---------------------------------------|---|---|---|
| 1   | 2   | 3                        | 4                                     | 5   | 6   | 7   |
| Professor of Law  | 3*<br>(1986)<br>*Subject to variation dependent on workload | C.C.S. Gr. 'A' Gazetted. | Rs. 1500-60-1800-100-2000-125/2-2500. | N.A.  | Preferably below 50 years. (Relaxable for Govt. servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)  | Yes   |
|   |   |                          |                                       |   | Note :—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep). |   |
| Educational and other qualifications required for direct recruits                               |   |                          |                                       | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any   | Method of recruitment—whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods |
|   |   |                          |                                       | 8   | 9   | 10  |
| Essential :<br>A. (i) Master's Degree in Law (L.L.M.) of a recognised University or equivalent; |   |                          |                                       | N.A.  | 1 year for direct recruitment.  | 66.2/3% by transfer on deputation (including short-term contract) failing which by direct   |

| 8   | 11   |   |
|---|--|---|
| <p>(ii) 10 years' experience in teaching and/or research.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>(i) Degree in Law of a recognised University or equivalent.</p> <p>(ii) 12 years' experience in a State Judicial Service, out of which 5 years' should be at the level of Additional District Judge.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>12 years' practical experience of the Bar of which 5 years' should be in a High Court.</p> <p><b>Note 1:</b>—Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2:</b>—The qualification(s) experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from those communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p> | <p>recruitment. 33.1/3% by direct recruitment.</p> <p><b>Note:</b> The Officers who have been appointed on a regular basis to the post in the pre-revised scale of Rs. 1500-2000 (revised to Rs. 1500-2200) prior to the notification of these rules, shall be deemed to have been so appointed to the post in the revised pay scale.</p>  |   |
| <p>In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made</p>   | <p>If a DPC exists what is its composition</p> <p>Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.</p>  |   |
| 12  | 13   | 14  |
| <p>Transfer or deputation (including short term contract):</p> <p><b>A.</b> Officers from the Central Government dealing with legal/judicial work—</p> <p>(i) holding analogous posts; or</p> <p>(ii) with 7 years' service in posts in the scale of Rs. 1100-1600 or equivalent.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p><b>B.</b> (i) Officers of the State Judicial Services with 12 years standing in that Service out of which 5 years should be at the level of Additional District Judge.</p> <p>Failing which:—</p> <p>(ii) Officers of State Governments/Central Government/Universities possessing Degree in Law and holding analogous Posts; or with 5 years teaching/research experience in posts in the scale of Rs. 1200-1900 or equivalent. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/department shall ordinarily not exceed 5 years).</p>                                     | <p>Gr. 'A' DPC (for considering confirmation):</p> <p>1. Director, LBSNAA—Chairman.</p> <p>2. Jt. Director, LBSNAA—Member.</p> <p><b>Note:</b> The proceedings of the DPC relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however these are not approved by the Commission a fresh meeting of the DPC to be presided by the Chairman or a Member of the UPSC shall be held.</p> | <p>Direct recruitment and selection under Col. 11(B) shall be made in consultation with the Commission.</p> |

[No. 13012/6/85-TIN/AIS(III)-A]

सं० क्र० नि० 130-- राजपत्र संचयन के अनुच्छेद 309 के परन्तुक्त द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और साल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रकाशन प्रकाशन (प्रशिक्षण स्थापना पद) भर्ती नियमावली 1961 जहाँ तक वे हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं के प्रोफेसर के पद से संबंधित हैं उन बातों के विषय जिन्हें इस अधिक्रम से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है एतद्वारा साल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रकाशन प्रकाशन मण्डल में हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं के प्रोफेसर पद का भर्ती का पद्धति के विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:— (1) इन नियमों का नाम साल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रकाशन प्रकाशन मण्डल में हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं के प्रोफेसर भर्ती नियमावली, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या वर्गीकरण तथा वेतनमान उक्त पद की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा इसका वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट किए अनुसार होगा।

3. भर्ती का प्रणाली, आयु, संयम तथा अन्य शर्तें: भर्ती की पद्धति आयु संयम, शर्तें तथा उक्त पद से संबंधित अन्य बातें उक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 तक में विनिर्दिष्ट किए अनुसार होंगी।

4. परस्पर बरिष्ठता इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को हिन्दो तथा क्षेत्रीय भाषाओं के प्रोफेसर के पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की परस्पर बरिष्ठता संबंधित पदों पर उनकी नियमित नियुक्ति होने की तारीख के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी।

5. निरहंताएँ

वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति जिसका पति या जिसकी पत्नी जंघित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जंघित होते हुए किना व्यक्ति विवाह किया है उस सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार की लागू स्वीय विधि के अधीन अनुसूचित है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकता है।

6. नियम शिथिल करने की शक्ति जहाँ केन्द्रीय सरकार को यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक था सवाचन है, वहाँ वह, उसके लिए जो कारण उन्हें लेखबद्ध करके तथा लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों से किसी उपबंध को किसी अंग या प्रवर्ग व्यक्तियों को बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

व्यावृत्ति—

इन नियम में किया गया कोई भी प्रावधान ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा से छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगा जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं के प्रोफेसर के पद के लिए भर्ती नियम

अनुसूची

| पद का नाम  | पदों की संख्या   | वर्गीकरण  | वेतनमान  | क्या चयन पद है अथवा नैर चयन पद  |
|--|--|---|--|---------------------------------|
| 1  | 2  | 3   | 4  | 5                               |
| हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं के प्रोफेसर 1* (1986)<br>*कार्यभार को ध्यान में रखते हुए परिवर्तनीय  |  | सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित   | रु. 1500-60-1800-100<br>2000-125/2-2500  | चयन                             |
| सीधी भर्तियों के लिए आयु सीमा  | क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ अनुज्ञेय है | सीधी भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए शैक्षिक तथा अन्य अपेक्षित अर्हताएँ  | क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएँ पदोन्नत व्यक्तियों के संबंध में भी लागू होंगी। | परिक्षीक्षा को अवधि यदि कोई हो। |
| 6  | 7  | 8   | 9  | 10                              |
| अधिकतम: 45 वर्ष से कम केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारों कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक छूट) टिप्पणी:— आयु सीमा निर्धारित किए जाने के लिए निर्णायक तारीख वहीं होगी, जो तत्पश्चात् भारत (अखंडता व मित्रोत्तरा द्वीप समूह और लक्षद्वीप को छोड़कर) में उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तारीख होगी। | हां  | अनिवार्य: (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में डॉक्टर की उपाधि अथवा समकक्ष। (2) हिन्दो में अध्ययन कार्य का 10 वर्ष का अनुभव जिसमें भाषाई विश्वविद्यालय स्तर की कक्षाओं की भाषा का 10 वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम तीन वर्ष तक हिन्दो भाषाई व्यक्तियों को प्राथमिक पद्धतियों तथा तकनीकों द्वारा अंग्रेजी भाषा के माध्यम से हिन्दो का अध्यापन कार्य किया गया हो। टिप्पणी:—अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अर्हताओं में छूट दी जा सकती है। | आयु: नहीं शैक्षिक अर्हताएँ   | सीधी भर्ती वालों के लिए एक वर्ष |

6

7

8

9

10

टिप्पणी : (1)— यदि चयन के किसी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का यह मत हो कि अनु. जा०/अनु० ज० जातियों के भारक्षित पदों पर भर्ती के लिए इन सदुपायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो इन सदुपायों के उम्मीदवारों के मामलों में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर भर्तियों में छूट दी जा सकती है।

वांछनीय:

1. हिन्दी से प्रतिरिक्त कम से कम एक अन्य भारतीय भाषा का कार्य साधक ज्ञान।
2. संस्कृत का ज्ञान।
3. हिन्दी के तकनीकी शब्दों का ज्ञान।

भर्ती की पद्धति, तथा सीधी भर्ती अथवा पदान्ति अथवा स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिपातता।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती के मामले में बहुत ग्रेडजिन से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है।

यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो इसका गठन

बहु परिस्थितियों जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाता है।

11

12

13

14

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा जिसमें अल्पकालिक अनुबंध भी शामिल है जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

टिप्पणी:— ऐसे अधिकारी जिन्हें इन नियमों के अधिष्ठित करने से पहले रु. 1500-2000/- ज़िरे बाद में संगोष्ठित करके) 1500-2500 रु० कर दिया गया के पूर्व संगोष्ठित ब्रेतनभाह वाले पद में नियमित आधार पर नियुक्ति किया गया उन्हें संगोष्ठित ब्रेतन मान वाले पद में नियुक्त किया समझा जाएगा।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसमें अल्पकालिक अनुबंध भी शामिल है।

(1) केन्द्रीय/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/सरकारी अनुसंधान संस्थानों के अधीन ऐसे अधिकारी जोकि (1) समकक्ष पदों पर कार्यरत हों।

(2) जिनके रु. 1500-2000 या समतुल्य ब्रेतनमान वाले पदों में 2 वर्ष का अध्यापन/अनुसंधान का अनुभव हो।

(3) रु० 1200-1900 या समतुल्य ब्रेतनमान वाले पदों में अध्यापन अनुसंधान का 5 वर्ष का अनुभव हो। जिसमें निम्नलिखित भी शामिल हों

(ख) आधुनिक पद्धतियों और तकनीकी से अहिन्दी भाषी व्यक्तियों को अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ाने का अनुभव हो, और अभिचार्य:

(ग) जिनके पास मास्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में मास्टर डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता।

वांछनीय:

- (1) संबंधित विषय में डाक्टर की उपाधि (2) हिन्दी के विभागीय रीडर के ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा हो और हिन्दी में डाक्टर की

ग्रेड "क" विभागीय पदोन्नति समिति स्थायीकरण पर विचार करने के लिए

1. निदेशक लाल ब. शा. रा. प्र. अकादमी—अध्यक्ष

2. संयुक्त निदेशक ला. ब. शा. रा. प्रा० अकादमी—सदस्य

टिप्पणी:— स्थायीकरण के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति का कार्यवाहियां अनुमोदन के लिए

आयोग को सेजी जाएगी किन्तु यदि ये आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं की जाती हैं तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य की अध्यक्षता में विभागीय पदोन्नति समिति को एक नई बैठक होगी।

उपाधि रखते हों, उन पर भी विचार किया जाएगा और यदि उसे उस पद का भर्ती के लिए चुन लिया जाता है तो उस पद को पदोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा।  
उनो संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के तत्काल पहले धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रति नियुक्ति का अवधि सहित, प्रति नियुक्ति का अवधि साधारणतः 4 वर्ष से अधिक नहीं होंगे।

[नं. 13012/6/85 डी आर्इउन/प्र. भा. से (III) (ए) (ख)]

G.S.R. 430.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (Training Establishment Posts) Recruitment Rules, 1961 so far as they relate to the post of Professor of Hindi and Regional Languages except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of professor of Hindi and Regional Languages, in the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration Professor of Hindi and Regional Languages Recruitment Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Inter-se seniority.—The inter-se seniority of persons holding the posts of Professor of Hindi and Regional Languages on the date of notification of these rules, shall be determined

with reference to the date of regular appointment to the respective posts.

5. Disqualification.—No person,—

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the above post.

Provided that the Central Government, may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

| Name of Post                             | No. of Posts   | Classification          | Scale of pay                          | Whether selection post or non-selection post | Age limit for direct recruits  | Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972 |
|--|--|-------------------------|---------------------------------------|--|--|---|
| 1  | 2  | 3                       | 4                                     | 5  | 6  | 7   |
| Professor of Hindi & Regional Languages. | 1*<br>(1986)<br>*Subject to variation dependent on workload. | G.S.C. Gr. 'A' Gazetted | Rs. 1500-60-1800-100-2000-125/2-2500. | Selection.                                   | Preferably below 50 years. (Relaxable for Govt. servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Govt.)<br>Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands & Lakshdweep). | Yes.  |



| Educational and other qualifications required for direct recruits   | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees   | Period of probation, if any       | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentages of the vacancies to be filled by various methods   |
|---|---|-----------------------------------|--|
| 8.  | 9.  | 10.                               | 11.  |
| <p>Essential :</p> <p>(1) Doctorate in Hindi of a recognised University of equivalent.</p> <p>(2) 10 years' experience of teaching Hindi including Linguistics/ language to University classes of which at least 3 years should be in teaching Hindi through English Medium to non-Hindi speaking persons by modern methods and techniques.</p> <p>Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the U.P.S.C. in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2 : The qualification(s) experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if at any stage of selection, the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p> <p>Desirable :</p> <p>(1) Working knowledge of at least one Indian language other than Hindi.</p> <p>(2) Knowledge of Sanskrit.</p> <p>(3) Knowledge of technical terms in Hindi.</p>  | <p>Age : No</p> <p>Educational Qualifications : Yes.</p>  | <p>1 year for direct recruit.</p> | <p>By promotion/transfer on deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.</p> <p>Note : The officers who have been appointed on a regular basis to the post in the pre-revised scale of Rs. 1500—2000 revised to Rs. 1500—2500 prior to the notification of these rules shall be deemed to have been appointed to the post in the revised pay scale.</p> |
| <p>In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made.</p>  | <p>If a DPC exists what is its composition</p>  |                                   | <p>Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.</p>  |
| 12.   | 13.   |                                   | 14.  |
| <p>Promotion/Transfer on deputation (including short-term contract) :</p> <p>(1) Officers under the Central/State Government/Universities/Govt. Research Institutions.</p> <p>a. (1) holding analogous posts; or</p> <p>(2) with 2 years teaching/research experience in posts in the scale of Rs. 1500-2000 or equivalent;</p> <p>(3) with 5 years' teaching/research experience in posts in Rs. 1200—1900 or equivalent including</p> <p>b. experience in teaching Hindi through English medium to non-Hindi speaking persons by modern methods &amp; techniques; and</p> <p>c. possessing, essential Master's Degree in Hindi from recognised University or equivalent.</p> <p>Desirable : Doctorate in the concerned discipline.</p> <p>(2) The departmental reader in Hindi with 5 years' regular service in the grade and possessing a Doctorate in Hindi shall also be considered and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/department shall ordinarily not exceed 4 years).</p> | <p>Gr. 'A' DPC (for considering confirmation) :</p> <p>1. Director, LBSNAA—Chairman.</p> <p>2. Joint Director, LBSNAA—Member.</p> <p>Note :—The Proceedings of the DPC relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman of a Member of the UPSC shall be held.</p> |                                   | <p>Selection on each occasion shall be made in consultation with the Commission.</p>   |

सा. का. नि. 43) :—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परस्पर द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और साथ बहापुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (प्रशिक्षण स्थापना पत्र) भर्ती नियमावली 1981 जहाँ तक वे हिन्दी रीडर के पद से संबंधित हैं, उन बातों के सिवाय जिन्हें इस अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है एतद्वारा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में हिन्दी रीडर के पद की भर्ती की पद्धति के विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का नाम लाल बहापुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी हिन्दी रीडर भर्ती नियमवाली, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या वर्गीकरण तथा वेतनमान:—उक्त पद की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा इसका वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 तक में विदिष्ट किए अनुसार होगा।

3. भर्ती की प्रणाली, आयु सीमा तथा अन्य अर्हताएँ:—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएँ तथा उक्त पद से संबंधित अन्य बातें उक्त अनुसूची के कालम 6 से 14 तक में विदिष्ट किए अनुसार होंगी।

4. परस्पर बरिष्ठता इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को हिन्दी रीडर के पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की परस्पर बरिष्ठता संबंधित पदों पर उनकी नियमित नियुक्ति होने की तिथि से संबंध में निर्धारित की जाएगी।

5. गिरहूँताएँ:—

वह व्यक्ति:—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के प्रचीन अनुसूच्य है और ऐसा करने के लिए अन्य आधारा है तो वह किसी व्यक्ति को इन नियम के प्रवृत्त से छूट दे सकेगी।

6. नियम शिथिल करने की शक्ति:—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वहाँ, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों से किसी उपबंध को किसी अर्थ या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत प्रादेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

व्यावृत्ति:—

इन नियमों में किया गया कोई भी प्रावधान ऐसे आदेशों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियासतों पर प्रभाव नहीं डालेगा जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, छूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

हिन्दी रीडर के पद के लिए भर्ती नियम

#### अनुसूची

| पद का नाम  | पदों की संख्या   | वर्गीकरण  | वेतनमान  | क्या चयन पद है अथवा, और चयन   |
|--|--|---|--|-------------------------------|
| 1  | 2  | 3   | 4  | 5                             |
| हिन्दी रीडर  | *1 (1986) *कार्यभार को ध्यान में रखते हुए परिवर्तनीय   | सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित   | ₹. 1200-50-1300-60-1900  | चयन                           |
| सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा   | क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के प्राचीन सेवा के जांचे गए वर्षों का लाभ अनुज्ञेय है। | सीधी भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए शैक्षिक तथा अन्य अपेक्षित अर्हताएँ  | क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएँ पबोन्नत व्यक्तियों के संबंध में भी लागू होंगी। | परिचीक्षा की शक्ति यदि कोई हो |
| 6  | 7  | 8   | 9  | 10                            |
| अधिमानत : 45 वर्ष से कम।<br>(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक छूट)।<br>टिप्पणी: आयु सीमा निर्धारित किए जाने के लिए निर्णायक तारीख बही होगी जो तारीख भारत (अधिसूचना) | हाँ  | अनिवार्य:<br>(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में हिन्दी में डाक्टर की उपाधि अथवा समकक्ष।<br>(2) विश्वविद्यालय स्तर की कक्षाओं के अध्यापन का 5 वर्ष | आयु: नहीं शैक्षिक अर्हताएँ: हाँ  | सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष     |

6

7

8

9

10

व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को छोड़कर) में उम्मीदवारों के भावों पर प्राप्ति होने की प्रतिभ साठी होगी।

का अनुभव जिसमें कम से कम तीन वर्ष तक प्रहिंदी भाषी व्यक्तियों की प्राथमिक पद्धतियों तथा तकनीकों द्वारा अंग्रेजी भाषा के माध्यम से हिंदी का अध्यापन कराया गया हो।

टिप्पणी: (1) अन्यथा (सुयोग्य अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अर्हताओं में छूट भी जा सकती है।

टिप्पणी: (2) यदि जयन के किसी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का यह मत हो कि अनु. आ. / अनु. अ. जातियों के लिए आरक्षित पदों पर भर्ती के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो इन समुदायों के उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अर्हता (अर्हताओं) के अनुभव में छूट भी जा सकती है।

बाठनीय :

- (i) हिंदी के प्रतिरिक्त किसी अन्य भारतीय भाषा का कार्य साधक ज्ञान
- (ii) संस्कृति का ज्ञान
- (iii) हिन्दो के तत्त्वों की शब्दों का ज्ञान।

भर्ती को पद्धति, तथा सी.पी. भर्ती अथवा पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती जाने वाली रिक्तियों की प्रलियता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती के मामले में यह ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है

यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो इसका गठन

यह परिस्थितियों जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है

11

12

13

14

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा इसमें अल्पकालिक अनुबंध भी शामिल है जिसको न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।  
टिप्पणी: ऐसे अधिकारी जिन्हें इन नियमों के अधिसूचित करने से पहले व. 1100-1600 (जिसे बाद में संशोधित करके 1200-1800 कर दिया गया) के पूर्व संशोधित बेतनमान वाले पद में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है उन्हें संशोधित बेतनमान वाले पद में नियुक्त किया गया समझा जाएगा।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसमें अल्पकालिक अनुबंध भी शामिल है।)  
(क) केन्द्रीय/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/सरकारी अनुसंधान संस्थानों के अधीन ऐसे अधिकारी जो (क) (i) समकक्ष पदों पर कार्यरत हों अथवा  
(ii) जिन्हें व. 1100-1600 अथवा समतुल्य बेतनमान वाले पदों में 2 वर्ष का अध्यापन/अनुसंधान का अनुभव हो, जिसके साथ निम्नलिखित अनुभव भी हों।  
(ख) प्राथमिक पद्धतियों और तकनीकों से प्रहिंदी भाषी व्यक्तियों को अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ाने का अनुभव हो, और

ग्रेड "क" विभागीय पदोन्नति समिति (स्वायंकरण प्रत्येक अवसर पर पर विचार करने के लिए)  
1. निदेशक लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी—अध्यक्ष  
2. संयुक्त निदेशक लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी—सदस्य  
टिप्पणी: स्वायंकरण के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाहियां अनुसंधान के लिए प्रायोगिक भी भेजी जाएगी। यदि ये प्रायोगिक द्वारा अनुसंधान नहीं की जाती हैं तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य के अध्यक्षता में विभागीय पदोन्नति समिति की एक नई बैठक होगी।

यह परिस्थितियों जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है

अथवा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जायेगा।

11

12

13

14

अनिवार्य :

(ग) जिनके पास माध्यमप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में मास्टर डिग्री तथा समकक्ष योग्यता हो।

वाञ्छनीय:

संबंधित विषय में डाक्टर क. उपाधि (2) हिन्दी में विभागीय सहायक प्रोफेसरों के ब्रेड में जिसकी 5 वर्ष की नियमित सेवा हो और जिनके पास हिन्दी में डाक्टर का उपाधि हो, उन पर भी इस पद की नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा और इस पद की पदोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा। (उसी संगठन विभाग में इस नियुक्ति के तत्काल पहले प्राप्त अन्य संवर्ग बाह्य पद से प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

[सं. 13012/6/85 टी. आर. एन/अ. आ. मे. (III) ग]

G.S.R. 431.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (Training Establishment posts) Recruitment Rules, 1961 in so far as they relate to the post of Reader in Hindi except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules relating the method of recruitment to the post of Reader in Hindi in the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration Reader in Hindi Recruitment Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedules annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said schedule.

4. Inter-se Seniority.—The inter-se seniority of persons holding the posts of Reader in Hindi on the date of notification of these rules, shall be determined with reference to the date of regular appointment to the respective posts.

5. Disqualification.—No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the above post :

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE.

| Name of Post    | No. of posts                          | Classification             | Scale of pay                 | Whether selection post or non-selection post | Age limit for direct recruits   | Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972 |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|---|---|
| 1               | 2                                     | 3                          | 4                            | 5  | 6   | 7   |
| Reader in Hindi | 1*<br>(1986)<br>*Subject to variation | G.C.S. Gr. 'A'<br>Gazetted | Rs. 1200-50-<br>1300-60-1900 | Selection                                    | Preferrably below 45 years.<br>(Relaxable for Govt. servants upto 5 Years in accordance with the instruc- | Yes   |

| 2   | 6   |   |   |
|---|---|---|---|
| dependant on work-load.   | tions or orders issued by the Central Government).<br>Note :—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).   |   |   |
| Educational and other qualifications required for direct recruits   | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees<br>Period of Probation, if any<br>Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods |   |   |
| 8   | 9   | 10  | 11  |
| <p>Essential :</p> <p>(1) Doctorate in Hindi of a recognised University or equivalent;</p> <p>(2) 5 years' experience of teaching Hindi to University classes of which at least 3 years' should be in teaching Hindi through English Medium to non-Hindi speaking persons by modern methods and techniques.</p> <p>Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2 : The qualification(s) experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled tribes if at any stage of selection, the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from those communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p> <p>Desirable :</p> <p>(i) Working knowledge of at least one Indian Language other than Hindi.</p> <p>(ii) Knowledge of Sanskrit.</p> <p>(iii) Knowledge of technical terms in Hindi.</p> | Age : No. Ednl. Qualification : Yes   | 1 year for direct recruit.  | By promotion transfer on deputation (including short term contract) failing which by direct recruitments.<br>Note : The officers who have been appointed on a regular basis in the post in the pre-revised scale of Rs. 1100-1600 (revised to Rs. 1200-1900 prior to the notification of these rules shall be deemed to have been appointed to the post in the revised pay scale. |
| In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made  | If a DPC exists what is its composition   | Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment. |   |
| 12  | 13  | 14  |   |
| <p>Promotion/Transfer on deputation (including short-term contract).</p> <p>1. (a) Officers under the Central/State Govt./Universities/ Govt. Research Institutions :</p> <p>(i) holding analogous posts; or</p> <p>(ii) with 7 years teaching/research experience in post in the scale of Rs. 1100-1600 or equivalent and including.</p>   | <p>Gr. 'A' DPC (for considering confirmation).</p> <p>1. Director, LBSNAA—Chairman.</p> <p>2. Jt. Director, LBSNAA—Member.</p> <p>Note : The proceedings of the DPC relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval, if, however these are not approved</p>                             | Selection on each occasion shall be made in consultation with the Commission.                     |   |

- (b) experience teaching Hindi through English Medium to non-Hindi speaking persons by modern methods & techniques; and
- (c) possessing Essential Master's degree in Hindi from recognised University or equivalent;  
Desirable: Doctorate in the concerned discipline.

2. The departmental Asstt. Professors in Hindi with 5 years' regular service in the grade and possessing a Doctorate in Hindi will also be considered for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same organisation/department shall ordinarily not exceed 4 years).

by the Commission a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the UPSC shall be noted.

[No. 13012/6/85-TIN/AIS (IT)-C]

सा. का. वि. 432.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परम्पुक द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (प्रशिक्षण स्थापना पद) भर्ती नियमावली' 1961 जहाँ तक वे लोक प्रशासन के प्रोफेसर से संबंधित हैं उन बातों के सिवाय जिन्हें इस अधिनियम से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है एतद्द्वारा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में लोक प्रशासन के प्रोफेसर के पद की भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

- (1) इन नियमों का नाम लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी लोक प्रशासन के प्रोफेसर भर्ती नियमावली, 1986 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :

उक्त पद की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा इसका वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 तक में निर्दिष्ट किए अनुसार होगा।

3. भर्ती की प्रणाली, आयु सीमा तथा अन्य महत्ताएं :

भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, महत्ताएं तथा उक्त पद से संबंधित अन्य बातें उक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 तक में निर्दिष्ट किए अनुसार होंगी।

4. परस्पर वरिष्ठता :

इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को लोक प्रशासन के प्रोफेसर के पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की परस्पर वरिष्ठता संबंधित पदों पर उनकी नियमित नियुक्ति होने की तारीख के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी।

5. निरहताएं :

वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है उक्त सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकारका समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधारा है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. नियम शिथिल करने की शक्ति :

जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों से किसी उपबंध को किसी वर्ग या वर्गों के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

व्यावृत्ति :

इन नियमों में किया गया कोई भी प्रावधान ऐसे धारकों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभावी नहीं बालेगा जबका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष प्रयोगों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

लोक प्रशासन के प्रोफेसर के पद के भर्ती नियम

अनुसूची

| पद का नाम   | पदों की संख्या  | वर्गीकरण  | वेतनमान  | क्या प्रथम पद है अथवा<br>द्वितीयक पद |
|---|---|---|--|--------------------------------------|
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5                                    |
| लोक प्रशासन के प्रोफेसर   | 2*<br>(1986)<br>*कार्यभार को ध्यान में रखते हुए परिवर्तनीय (केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अधीन भारतीय सेवाएं/केन्द्रीय सेवाएं समूह "क" के किसी अधिकारी द्वारा जब यह पद धारित किया जाता है तो पद उप निदेशक के रूप में पदनामित किया जाएगा।) | सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित   | र. 1500-60-1800-100-2000-125/2-2500<br>(जब यह पद प्रखिल भारतीय सेवाओं/केन्द्रीय सेवा के ग्रेड "क" के अधिकारी द्वारा धारित किया जाता है, तो इन अधिकारियों को सरकारी नियमों/बिनियमों के अधीन, समय-समय पर स्वीकार्य वेतन तथा भत्ते लागू होंगे।) | प्रथम                                |
| सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा  | क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ अनुज्ञेय है।   | सीधी भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए शैक्षिक तथा अन्य अपेक्षित प्रहृताएं   | क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक प्रहृताएं पदोन्नत व्यक्तियों के संबंध में भी लागू होंगी।  | परिबीक्षा की प्रथम यदि कोई हो।       |
|   | 6   | 7   | 8  | 9                                    |
| अधिमार्ग: 50 वर्ष से कम (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों प्रथम भादेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट) टिप्पणी:—आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख वही होगी जो तारीख भारत में (प्रथमतः व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को छोड़कर) उम्मीदवारों से गावेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तारीख होगी। | हां   | अभिचार्य:<br>(1) किसी माध्यमताप्राप्त विरल विद्यालय से राजनीति विज्ञान में डाक्टर की उपाधि या इसके समकक्ष।<br>(2) प्राध्यापन और/अथवा अनुसंधान में 10 वर्ष का अनुभव।<br>टिप्पणी: 1—अन्यथा सुयोग्य प्रहृता प्राप्त उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर प्रहृताओं में छूट दी जा सकती है।<br>टिप्पणी: 2—यदि जयन के किसी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का यह मत हो कि अनु. ज./अनु. ज. जातियों के लिए आरक्षित पदों पर भर्ती के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है तो इन समुदायों के उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर प्रहृता(ओं), अनुभव में छूट दी जा सकती है। | आयु: नहीं<br>शैक्षिक प्रहृताएं: हां  | सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष            |
|   |   | वांछनीय:<br>भारतीय सरकार तथा राजनीति अध्ययन में विशेषज्ञ।   |  |                                      |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| भर्ती की पद्धति, तथा सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा पदों के माध्यम में भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित करने का उपाय किया जाना है | यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विचारणा हेतु ही तो इसका मसौदा | वह परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है |
|---|--|--|--|

11

12

13

14

एक पद पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसमें अल्पकालिक अनुबंध भी शामिल हैं अथवा जब कभी आवश्यक हो तो केन्द्रीय स्टाफिंग योजना द्वारा और बाकी के पद सीधी भर्ती द्वारा ।)

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसमें अल्पकालिक अनुबंध भी शामिल हैं ।)

(1) केन्द्रीय /राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/मार्गना प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/अर्ध सरकारी गैर-विश्वविद्यालय संगठनों के अधीन अधिकारी जो

(1) सादृश्य पदों पर कार्यरत हों

(2) रु. 1500-2000 वेतनमान में या समकक्ष पदों पर अध्यापन/अनुसंधान का दो वर्ष का अनुभव रखते हों अथवा

(3) रु. 1200-1800 या इनके समकक्ष वेतनमान में अध्यापन/अनुसंधान में 5 वर्ष का अनुभव; और

(ख) जो निम्नलिखित अर्हताएं रखते हों ।

अनिवार्य :

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान/लोक प्रशासन में मास्टर डिग्री हो ।

वांछनीय :

1. संबंधित विषय पर डॉक्टर की उपाधि हो ।
2. लोक प्रशासन में विभागीय स्तर के स्तर में 5 वर्ष की नियमित सेवा हो और लोक प्रशासन/राजनीति विज्ञान में डॉक्टर की उपाधि रखने वाले पर भी विचार किया जाएगा और यदि वह उम्र पत्र की नियुक्ति के लिए चुन लिया जाता है तो उम्र पत्र को पदोन्नति द्वारा भंग हुआ समझा जाएगा । (कोडर वर्ष के विभागीय अधिकार जो कि पदोन्नति के सीधे क्रम में हैं, उन पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति अधिकारी भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के तहत नहीं हैं । उसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पहले धारित अन्य सर्वोच्च वाच्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि मासिक 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)

पदोन्नति पर विचार करने के लिए स्लैब "क" विभागीय पदोन्नति समिति ।

1. अध्यक्ष—मदस्य रांघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष ।
2. निदेशक—ला. व. णा. रा. प्र. अकादमी—सदस्य
3. संयुक्त निदेशक, ला. व. णा. रा. प्र. अकादमी—मदस्य

टिप्पणी :—स्थायीकरण से संबंधित विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाहियों को अनुव मोदन के लिए आयोग में भेजा जाएगा यदि उन्हें आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता तो विभागीय पदोन्नति समिति की एक नई बैठक बुलाई जाएगी जिसकी अध्यक्षता संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य द्वारा की जाएगी ।



G.S.R. 432.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (Training Establishment Posts) Recruitment Rules, 1961 so far as they relate to the post of Professor of Public Administration, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Professor of Public Administration in the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration Professor of Public Administration Recruitment Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said schedule.

4. Inter-se seniority.—The inter-se seniority of persons holding the posts of Professor of Public Administration on the

date of notification of these rules, shall be determined with reference to the date of regular appointment to the respective posts.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the above post :

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons, to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

| Name of post  | No. of posts   | Classification           | Scale of pay   | Whether selection post or non-selection post   | Age limit for direct recruits   | Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972   |    |
|---|--|--------------------------|--|--|---|---|----|
| 1   | 2  | 3                        | 4  | 5  | 6   | 7   |    |
| Professor of Public Administration.                                     | 2* (1936)<br>*Subject to variation dependent on workload. Designated as Deputy Director when held by an officer of the All India Services/ Central Services, Group 'A' under Central Staffing Scheme). | G.C.S. Gp. 'A' Gazetted. | Rs. 1500-60-1800-100-2000-125/2-2500. (When held by AIS/Gr. 'A' Central Services officers pay and allowances as admissible under Govt. rules/regulations from time to time). | Selection  | Preferably below 50 years. (Relaxable for Govt. servants upto 5 years) in accordance with the Instructions or orders issued by the Central Government).<br>Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep). | Yes   |    |
| Educational and other qualifications required for direct recruits       |  |                          |  | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions | Period of probation, if any   | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods |    |
|   |  |                          |  | 8  | 9   | 10  | 11 |
| Essential :<br>(i) Doctorate in Public Administration/Political Science |  |                          |  | Age : No<br>E.Qs. : Yes.   | 1 year for direct recruits.   | 1 post by promotion/transfer on deputation including  |    |

8

9

10

11

## SCHEDULE

of a recognised University or equivalent.  
 (ii) 10 years experience in teaching and/or research.  
 Note 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwise well qualified.  
 Note 2. The qualification(s) experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from those communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.  
 Desirable :  
 Specialisation in the study of Indian Govt. and Politics.

short term contract) or through the Central Staffing Scheme as and when necessary. The remaining by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made

If a DPC exists what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

12

13

14

Promotion/transfer or deputation (including short-term contract):

1. Officers under the Central/State Govts./Universities/recognised Research Institutions/Semi Govt., Statutory Autonomous organisations  
 (i) holding analogous posts, or  
 (ii) with 2 years teaching/research experience in posts in the scale of Rs. 1500—2000 or equivalent; or  
 (iii) with 5 years teaching/research experience in the scale of Rs. 1200—1900 or equivalent; and  
 (b) possessing—Essential : Master's Degree in Political Science/Public Administration from a recognised University.

Desirable : Directorate on the concerned discipline.

2. The departmental Reader in Public Administration with 5 years regular service in the grade and possessing a Directorate in Public Administration/Political Science will also be considered and in case he is selected for appointment to the post the same shall be deemed to have been filled by promotion. (The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation contract including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same orgn./Department shall not exceed 4 years).

Gr. 'A' DPC (for considering Promotion):  
 1. Chairman/Member, UPSC—Chairman.  
 2. Director, LBSNAA—Member.  
 3. Joint Director, LBSNAA—Member.  
 Gr. 'A' DPC (for considering confirmation)  
 1. Director, LBSNAA—Chairman.  
 2. Jt. Director, LBSNAA—Member.

Note : The proceedings of the DPC relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the UPSC shall be held.

Selection on each occasion shall be made in consultation with UPSC.

[No. 13012/6/85-TTN/AIS (III)-H]

मा. का. लि. 433 —राजपत्र, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रकाशन प्रकाशनी (प्रबिधान स्थापना पद) भर्ती, नियमावली 1961 जहाँ तक वे भारतीय इतिहास तथा संस्कृति के प्रोफेसर से संबंधित हैं) उन बातों के सिवाय जिन्हें इस अधिकरण से पूर्व किया गया है या करने का सोच किया गया है एतद्वारा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रकाशन प्रकाशनी मन्त्री में भारतीय इतिहास तथा संस्कृति के प्रोफेसर के पद की भर्ती की पद्धति को विनियमित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. मन्त्रालय लाल और शास्त्रम :

(1) इन नियमों का लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रकाशन प्रकाशनी भारतीय इतिहास तथा संस्कृति के प्रोफेसर भर्ती नियमावली, 1961 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, तथा वेतनमान :-

उक्त पद की संख्या, हमका वर्गीकरण तथा इसका वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 तक में निर्दिष्ट किए अनुसार होगा।

3. भर्ती की प्रणाली, आयु सीमा तथा अन्य शर्तें :-

भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शर्तें तथा उक्त पद से संबंधित अन्य बातें उक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 तक में निर्दिष्ट किए अनुसार होंगी।

4. परस्पर बरिष्ठता :-

इन नियमों की अधिसूचना की तारीख की भारतीय इतिहास तथा संस्कृति के प्रोफेसर के पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की परस्पर बरिष्ठता संबंधित पदों पर उनकी नियमित नियुक्ति होने की तारीख के सभ्य में निर्धारित की जाएगी।

5. निरहंताएं :-

वह व्यक्ति,--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुभेय है और ऐसा करने के लिए प्रत्येक आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. नियम शिथिल करने की शक्ति :-

जहां केन्द्रीय सरकार को यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें संक्षेप करके तथा संक्षेप सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्याप्ति :-

इन नियमों में किया गया कोई भी प्रावधान ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगा जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विधेय प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम  | पदों की संख्या  | वर्गीकरण   | वेतनमान   | क्या चयन पद है अथवा नैत्र चयन पद |
|--|---|--|---|----------------------------------|
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5                                |
| भारतीय इतिहास तथा संस्कृति के प्रोफेसर   | 1*<br>(1986)  | सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित  | रु. 1500-60-1800-100-2000-125/2-2500  | लागू नहीं होता                   |
| *कार्यभार को ध्यान में रखते हुए परिवर्तनीय।  |   |  |   |                                  |
| सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा   | क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन)नियमावली, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ अनुभेय है | सीधी भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए शैक्षिक तथा अन्य अपेक्षित शर्तें   | क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक शर्तें पद्यन्त व्यक्तियों के संबंध में भी लागू होंगी | परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई है    |
| 6  | 7   | 8  | 9   | 10                               |
| अधिमानत : 50 वर्ष से कम (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट) टिप्पणी :-आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख बरी होगी जो भारत में (अधिमानत व निम्नोच्चर द्वीप समूह और लक्षद्वीप को छोड़कर) रह रहे उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तारीख होगी। | हां   | मनिवार्य :<br>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय से भारतीय इतिहास तथा संस्कृति में डाक्टर की उपाधि अथवा समकक्ष।<br>(ii) अध्यापन तथा/अथवा अनुसंधान में 10 वर्ष का अनुभव।<br>टिप्पणी :-अन्यथा सुयोग्य शर्तें प्राप्त उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विधेय पर शर्तों में छूट दी जा सकती है।<br>टिप्पणी 2 :-यदि चयन के किसी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग | लागू नहीं होता  | सीधी भर्ती वालों के लिए एक वर्ष। |

| 6  | 7  | 8  | 9  | 10   |
|--|--|--|--|--|
|  |  | का यह मत हो कि इन समुदायों में से अपेक्षित अनुभव रखने वाले पर्याप्त उम्मीदवार उनके प्रारक्षित रिक्तियों के लिए उपलब्ध न हों सके तो अनुसूचित जाति और अनु० जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर ग्रहता (प्रों) में छूट दी जा सकती है।  |  |  |
| भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती अथवा पवोन्तति अथवा स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिभातता | पवोन्तति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण के मामले में बहु श्रेष्ठ जिनसे पवोन्तति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है  | भर्ती के द्वारा  | यदि कोई विभागीय पवोन्तति समिति विद्यमान है तो इसका गठन             | वह परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है |
| 11   | 12   | 13   | 14   |  |
| प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा (जिसमें अल्पकालिक अनुबंध भी शामिल है) जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।                              | अल्पकालिक अनुबंध सहित प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा :<br>केन्द्रीय/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/सरकारी अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी जो :—<br>(क) (i) सातव्य वर्षों पर कार्यरत हों, अथवा<br>(ii) रु. 1500—2000 अथवा समकक्ष वेतनमान में 2 वर्ष का अध्ययन अनुसंधान का अनुभव अथवा<br>(iii) रु. 1200—1900 अथवा समकक्ष वेतनमान में 5 वर्ष का प्रत्यापन अनुभव; और<br>(ख) जिनके पास निम्नलिखित योग्यताएँ हों :—<br>अनिवार्य :<br>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भारतीय इतिहास में मास्टर डिग्री अथवा समकक्ष वांछनीय :<br>भारतीय इतिहास तथा संस्कृति में डाक्टर की उपाधि | श्रेष्ठ "क" विभागीय पवोन्तति समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) :<br>1. निदेशक, ला. व. शा. रा. प्र. अकादमी —अध्यक्ष<br>2. संयुक्त निदेशक, ला. व. शा. रा. प्र. अकादमी —सवस्य टिप्पणी :<br>स्थायीकरण से संबंधित विभागीय पवोन्तति समिति की कार्यवाहियाँ अनुमोदन के लिए आयोग को भेजी जाएंगी। यदि इन्हें आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है तो विभागीय पवोन्तति समिति की एक नई बैठक बुलाई जाएगी जिसकी अध्यक्षता संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य द्वारा की जाएगी। | प्रत्येक अवसर पर क्वचन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाएगा। |  |

[सं. 13012/6/85-सी. प्रा. एन./प्र. भा. से. (III)-एन.]

G.S.R. 433.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (Training Establishment Posts) Recruitment Rules, 1961, in so far as they relate to the post of Professor of Indian History and Culture except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules relating the method of recruitment to the post of Professor of Indian History and Culture, in the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration Professor of Indian History and Culture, Recruitment Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Inter-se seniority.—The inter-se seniority of persons holding the posts of Professor of Indian History and Culture on

the date Notification of these rules, shall be determined with reference to the date of regular appointment to the respective posts.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to the above post :

Provided that the Central Government, may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

| Name of post   | No. of posts   | Classification   | Scale of pay                         | Whether selection post or non-selection post  | Age limit for direct recruits  | Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972 |
|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--|
| 1  | 2  | 3  | 4                                    | 5   | 6  | 7  |
| Professor of Indian History and Culture  | 1* (1986)<br>*Subject to variation dependent on workload | G.C.S. Gr. 'A'<br>Gazetted   | Rs. 1500-60-1800-100-2000-125/2-2500 | N.A.  | Preferably below 50 yrs. (Relaxable for Govt. servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)<br><br>Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep). | Yes  |
| Educational and other qualifications required for direct recruits  |  | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees  |                                      | Period of probation, if any   | Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods   |  |
|  |  | 8  | 9                                    | 10  | 11   |  |
| Essential :<br>(i) Doctorate in Indian History and Culture from a recognised University or equivalent.<br>(ii) 10 years' experience in teaching/and or research.<br>Note: Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwise well qualified.<br>Note 2: The qualification(s) experience(s) are relaxable at the discretion of the UPSC in the case of candidates belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from those communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.<br>Desirable :<br>Specialisation in the study of Indian culture. |  |  | N.A.                                 | 1 year for direct recruits  | By transfer on deputation (including short-term contract), failing which by direct recruitment.  |  |
| In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made   |  | If a DPC exists, what is its composition   |                                      | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment |  |  |
|  |  | 12   | 13                                   | 14  |  |  |
| Transfer on deputation (including short-term contract):<br>Officers under the Central/State Govts./Universities/Govt. Research Institutions:—<br>(a) (i) holding analogous posts; or<br>(ii) with 2 years teaching/research experience in posts in the scale of Rs. 1500-2000, or equivalent; or<br>(iii) with 5 years' teaching/research experience in posts in the scale of Rs. 1500-1900, or equivalent; and<br>(b) possessing the following:<br>Essential :<br>(i) Master's Degree in Indian History from a recognised University or equivalent.<br>Desirable :<br>Doctorate in Indian History and Culture.  |  | Gr. 'A' DPC (for considering confirmation):<br>1. Director, LBSNAA—Chairman<br>2. Jt. Director, LBSNAA—Member.<br>Note: The proceedings of the DPC relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission, a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the UPSC shall be held. |                                      | Selection on each occasion shall be made in consultation with the UPSC.                         |  |  |

नं. का. नि. 434 :—राज्यपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परस्पर द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (प्रशिक्षण स्थान, पद) भर्ती नियमावली 1961 जहाँ तक सामाजिक प्रबंध के प्रोफेसर से संबंधित है उन बातों के विषय जिन्हें इस अधिकरण से पूर्व किया गया है या करने का वाप किया गया है एतद्वारा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरे में सामाजिक प्रबंध के प्रोफेसर पद को भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का नाम लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी सामाजिक प्रबंध के प्रोफेसर भर्ती नियमावली, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन को तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा बतनमान :—उक्त पद की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा इसका बतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 तक में निर्दिष्ट किए अनुसार होगा।

3. भर्ती की प्रणाली, आयु, सामा तथा अन्य अर्हताएँ :—भर्ती की पद्धति, आयु, सामा, अर्हताएँ तथा उक्त पद से संबंधित अन्य बातें उक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 तक में निर्दिष्ट किए अनुसार होंगी।

4. परस्पर वरिष्ठता :—इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को सामाजिक प्रबंध के प्रोफेसर के पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों को परस्पर वरिष्ठता संबंधित पदों पर उनको नियमित नियुक्ति होने की तारीख के मंदम में निर्धारित की जाएगी।

5. निरहताएँ :—बहु व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसका पत्ना जाति है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है उक्त सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।—

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हा जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के प्राय पक्षकार को लागू स्वाय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए प्राय आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट देसकेगी।

6. नियम शिथिल करने की शक्ति :—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें उद्घोषित करके तथा लक्ष लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों से किसी उपबन्ध कोकितो बर्न या प बर्न के व्यक्तियों को बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

ध्यावृत्ति :—

इन नियमों में किया गया कीई से प्रारंभण ऐस आरक्षणों, आयु, सामा में छूट और प्राय रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगा जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इन संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों भूतपूर्व सैनिकों तथा प्राय विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है:

#### अनुसूची

| पद का नाम                                       | पदों की संख्या | वर्गीकरण                   | बतनमान               | क्या समय पद है अथवा गैर-व्यय पद |
|---|----------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 1   | 2              | 3                          | 4                    | 5                               |
| सामाजिक संघ के प्रोफेसर                         | *1             | सामान्य के द्रीय सेवा समूह | र. 1500-80-1800-100- | लागू नहीं होता।                 |
| *कार्यभार को ध्यान में रखते हुए परि-<br>वर्तनीय | 1986           | "क" राजपत्रित              | 2000-125/2-2500      |                                 |

|                               |   |   |   |                             |
|-------------------------------|---|---|---|-----------------------------|
| संज्ञा: भर्ती के लिए अयु सीमा | क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ अनुज्ञेय है। | सीमा: भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए शैक्षिक तथा अन्य अपेक्षित अर्हताएँ | क्या संज्ञा भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएँ पबोन्नत व्यक्तियों के संबंध में भी लागू होगी। | परिक्षा की अवधि यदि कोई हो। |
|-------------------------------|---|---|---|-----------------------------|

| 6  | 7  | 8  | 9              | 10                                |
|--|----|--|----------------|-----------------------------------|
| अधिमानत: 50 वर्ष से कम (के द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनु-<br>वेश अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक छूट) | ही | अभियाय :<br>(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्या-<br>लय से समाज विज्ञान अथवा<br>समाज कार्य अथवा संघविज्ञान<br>में डॉक्टर की उपाधि<br>(2) अध्यापन तथा/अथवा अनुसंधान<br>में 10 वर्ष का अनुभव | लागू नहीं होता | सीधी भर्ती बातों के लिए<br>1 वर्ष |
| टिप्पणी:—आयु सीमा निर्धारित<br>कारणों के लिए निर्णायक तारीख<br>पठे होगा जो तारीख मारण से   |    | टिप्पणी 1 :—अथवा उम्मीद अर्हता   |                |                                   |

6

( अंशमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को छोड़कर) उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तारीख होगी।

8

प्राप्त उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अहंताओं में छूट दी जा सकती है।  
टिप्पणी 2:—यदि चयन के किसी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का यह मन हो कि इन सम्भाव्यों में से अपेक्षित अनुभव रखने वाले पर्याप्त उम्मीदवार उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए उपयुक्त न हो सकें तो अनु. ज. और अनु. ज. जाति के उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अहंता (ओं) अनुभव में छूट दी जा सकती है।

बांछनीय :

व्यवहार विज्ञान तथा/अथवा/समाज कल्याण शासन/सामाजिक शिक्षा में विशेषज्ञता।

भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति अथवा स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में वह श्रेष्ठ जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाता आना है।

यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो इसका गठन

वह परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाता है।

11

12

13

14

प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा ( जिसमें अल्पकालिक अनुबंध भी शामिल हैं) जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा

अल्पकालिक अनुबंध सहित प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा द्वारा केन्द्रीय/राज्य सरकारों/ विष्वविद्यालयों/ सरकारी अनुसंधान संस्थाओं के अधीन एक अधिकारी जो:

- (1) सदैम्य पदों पर कार्यरत हो, अथवा
- (2) रु. 1500—2000 अथवा समकक्ष वेतनमान में 2 वर्ष का अध्यापन/ अनुसंधान का अनुभव अथवा
- (3) रु. 1200—1900 अथवा समकक्ष वेतनमान में 5 वर्ष का अध्यापन अनुसंधान का अनुभव; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित योग्यताएं हों:—

अनिवार्य:—

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक विज्ञान अथवा सामाजिक कार्य अथवा प्रबंध सेवाओं में मास्टर की डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता।

बांछनीय:—संबंधित विषय ( विषयों) में डॉक्टर की उपाधि।

( उमी मंगलन/विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पहले धारित अन्य मंगल बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी )।

समूह "क" विभागीय पदोन्नति समिति स्थायीकरण पर विचार करने के लिए):

- (1) निदेशक ला. व. शा. रा. प्र. अकादमी — अध्यक्ष
- (2) संयुक्त निदेशक, ला. व. शा. रा. प्र. अकादमी — सदस्य

टिप्पणी:—स्थायीकरण से संबंधित विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाहियाँ अनुमोदन के लिए आयोग को भेजी जाएगी। यदि इन्हें आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है तो विभागीय पदोन्नति समिति की एक नई बैठक बुलाई जाएगी जिसकी अध्यक्षता संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य द्वारा की जाएगी

प्रत्येक अवसर पर चयन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाएगा।

G.S.R. 434.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (Training Establishment Posts) Recruitment Rules, 1961 so far as they relate to the post of Professor of Social Management except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Professor of Social Management in the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration Professor of Social Management Recruitment Rules 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Inter-se-seniority.—The inter-se-seniority of persons holding the posts of Professor of Social Management on the

date of notification of these rules, shall be determined with reference to the date of regular appointment to the respective posts.

5. Disqualification.—No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the above post :

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reason to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

| Name of post  | No. of posts   | Classification  | Scale of pay                          | Whether selection post or non-selection post  | Age limit for direct recruits   | Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972 |
|---|--|---|---------------------------------------|---|---|--|
| 1   | 2  | 3   | 4                                     | 5   | 6   | 7  |
| Professor of Social Management  | 1* (1986)<br>*Subject to variation dependent on workload | General Central Service Group 'A' Gazetted  | Rs. 1500-60-1800-100-2000-125;2-2500. | N.A.  | Preferably below 50 yrs. (Relaxable for Govt. servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Govt.)<br>Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep). | Yes  |
| Educational and other qualifications required for direct recruits   | 8  | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation if any            | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods | 11  |  |
| Essential :<br>(i) Doctorate in Sociology or Social work or Management Sciences of a recognised University or equivalent. |  | N.A.  | 1 year for direct recruits            | By transfer on deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment.  |   |  |



(ii) 10 years experience in teaching and/or research.

Note : 1.—Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2 :—The qualification(s) experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC in the case of candidates belonging to scheduled castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Desirable :

Specialisation in Behavioural Sciences and/or/Social Welfare Administration/Social Education.

| In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made  | If a DPC exists what is its composition  | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment |
|---|--|---|
| 12  | 13   | 14  |
| Transfer on deputation including short-term contract :<br>Officers under the Central/States Govt./Universities/Govt. Research Institutions.<br>(a) (i) holding analogous posts ;<br>(ii) with 2 years' teaching/research experience in the pay scale of Rs. 1500—2000 or equivalent ; or<br>(iii) with 5 years' teaching/research experience in the scale of Rs. 1200—1900, or equivalent ; and<br>(b) possessing the following :<br>Essential :<br>Master's Degree in Sociology or Social work or Management Services from a recognised University or equivalent ;<br>Desirable :<br>***Doctorate in the Concerned discipline(s)<br>*** (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment to the same organisation/department shall not exceed 5 years). | Gr. 'A' DPC for considering confirmation :<br>1. Director LBS National Academy of Admn.—Chairman<br>2. Joint Director LBS National Academy of Admn.—Member<br>Note : The Proceedings of the DPC relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the UPSC shall be held. | Selection on each occasion shall be made in consultation with UPSC.                             |

[No. 13012/6/85-TIN/AIS/III -O]

सा. का. नि. 435 —राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (प्रशिक्षण स्थापना पद) भर्ती नियमावली, 1961 जहाँ तक वे लोक प्रशासन में रीडर के पद से संबंधित हैं, उन बातों के विषय जिन्हें इस अधिसूचना से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है एतद्वारा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में लोक प्रशासन रीडर के पद की भर्ती की पद्धति को विनियमन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—

(1) इन नियमों का नाम लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी लोक प्रशासन में रीडर भर्ती नियमावली, 1986 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रयुक्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :—

उक्त पद की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा इसका वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 तक में विदिष्ट किए अनुसार होगा ।

3. भर्ती की प्रणाली, आयु सीमा तथा अन्य अर्हताएँ :—

भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएँ तथा उक्त पद से संबंधित अन्य बातें उक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 तक में विदिष्ट किए अनुसार होंगी ।

4. परस्पर वरिष्ठता :—

इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को लोक प्रशासन में रीडर के पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की परस्पर वरिष्ठता संबंधित पदों पर उनकी नियमित नियुक्ति होने की तारीख के संबंध में निर्धारण की जाएगी ।

5. निरहताएँ :—

यह व्यक्ति :—

310 (11/86) - 4

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होने हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है उक्त सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षधार को लागू स्वीय विधि के अर्थात् अनुसूच्य है और ऐसा करने के लिए श्रेय आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रयत्न से छूट दे सकेगी ।

6. नियम शिथिल करने की शक्ति :—

जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों से किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की भावत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

व्याप्ति:—

इन नियमों में किया गया कोई भी प्रावधान ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगा जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों /अतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

### अनुसूची

लोक प्रशासन में रीडर के पद के लिए भर्ती नियम

| पद का नाम  | पदों की संख्या  | वर्गीकरण   | वेतनमान   | क्या चयन पद है या चयन पद   |
|--|---|--|---|----------------------------|
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5                          |
| लोक प्रशासन में रीडर   | 1* (1986)   | सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रेड "क" राजपत्रित   | 1200-50-1300-60-1900  | चयन                        |
|  | *कार्यभार को ध्यान में रखते हुए परिवर्तनीय  |  |   |                            |
| सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा   | क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम-धरो, 1972 के नियम 30 के अर्थात् सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ अनुसूच्य है । | सीधी भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए शैक्षिक तथा अन्य अपेक्षित अर्हताएं   | क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के संबंध में भी लागू होंगी | परिष्कार की यदि कोई हो ।   |
|  | 6   | 7  | 8   | 9                          |
| अधिसमाप्त: 45 वर्ष से कम (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक छूट )<br>टिप्पणी : आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख वहाँ होगी जो तारीख भारत (अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप को छोड़कर) में उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तारीख होगी । | हां   | अनिवार्य :<br>(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लोक प्रशासन/राजनीति विज्ञान में डाक्टरेट की उपाधि अथवा समकक्ष,<br>(2) अध्यापन और/अथवा अनुसंधान में 5 वर्षों का अनुभव ।<br>टिप्पणी 1: अन्यथा गुणोच्च अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अर्हताओं में छूट दी जा सकती है ।<br>टिप्पणी 2: यदि चयन के किसी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का यह मत हो कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों पर भर्ती के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो इन समुदायों के उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अर्हता(ओं) अनुभव में छूट दी जा सकती है ।<br>वास्तविक :<br>भारत सरकार तथा राजनीति अध्ययन में विशेषज्ञता । | आयु : नहीं<br>शैक्षिक अर्हताएं : हां  | सीधी भर्ती के लिए 1 वर्ष । |

भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती के मामले में बहु ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो इसका गठन वह परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।

| 11  | 12  | 13  | 14  |
|---|---|---|---|
| <p>पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (अल्प कालिक अनुबंध सहित) जिसके न होने पर सीधी भर्ती पर टिप्पणी : ऐसे अधिकारी जिन्हें इन नियमों के अधिसूचित किए जाने से पहले रु. 1100-1600 (जिसे बाद में संशोधित करके रु. 1200-1900) के पूर्व संशोधित कर दिया वेतनमान वाले पद में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया हो उन्हें संशोधित वेतनमान वाले पद में नियुक्त किया गया समझा जाएगा।</p> | <p>पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिनमें अल्पकालिक अनुबंध शामिल हैं।)</p> <p>(i) केन्द्रीय/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त संस्थानों के अधीन अधिकारी:</p> <p>ऐसे अधिकारी जो</p> <p>(क) (i) किसी समकक्ष पद पर हो, अथवा (ii) रु. 1100-1600 अथवा समकक्ष वेतनमान वाले पदों में अध्यापन अनुसंधान का दो वर्ष का अनुभव हो, और</p> <p>(ख) निम्नलिखित अर्हताएं रखता हो:</p> <p>अनिवार्य : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लोक प्रशासन/राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री या इसके समकक्ष हो।</p> <p>वांछनीय:</p> <p>1. संबंधित विषय में डाक्टर की उपाधि</p> <p>2. लोक प्रशासन में विभागीय सहायक प्रोफेसर जिसने ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो और लोक प्रशासन में डाक्टर की उपाधि रखता हो, उस पर भी विचार किया जाएगा और यदि इस पद पर नियुक्ति के लिए चुन लिया जाता है तो उस पद की पदोन्नति द्वारा भरा हुआ समझा जाएगा।</p> <p>(कीबरे वर्ष के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति के सीधे क्रम में आते हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। उसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पहले धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति का अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> | <p>ग्रेड "क" विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए)</p> <p>1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष</p> <p>2. निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी—सदस्य</p> <p>3. संयुक्त निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी—सदस्य।</p> <p>ग्रेड "क" विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए)</p> <p>1. निदेशक लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी—सदस्य</p> <p>2. संयुक्त निदेशक लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी—सदस्य</p> <p>टिप्पणी : स्थायीकरण से संबंधित विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाहियों को अनुमोदन के लिए आयोग में भेजा जाएगा, यदि उन्हें आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है तो विभागीय पदोन्नति समिति की एक नई बैठक बुलाई जाएगी जिसकी अध्यक्षता संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य द्वारा की जाएगी।</p> | <p>प्रत्येक अवसर पर जिन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाएगा।</p> |

[सं. 13012/6/85-टी. आई. एन./अ. भा. से. (iii)-आई.]

G.S.R. 435.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (Training Establishment Posts Recruitment Rules, 1961) so far as they relate to the post of Reader in Public Administration, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Reader in Public Administration in the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Lal Bahadur Shastri National Academy of Admi-

nistration Reader in Public Administration Recruitment Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of recruitment, age limit, qualifications

and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Scheduled.

. Inter-se-Seniority.—The inter-se-Seniority of persons holding the posts of Reader in Public Administration on the date of notification of these rules, shall be determined with reference to the date of regular appointment to the respective posts.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to the above post :

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law appli-

cable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in Consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

| Name of post   | No. of Posts  | Classification          | Scale of pay              | Whether Selection post or non-selection post  | Age limit for direct recruits   | Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972  |
|--|---|-------------------------|---------------------------|---|---|--|
| 1  | 2   | 3                       | 4                         | 5   | 6   | 7  |
| Reader in Public Administration  | 1* (1986)<br>*Subject to variation dependent on workload. | G.C.S. Gp. 'A' Gazetted | Rs. 1200-50-1300-60-1900. | Selection   | Preferably below 45 years.<br>(Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Govt.)<br><br>Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep). | Yes  |
| Educational and other qualifications required for direct recruits  |   |                         |                           | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any   | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods  |
|  |   |                         |                           | 8   | 9   | 10   |
| Essential :<br>(i) Graduate in Public Administration/Political Science from a recognised University or equivalent.<br>(ii) 5 years experience in teaching and/or research.<br>Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwise well qualified.<br>Note 2 :—The qualification(s) experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if at any stage of selection, the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from those communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.<br>Desirable :<br>Specialisation in the study of Indian Government and Politics. |   |                         |                           | Age : No<br>E.Q. : Yes  | 1 year for direct recruits.   | By promotion/transfer or deputation (including short-term deputation) falling which by direct recruitment.<br>Note : The officers who have been appointed on a Regular Basis in the post in the pre-revised scale of Rs. 1100-1600 (revised to Rs. 1200-1900) prior to the notification of these rules, shall be deemed to have been appointed to the post in the revised pay-scale. |

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer/graduates If a DPC exists what is its composition from which promotion/d. putation/transfer to be made

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.

12

13

14

Promotion/transfer on deputation (including short-term contract):—(i) Officers under the Central/State Govts./Universities/Recognised Institutions:—

- (a) (i) holding analogous posts; or  
(ii) with 2 years teaching/research experience in posts in the scale of Rs. 1100-1600 or equivalent; and  
(b) Possessing Essential:—Master's Degree in Public Administration/Political Science from a recognised University or equivalent;  
Desirable:—Doctorate in the concerned discipline.

- (2) The departmental Assistant Professors of Public Administration with 5 years regular service in the grade and possessing a Doctorate in Public Administration will also be considered and in case one is selected for appointment to the post the same shall be deemed to have been filled by promotion. (The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation.) Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation/contract including period of deputation/contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/department shall not exceed 4 years).

Gr. 'A' DPC (for considering promotion)

1. Chairman/Member-UPSC  
—Chairman  
2. Director, LBSNAA—Member  
3. Jt. Director, LBSNAA—Member  
Gr. 'A' DPC (for considering confirmation).

1. Director, LBSNAA—Chairman  
2. Jt. Dir. LBSNAA—Member  
Note:—The proceedings of the DPC relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If however these are not approved by the Commission a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the UPSC shall be held.

Selection on each occasion shall be made in the consultation with UPSC

[No. 13012/6/85-TIN/ATS(III)-I]

सा. का. नि. 436—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रकाशन प्रकाशनी (प्रशिक्षण स्थापना पद) भर्ती नियमावली 1961 जहाँ तक वे अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के पद से संबंधित हैं। उन बातों के विषय जिनमें इन अधिकरण से पूर्व किया गया है या करने का लोच किया गया है एतद्वारा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रकाशनी मसूरे में अर्थ शास्त्र के प्रोफेसर के पद की भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:

- (1) इन नियमों का नाम लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रकाशन प्रकाशनी के अर्थशास्त्र का प्रोफेसर भर्ती नियमावली, 1986 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख की प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान

उक्त पद की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा इसका वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 तक में निर्दिष्ट किए अनुसार होगा।

3. भर्ती की प्रणाली, आयु सीमा तथा अन्य अर्हताएं:

भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा उक्त पद से संबंधित अन्य बातें उक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 तक में निर्दिष्ट किए अनुसार होंगी।

4. परस्पर वरिष्ठता

इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की परस्पर वरिष्ठता संबंधित पदों पर उनकी नियमित नियुक्ति होने की तारीख के संबंध में निर्धारित की जाएगी।

5. निरर्हताएं:

बहु ब्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है उक्त पदों में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अनुरूप पत्रकार को लागू स्वीय विधि के अर्धीन अनुशेष है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. नियम शिथिल करने की शक्ति

जहाँ केन्द्रीय सरकार यह सोचती है कि ऐसा करना, आवश्यक या समीचीन है, वहाँ यह, उसके लिए, जो कारण है उन्हें लेख्य करके तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों से किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की वास्तव आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

## 7. ध्यावृत्ति :-

इन नियमों में किया गया कोई भी प्रावधान ऐसे प्रारंभों आयु, सीमा में छूट और अन्य विरायकों पर प्रभाव नहीं डालेगा जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

| पद का नाम   | अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के पद के लिए भर्ती नियम  | पदों की संख्या   | वर्गीकरण  | वेतनमान  | क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद |
|---|--|--|---|--|--------------------------------|
| 1   | 2  | 3  | 4   | 5  |                                |
| अर्थशास्त्र का प्रोफेसर   | 3* (1986) में रखते हुए परिवर्तनीय।   | *कार्यभार को ध्यान में रखते हुए परिवर्तनीय।  | सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रेड "क" राजपत्रित  | ₹. 1500-60-1800-100-2000-125/3-2500।                         | चयन                            |
| सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा  | क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (वेतन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ अनुभवी है।   | सीधी भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं  | क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के संबंध में भी लागू होंगी | परिवर्तनीयता की अवधि यदि कोई हो                              |                                |
| अधिभाष्यतः 30 वर्ष से कम (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक छूट)  | हैं।   | अनिवार्य :- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अथवा भारत में डाक्टर की उपाधि अथवा समकक्ष (ii) अध्यापन और/अथवा अनुसंधान में 10 वर्ष का अनुभव। टिप्पणी:-1. अन्यथा सुयोग्य अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अर्हताओं में छूट दी जा सकती है। टिप्पणी :- 2. यदि चयन के किसी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का यह मन हो कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित पदों पर भर्ती के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो इन समुदायों के उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अर्हता (ओं) अनुभव में छूट दी जा सकती है। | आयु: नहीं   | सोती भर्ती के लिए एक शैक्षिक अर्हताएं हैं। वर्ष              |                                |
| टिप्पणी :- आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख। वही होगी जो तारीख भारत (अपेक्षित व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को छोड़कर) में उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तारीख होगी। |  |  |   |  |                                |
| भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती के विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।   | यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो इसका गठन   | यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो इसका गठन   | प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग  | भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग में पदभरने किया जाता है। |                                |
| 11  | 12   | 13   | 14  |  |                                |
| सीधी भर्ती द्वारा 68 2/3% प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसमें ग्रेड "क" विभागीय पदोन्नति समिति (स्वायत्त) पर स्थानान्तरण द्वारा 33 1/3% (अल्प-कालिक अनुभव/पदोन्नति सहित)                               | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसमें ग्रेड "क" विभागीय पदोन्नति समिति (स्वायत्त) पर स्थानान्तरण द्वारा 33 1/3% (अल्प-कालिक अनुभव/पदोन्नति सहित) | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसमें ग्रेड "क" विभागीय पदोन्नति समिति (स्वायत्त) पर स्थानान्तरण द्वारा 33 1/3% (अल्प-कालिक अनुभव/पदोन्नति सहित)   | प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग  | भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग में पदभरने किया जाता है। |                                |
| कालिक अनुभव/पदोन्नति सहित)  |  |  | 1. विदेशक- शा. ब. शा. रा. प्र. अकादमी-अध्यक्ष   | परामर्श अनिवार्य   |                                |

न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

टिप्पणी :- ऐसे अधिकारी जिन्हें इन नियमों के अधिग्राहित किए जाने से पहले रु. 1500-2000 (दो वर्षों में संशोधित करके रु. 1500-2500 कर दिया गया) के पूर्व संशोधित वेतनमान वाले पद में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया उन्हें संशोधित वेतनमान वाले पद में नियुक्त किया गया जाएगा।

(i) भारतीय अर्थ सेवा के ग्रेड-I अधिकारी  
(ii) केन्द्रीय/राज्य सरकारों/ विप्लविद्यालयों/ सरकारी अनुसंधान संस्थानों के अधीन अधिकारी (क) (i) रु. 1500-2500 के वेतनमान में समतुल्य पदों पर कार्यरत अधिकारी (ii) रु. 1500-2000 के वेतनमान में अध्यापन/अनुसंधान का 2 वर्ष का अनुभव अथवा  
(iii) रु. 1200-1900 के वेतनमान में 5 वर्ष का अध्यापन/अनुसंधान का अनुभव तथा  
(ख) ऐसे अधिकारी जिनके पास निम्नलिखित प्रतिशत अर्हताएं हों किसी मान्यता प्राप्त विप्लविद्यालय से अर्थ शास्त्र में मास्टर की उपाधि अथवा इसके समकक्ष।

राष्ट्रीय :

संशोधित विषय में डाक्टर की उपाधि अर्थ शास्त्र में ऐसे विभागीय सीडर जिनकी ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा है तथा उनके पास अर्थ शास्त्र में डाक्टर की उपाधि है उन पर भी विचार किया जाएगा तथा यदि वे पद पर नियुक्ति के लिए चुन लिए जाते हैं तो इन पदों की पदोन्नति द्वारा भरा गया समाप्त जाएगा (जसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पहले धारित अन्य संबंधित बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

2- संयुक्त निदेशक- ला. व. भा. रा. प्र. अकादमी- सदस्य

टिप्पणी : व्यापारिक म संबंधित विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाहियों को अनुमोदन के लिए आयोग में भेजा जाएगा यदि उन्हें आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता तो विभागीय पदोन्नति समिति को एक नई बैठक बुलाई जाएगी जिसकी अध्यक्षता संव लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रजा सिंह द्वारा की जाएगी।

[सं. 13012/6/85-टी. आई. एन/अ. भा. से. (III)-के]

G.S.R. 436.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in super-session of the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (Training Establishment Posts) Recruitment Rules, 1961 in so far as they relate to the post of Professor of Economics except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Professor of Economics in the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration Professor of Economics Recruitment Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay:—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications :—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Inter-se seniority :—The inter-se seniority of persons holding the posts of Professor of Economics on the date

of notification of these rules, shall be determined with reference to the date of regular appointment to the respective posts.

5. Disqualification :—No person —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the above post :

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax :—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commissions, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving :—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## THE SCHEDULE

| Name of post   | No. of posts   | Classification          | Scale of pay                          | Whether Selection post or non-selection post  | Age limit for direct recruits   | Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972   |  |
|--|--|-------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| 1  | 2  | 3                       | 4                                     | 5   | 6   | 7   |  |
| Professor of Economics   | 3* (1986)<br>*Subject to variation dependent on workload | G.C.S. Gr. 'A' Gazetted | Rs. 1500-60-1800-100-2000-125/2-2500. | Selection   | Preferably below 50 yrs. (Relaxable for Govt. servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).<br><br>Note :—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman Nicobar Islands & Lakshadweep). | Yes   |  |
| Educational and other qualifications required for direct recruits  |  |                         |                                       | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of Probation if any  | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods   |  |
|  |  |                         |                                       | 8   | 9   | 10  | 11   |
| Essential :<br>(i) Doctorate Degree in Economics from a recognised University or equivalent.<br>(ii) 10 years experience in teaching and/or research.<br>Note 1 :—Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwise will qualified.<br><br>Note 2 :—The qualification (s) experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. |  |                         |                                       | Age : No<br>Educational Qualification : Yes   | 1 year for direct recruits  | 66-2/3% by direct recruitment<br>33-1/3% by transfer or deputation (including short-term contract/promotion failing which by direct recruitment).<br><br>Note:—The officer who has been appointed on a regular basis to the post in the revised scale of Rs. 1500-2000 (revised to Rs. 1500-2500) prior to the notification of these rules, shall be deemed to have been so appointed to the post in the revised pay-scale. |  |
| In case of recruitment by promotion/deputation/transfer If a DPC exists what is its composition  |  |                         |                                       |   | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.  |   |  |
| 12   |  |                         |                                       |   | 13  |   | 14   |
| Promotion/Transfer or deputation (including short-term contract)<br>1. Grade-I officers of the Indian Economic Service,<br>2. Officers under the Central/State Govts./Universities/Govt. Research Institutions.<br>(a) (i) holding analogous posts in the scale of Rs. 1500-2500;<br>(ii) with 7 years teaching/research experience in the scale of Rs. 1500-2000; or  |  |                         |                                       |   | Gr. 'A' DPC (for considering confirmation)<br>1. Director, LBSNAA—Chairman.<br>2. Joint Director-LBSNAA-Member.<br>Note :—The proceedings of the DPC relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval, if how ever, these are not approved by  |   | Consultation with the Commission necessary on each occasion. |



(iii) with 5 years teaching/research experience in the scale of Rs. 1200-1900 or equivalent; and  
 (b) possessing the following —  
 Essential:  
 Master's Degree in Economics from a recognised University or equivalent.  
 Desirable:  
 Doctorate in the concerned discipline The Departmental Reader in Economics with 5 years regular service in the grade and possessing a Doctorate Degree in Economics shall also be considered and in case he is selected for appointment to the post the same shall be deemed to have been filled by promotion. (Period of deputation/including contract period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment to the same organisation/department shall ordinarily not exceed 5 years).

the Commission a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the UPSC shall be held.

[No. 13012/6/85-TIN/AIS(III)-K]

संका.निं० 437 —राष्ट्रपति सचिवालय के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (प्रगतिग प्रशासन पत्र) भर्ती नियमावली 1961 जहाँ तक वे अर्थशास्त्र के रीडर के पद से संबंधित हैं उन बातों के सिवाय जिन्हें इस अधिसूचना से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है एतद्वारा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मन्त्री में अर्थशास्त्र के रीडर के पद की भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: (1) इन नियमों का नाम लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी अर्थशास्त्र में रीडर की भर्ती नियमावली, 1985 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान: उक्त पद की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा इसका वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में निविष्ट किये अनुसार होगा।

3. भर्ती की प्रणाली, आयु सीमा तथा अन्य शर्तें: भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शर्तें तथा उक्त पद से संबंधित अन्य बातें उक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 तक में निविष्ट किये अनुसार होंगी।

4. परस्पर बरिष्ठता: इन नियमों की अधिसूचना को तारीख को अर्थशास्त्र के रीडर के पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों को परस्पर बरिष्ठता संबंधित पदों पर उनकी नियमित नियुक्ति होने की तारीख के संदर्भ में निर्धारित की जायेगी।

5. निरर्हताएं:

वह व्यक्ति:—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जांचित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होने हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है उक्त सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा परन्तु यदि केन्द्रिय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अर्जन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट वे सकेगी।

6. नियम शिथिल करने की शक्ति:—जहाँ केन्द्रीय सरकार को यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह, उसके लिये जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों से किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों को बाबत प्राप्ति द्वारा शिथिल कर सकेगी।

व्याप्ति:—इस नियमों में किया गया कोई भी प्रावधान ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रिवायतों पर प्रभाव नहीं डालेगा जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध करना अपेक्षित है।

“अनुसूची”

| पद का नाम            | पदों की संख्या  | वर्गीकरण                                      | वेतनमान                 | क्या अयन पद है अथवा: गैर-अयन पद |
|----------------------|---|---|-------------------------|---------------------------------|
| 1                    | 2   | 3   | 4                       | 5                               |
| अर्थशास्त्र में रीडर | 1*<br>(1986)<br>*कार्य भार को ध्यान में रखते हुए परिवर्तनीय | सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रेड “क”<br>राजपत्रित | र० 1200-50-1300-60-1900 | अयन                             |

|                                    |   |   |   |                                    |
|------------------------------------|---|---|---|------------------------------------|
| <p>सोवो भर्ती के लिये आयु सीमा</p> | <p>क्या केन्द्रीय विद्याल सेवा (वैधान) नियम- 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गये वर्षों का लाभ अनुभव है</p> | <p>सीधी भर्ती के जाने वाले उम्मीदवारों के लिये शैक्षिक तथा अन्य अपेक्षित अर्हताएं</p> | <p>क्या सीधी भर्ती किये जाने वाले उम्मीदवारों के लिये निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्ति के संबंध में भी लागू होंगी</p> | <p>परिष्कार का अवधि यदि कोई हो</p> |
|------------------------------------|---|---|---|------------------------------------|

6 7 8 9 10

|  |            |   |   |                                   |
|--|------------|---|---|-----------------------------------|
| <p>अधिमार्ग: 45 वर्षों से कम (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों अथवा भाषेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष की छूट)<br/>टिप्पणी :—आयु-सीमा निर्धारित किये जाने के लिये निम्नलिखित तारीख बही होगी जो तारीख भारत (अंशमान व निकोबार द्वीप समूह श्री लक्षद्वीप को छोड़कर) में उम्मीदवारों से आबेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तारीख होगी।</p> | <p>हाँ</p> | <p>अनिवार्य :<br/>(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डाक्टर की उपाधि अथवा समकक्ष<br/>(2) अध्यापन/अथवा अनुसंधान में पाँच वर्ष का अनुभव।<br/>टिप्पणी :—अभ्यन्ता सुयोग्य अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अर्हताओं में छूट दी जा सकती है।<br/>टिप्पणी : 2. यदि चयन के किसी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का यह मत हो कि अनु० ज०/अनु० ज० जातियों के लिये आरक्षित पदों पर भर्ती के लिये इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है तो इन समुदायों के उम्मीदवारों के मामलों में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अर्हता (ओं), अनुभव में छूट दी जा सकती है।</p> | <p>आयु: नहीं<br/>शैक्षिक अर्हताएं : हाँ</p> | <p>सीधी भर्ती के लिये एक वर्ष</p> |
|--|------------|---|---|-----------------------------------|

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <p>भर्ती की पद्धति, कर्मचारी प्रवर्ग तथा शैक्षणिक अथवा स्वतन्त्रता आदि तत्त्वों के अन्तर्गत भर्ती के लिये जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता</p> | <p>पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती के मामले में बहुप्रेष जिन्से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है</p> | <p>यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है है तो इस का गठन</p> | <p>बहुपश्चिधतियां जिन में भर्ती करने के लिये संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है</p> |
|--|---|---|--|

11 12 13 14

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <p>पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्वतन्त्रता द्वारा (जिसमें अल्पकालिक अनुबन्ध शामिल है) जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।<br/>टिप्पणी : ऐसे अधिकारी जिन्हें इन नियमों के अधिभूत करने से पहले 50 1500-2000 (जिसे बाद में संशोधित करके 1500-2500 कर दिया गया) के पूर्व संशोधित बतनमान वाले पद में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है उन्हें संशोधित बतनमान वाले पद में नियुक्त किया गया अवकाश जायेगा।</p> | <p>पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्वतन्त्रता (जिस में अल्पकालिक अनुबन्ध शामिल है)<br/>(क) भारतीय अर्थ सेवा के ग्रेड-II अधिकारी अथवा<br/>(ख) केन्द्रीय/राज्य सरकारों/विश्व-विद्यालयों/सरकारी अनुसंधान संस्थानों के अधीन :-<br/>(1) 50 1200-1900 के बतनमान में सादृश्य पदों पर कार्यरत अधिकारी अथवा<br/>(2) 50 1100-1600 के बतनमान वाले पदों में अध्यापन/अनुसंधान का 2 वर्ष का अनुभव।<br/>(3) ऐसे अधिकारी जिनके पास निम्न अर्हताएं हो :-</p> | <p>ग्रेड "क" विभागीय पदोन्नति समिति स्थापना पर विचार करने के लिये)<br/>1. निदेशक-ला०ब०शा०रा०प्र०अकादमी<br/>—अध्यक्ष<br/>2. संयुक्त निदेशक, ला०ब०शा०रा०प्र०अकादमी<br/>—सदस्य<br/>टिप्पणी :- स्थापना के संशोधित विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाहियां अनुसंधान के लिये आयोग को भेजी जायेगी। किन्तु यदि, इन्हें आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य का अध्यक्षता में विभागीय पदोन्नति समिति को एक नहीं बैठक होगी।</p> | <p>प्रत्येक अवसर पर चयन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जायेगा।</p> |
|--|--|---|--|

अनिवार्य :  
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थ

शास्त्र में मास्टर डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता हो।

बाछनोय :

सर्धधित विषय में डाक्टर की उपाधि।

2.—अर्थशास्त्र में ऐसे विभागीय सहायक प्रोफेसर जिनकी ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा है, तथा उनके पास अर्थशास्त्र में डाक्टर की उपाधि है, उनपर भी विचार किया जायेगा तथा यदि वे पद पर नियुक्ति के लिये चुन लिये जाते हैं, तो, इन पदों को पदोन्नति द्वारा भरा गया समझा जायेगा।

(उसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पहले धारित अन्य संवर्ग वाले पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

[सं 13012/6/85-टी आर एन/सं०भा०से० (III)-ए००]

G.S.R. 437.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in super-session of the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (Training Establishment Posts) Recruitment Rules, 1961 in so far as they relate to the post of Reader in Economics, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regarding the method of recruitment to the post of Reader in Economics in the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration Reader in Economics Recruitment rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay :—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications :—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Inter-se seniority :—The inter-se seniority of persons holding the posts of Reader in Economics on the date

of notification of these rules, shall be determined with reference to the date of regular appointment to the respective posts.

5. Disqualification :—No person —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the above post :

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax :—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in Consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving :—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

| Name of post         | No. of posts                       | Classification              | Scale of pay              | Whether selection post or non-selection post. | Age limit for direct recruits.   | Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972. |
|----------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 1                    | 2                                  | 3                           | 4                         | 5   | 6  | 7  |
| Reader in Economics. | 1* (1986)<br>*Subject to variation | G.C.S. Gr. 'A'<br>Gazetted. | Rs. 1200-50-1300-60-1900. | Selection                                     | Pref-erably below 45 years.<br>(Relaxable for Govt. Servants upto 5 years in ac- | Yes.   |

| 1   | 2   | 3  | 4   | 5 | 6   | 7 |
|---|---|--|---|---|---|---|
|   | dependent on workload.  |  |   |   | cordance with the instructions or orders issued by the Central Government.<br>Note:— The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep). |   |
| 8   | 9   | 10   | 11  |   |   |   |
| Essential:<br>(i) Doctorate in Economics from a recognised University or equivalent.<br>(ii) 5 years experience in teaching and/or research.<br>Note. 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwise unqualified.<br>Note. 2: The qualification(s) experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from those communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.   | Age: No.<br>Educational qualifications: Yes.  | 1 year for direct recruits.  | By promotion/transfer on deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment.<br>Note: The officers who have been appointed on a regular basis to the post in the pre-revised Scale of Rs. 1100-1600 (revised to Rs. 1200-1900) prior to the notification of the rules, shall be deemed to have been appointed to the post in the revised pay scale. |   |   |   |
| In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made  |   | If a DPC exists what is its composition                            | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment   |   |   |   |
| 12  | 13  | 14   |   |   |   |   |
| Promotion/Transfer on deputation (including short-term Contract): A. Grad-II Officers of the Indian Economic Service.<br>OR<br>B. Officers under the Central/State Govts./Universities/Govt. Research Institutions:<br>(i) holding analogous posts, in the scale of Rs. 1200-1900; or<br>(ii) with 7 years teaching/research experience in posts in the scale of Rs. 1100-1600 or equivalent; and<br>(iii) possessing Essential Master's Degree in Economics from a recognised University or equivalent; Desirable:— Doctorate in the concerned discipline.<br>2. The departmental Asstt. Professors of Economics with 5 years regular service in the grade and possessing a Doctorate in Economics will also be considered and in case he is selected for appointment to the post, same shall be deemed to have been filled by promotion.<br>(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment to the same organisation/department shall ordinarily not exceed 4 years.) | Gr. 'A' DPC (for considering confirmation)<br>1. Director, LBSNAA—Chairman.<br>2. Joint Director, LBSNAA—Member<br>Note:— The proceedings of the DPC relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the UPSC shall be held. | Selection on each occasion shall be made in consultation with UPSC |   |   |   |   |

नई दिल्ली, 30 मई, 1986

सा.का.नि. 438—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परस्पर द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (प्रशिक्षण स्थापना पद) भर्ती नियमावली, 1961 जहाँ तक वे हिन्दी के सहायक प्रोफेसर से संबंधित हैं उन बातों के सिवाय जिन्हें हम अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है एतद्द्वारा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में हिन्दी के सहायक प्रोफेसर पद की भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: (1) इन नियमों का नाम लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी हिन्दी के सहायक प्रोफेसर भर्ती नियमावली, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, बर्गीकरण तथा वेतनमान: उक्त पद की संख्या, उसका बर्गीकरण तथा इसका वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 तक में निर्दिष्ट किए अनुसार होंगे।

3. भर्ती की प्रणाली, आयु सीमा तथा अन्य शर्तें: भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शर्तें तथा उक्त पद से संबंधित अन्य बातें उक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 तक में निर्दिष्ट किए अनुसार होंगे।

4. परस्पर बरिष्ठता: इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को हिन्दी के सहायक प्रोफेसर के पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की परस्पर बरिष्ठता संबंधित पदों पर उनकी नियमित नियुक्ति होने की तारीख के संदर्भ में निर्धारित की जायगी।

5. निरहताएं: वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिम्मेदार पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है उक्त सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का मनाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनु-श्रेय है और ऐसा करने के लिए अन्य प्राधान्य है तो वह किसी व्यक्ति को इन नियमों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. नियम गिथिल करने की शक्ति: जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह, उनके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों से किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की वास्तव आदेश द्वारा गिथिल कर सकेगी।

7. व्याप्ति: इन नियमों में किया गया कोई भी प्राधान्य ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगा जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

हिन्दी के सहायक प्रोफेसर के पद के लिए भर्ती नियम

| पद का नाम   | पदों की संख्या  | बर्गीकरण  | वेतनमान  | क्या अन्य पद है अथवा और अलग पद                                 |
|---|---|---|--|--|
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5  |
| हिन्दी के सहायक प्रोफेसर  | 2*<br>(1986)<br>*कार्यभार को ध्यान में रखते हुए परिवर्तनीय।   | सामान्य केन्द्रीय सेवा, ग्रेड "क" राजपत्रित   | घ. 700-40-900-द.रो.-<br>40-1100-50-1250-<br>द.रो.-50-1600  | नयन  |
| सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा  | क्या केन्द्रीय सचिव सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ अनुश्रेय है | सीधी भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए शैक्षिक तथा अन्य अपेक्षित शर्तें  | क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक शर्तें पब्लिश व्यक्तियों के संबंध में भी लागू होंगी | परिष्कार कि अधि यदि कोई हो                                     |
| 6   | 7   | 8   | 9  | 10   |
| 40 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए विवेकों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक छूट) | हां   | अनिवार्य :<br>1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में एम फिल डिग्री।<br>2. अध्यापन तथा/अथवा अनुसंधान में 2 वर्ष का अनुभव। | आयु: वही शैक्षिक शर्तें: नहीं परन्तु किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से हिन्दी में कम से कम मास्टर डिग्री अथवा सम-         | सीधी भर्ती के लिए 1 वर्ष तथा पब्लिश व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। |

टिप्पणी : आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख (अण्डमान और निकोबार और लक्षद्वीप के उम्मीदवारों को छोड़कर) भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख होगी।

वांछनीय : आधुनिक पद्धतियों तथा तकनीकों द्वारा हिन्दी भाषी व्यक्तियों को अंग्रेजी माध्यम से हिन्दी पढ़ाने का अनुभव।

कक्ष योग्यता अवश्य होनी चाहिए।

2. हिन्दी में तकनीकी शब्दों की जानकारी।

टिप्पणी :

1. अन्वया मुयोग्य ब्रह्मता प्राप्त उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर ब्रह्मताओं में छूट दी जा सकती है।
2. यदि चयन के किसी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का यह मत हो कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों पर भर्ती के लिए इन समूहों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो इन समूहों के उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर ब्रह्मता (ओं), अनुभव में छूट दी जा सकती है।

भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति अथवा स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में वह ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है।

यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो इसका गठन

वह परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाता है

11

12

13

14

1. 50 प्र. पदोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा।
2. 50 प्र. प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा (जिसमें अल्पकालिक अनुबंध भी शामिल है)/स्थानांतरण द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

टिप्पणी : ऐसे अधिकारी जिन्हें इन नियमों के अधिमूर्च्छित किए जाने से पहले रुपये 700-1300 (जिसे बाद में संशोधित करके रुपये 700-1600 कर दिया) के पूर्व संशोधित वेतनमान वाले पद में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया हो उन्हें संशोधित वेतनमान वाले पद में नियुक्त किया गया समझा जाएगा।

पदोन्नति :

अनुदेश (हिन्दी के साथ इस ग्रेड में 10 वर्ष की नियमित सेवा) प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/स्थानांतरण (अल्पकालिक अनुबंध सहित) केन्द्रीय/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों, सरकारी अनुसंधान संस्थानों के अधीन ऐसे अधिकारी जो—  
(क) i. सादृश्य पदों पर कार्यरत हों अथवा  
ii. रु. 700-1300 अथवा समकक्ष वेतनमान में 2 वर्ष का अध्ययन/अनुसंधान अनुभव रखते हों।

(ख) आधुनिक पद्धतियों तथा तकनीकों द्वारा अहिन्दीभाषी व्यक्तियों को अंग्रेजी माध्यम से हिन्दी पढ़ाने का अनुभव।

(ग) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में मास्टर डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता।

(उसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पहले धारित अन्य संवर्ग वाह्य पद में प्रतिनियुक्ति/अनुबंध की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति/अनुबंध की अवधि माधारणतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)

ग्रेड "क" विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) :

1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग.  
—अध्यक्ष
  2. संयुक्त निदेशक—लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी—सदस्य
  3. उप निदेशक (प्रशासन)—लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी—सदस्य  
समूह "क" विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायी कर पर विचार करने के लिए) :
  1. संयुक्त निदेशक—लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी  
—अध्यक्ष
  2. उप निदेशक (प्रशासन)—लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी—सदस्य
- टिप्पणी : स्थायीकरण से संबंधित विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाहियों को अनुमोदन के लिए आयोग को भेजा जाएगा यदि उन्हें आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है तो विभागीय पदोन्नति समिति की एक नई बैठक बुलाई जाएगी जिसकी अध्यक्षता संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य द्वारा की जाएगी।

New Delhi, the 30th May, 1986

G.S.R. 438.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (Training Establishment Posts) Recruitment Rules, 1961 in so far as they relate to the post of Assistant Professor in Hindi, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Professor in Hindi in the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration Assistant Professor in Hindi Recruitment Rules, 1986.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Number of post, classification and scale of pay :—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
3. Method of recruitment, age limit and other qualifications :—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.
4. Inter-se seniority :—The inter-se seniority of persons holding the posts of Assistant Professor in Hindi on the date

of notification of these rules, shall be determined with reference to the date of regular appointment to the respective posts.

## 5. Disqualification—No person—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the above post :

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax :—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commissions, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving :—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

| Name of post   | No. of posts  | Classification   | Scale of pay  | Whether selection post or non-selection post.  | Age limit for direct recruits   | Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972. |
|--|---|--|---|--|---|--|
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5  | 6   | 7  |
| Assistant Professor in Hindi   | 2* (1986)<br>*Subj ct to variation dependent on workload. | G.C.S. Gr. 'A' Gazetted.   | Rs. 700-10,900-<br>EB-40-1100-50-<br>1250-EB-50-<br>1600. | Selection  | Not exceeding 40 years. (Relaxable for Govt. servants upto 5 years in accordance with the instruction or orders issued by the Central Govt.)<br>Not: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). | Yes  |
| Educational and other qualifications required for direct recruits.                                       |   | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the cases of promotions. | Period of Probation, if any.                              | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods.                       |   |  |
| 8  |   | 9  | 10  | 11   |   |  |
| Essential:   |   | Age: No. E.Qs.: No but must at least possess a Masters Degree in Hindi from a recognised                         | 1 year for direct recruit and 2 years for promotees.      | (1) 50% by promotion failing which by transfer on deputation.<br>(2) 50% by transfer on deputation (including short-term contract) transfer failing which by direct recruitment. |   |  |
| 1. M.Phil. Degree of a recognised University in Hindi.<br>2. 2 years experience in teaching or research. |   |  |   |  |   |  |

| 8  | 9  | 11  |
|--|--|---|
| <p>Notes 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Notes 2 : The Qualifications experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if at any stage of selection, the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to filling the vacancies reserved for them.</p> <p>Desirable:<br/>Experience of teaching Hindi through English Medium, to non-Hindi speaking persons by modern methods and technique.<br/>(?) Knowledge of technical terms in Hindi.</p>  | University or equivalent.  | <p>Note: The officers who have been appointed on a regular basis in the post in the pre-revised scale of Rs. 700-1300 (revised to Rs. 700-1600) prior to the notification of these rules shall be deemed to have been appointed to the post in the revised pay scale.</p> |
| In case of recruitment by promotion/deputation/transfer for grades from which promotion/deputation/transfer to be made.  | If a DPC exists what is its composition.   | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.  |
| 12   | 13   | 14  |
| <p>Promotion:<br/>Instruction (Hindi with 10 years regular service in the grade). Transfer on deputation/transfer (including short-term contract) Officers under the Central/State Govts./Universities, Govt. Research Institutions :—<br/>(a) (i) holding analogous posts; or (ii) with 2 years teaching/research experience in the scale of Rs. 700-1300 or equivalent and including/<br/>(b) experience in teaching Hindi through English Medium to non-Hindi speaking persons by modern methods and techniques.<br/>(c) possessing a Master's Degree in Hindi from a recognised University or equivalent. (Period of deputation/contract including period of deputation/contract is another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/department shall not exceed 3 years).</p> | <p>Grade 'A' DPC (for considering promotion) :<br/>1. Chairman//Member, UPSC—Chairman.<br/>2. Joint Director, LBSNAA—Member.<br/>3. Deputy Director, (Admn) LBSNAA—Member.<br/>Grade 'A' DPC (for considering confirmation) :<br/>1. Jt. Director, LBSNAA—Chairman<br/>2. Deputy Director (Admn) LBSNAA—Member<br/>Note : The proceedings of the DPC relating to confirmation shall be sent to the commission for approval. If, however these are not approved by the Commission a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the UPSC shall be held.</p> | Selection on each occasion shall be made in consultation with the UPSC  |

[No. 13012/6/85-TIN/AIS(III)-D]

मा. का. नि. 439—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परस्पर द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (प्रशिक्षण स्थापना पद) भर्ती नियमावली 1961 (जहाँ तक वे अर्थशास्त्र के सहायक प्रोफेसर के पद से सम्बन्धित है उन बातों के सिवा जिन्हें इस अधिसूचना से पूर्व किया गया है या करने का सोच किया गया है एतद्वारा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में अर्थशास्त्र के सहायक प्रोफेसर के पद की भर्ती को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: (1) इन नियमों का नाम लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी अर्थशास्त्र के सहायक प्रोफेसर भर्ती नियमावली, 1961 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान: उक्त पद की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा इसका वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 तक में निर्दिष्ट किए अनुसार होगा।
- भर्ती की प्रणाली, आयु सीमा तथा अन्य शर्तें: भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शर्तें तथा उक्त पद से सम्बन्धित अन्य बातें उक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 तक निर्दिष्ट किए अनुसार होंगी।
- परस्पर अतिरिक्तता: इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को अर्थशास्त्र के सहायक प्रोफेसर के पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की परस्पर अतिरिक्तता संबंधित पदों पर उनकी नियमित नियुक्ति होने की तारीख के संवत् में निर्धारित की जाएगी।
- निरक्षरता: वह व्यक्ति,
  - जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या
  - जिसने अपने पति अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है उक्त सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।



परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधारा है तो वह किसी व्यक्ति को इन नियमों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. नियम शिथिल करने की शक्ति.—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों में किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

#### 7. व्यावृत्ति.—

इस नियमों में किया गया कोई भी प्रावधान ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगा जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

अर्थशास्त्र के सहायक प्रोफेसर के पद के लिए भर्ती नियम

| पद का नाम                     | पदों की संख्या   | वर्गीकरण                                | वेतनमान   | क्या चयन पद है<br>अथवा गैर-चयन पद |
|-------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|
| 1                             | 2  | 3                                       | 4   | 5                                 |
| अर्थशास्त्र का सहायक प्रोफेसर | 2* (1986)<br>*कार्यभार को ध्यान में रखते हुए परिवर्तनीय। | सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्र | र. 700-40-900-द. रो.-40-1100-50-1250-द. रो.-50-1600 | लागू नहीं होता                    |

#### अनुसूची

| 6  | 7   | 8  | 9  | 10                               |
|--|---|--|--|----------------------------------|
| सौधी भर्ती के लिए आयु सीमा   | क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा में जोड़े गए पदों का लाभ अनुज्ञेय है | सौधी भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए शैक्षिक तथा अन्य अपेक्षित प्रहाराण   | क्या सौधी भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक प्रहाराण पदोन्नत व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी लागू होगी | परिक्षा की अवधि यदि कोई हो।      |
| 40 वर्ष से अधिक नहीं।<br>(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)<br>टिप्पणी: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख (अण्डमान तथा निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के उम्मीदवारों को छोड़कर) भारत में उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तारीख होगी। | हां   | अनिवार्य:<br>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय से अर्थशास्त्र में एम फिल की उपाधि।<br>(ii) अध्यापन और/अथवा अनुसंधान में दो वर्ष का अनुभव।<br>टिप्पणी 1: अन्यथा सुयोग्य प्रहृता प्राप्त उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर प्रहृताओं में छूट दी जा सकती है।<br>टिप्पणी 2: यदि चयन के किसी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का यह मत हो कि अनु. जातियों/अनु. जनजातियों के लिए आरक्षित पदों पर भर्ती के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो इन समुदायों के उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर प्रहृता(ओं) अनुभव में छूट दी जा सकती है। | लागू नहीं होता   | सौधी भर्ती वालों के लिए एक वर्ष। |

| भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती प्रथम पदोन्नति प्रथम स्थापना द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता  | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती के मामले में वह श्रेष्ठ जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है   | यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो इसका गठन  | बहु परिस्थितियों जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है |
|---|---|---|---|
| 11  | 12  | 13  | 14  |
| <p>प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण :<br/>(जिसमें अल्पकालिक अनुबंध शामिल हैं) ।<br/>स्थानान्तरण जिनके तहत होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।<br/>टिप्पणी : ऐसे अधिकारी जिन्हें इन नियमों के अधिसूचित करने से पूर्व रु. 700-1300 (जिसे बाद में संशोधित करने के 700-1600 कर दिया गया) के पूर्व संशोधित वेतनमान वाले पद में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है उन्हें संशोधित वेतनमान वाले पद में नियुक्त किया गया समझा जाएगा ।</p> | <p>प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण :<br/>(अल्पकालिक अनुबंध सहित)/स्थानान्तरण ।<br/>(क) भारतीय अर्थ सेवा के ग्रेड-शु के अधिकांश ।<br/>अथवा<br/>(ख) केन्द्रीय/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों/अर्ध-सरकारी, सार्वजनिक निकायों के अधिकारी :—<br/>(i) जो सक्रिय पदों पर कार्य कर रहे हों, अथवा<br/>(ii) जिन्हें अग्र्यापन/अनुसंधान में 2 वर्ष का अनुभव है, और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की मास्टर की उपाधि तथा समकक्ष योग्यता हो उसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पहले धारित अन्य संबंधित माध्यम पद प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p> | <p>ग्रेड "क" विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायी करण पर विचार करने के लिए) :<br/>1. संयुक्त निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी<br/>—अध्यक्ष<br/>2. उप निदेशक (प्रशा.) लाल ब. शा. रा. प्र. अकादमी —सदस्य<br/>टिप्पणी : स्थायीकरण से संबंधित विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाहियों को अनुमोदन के लिए आयोग में भेजा जाएगा यदि इन्हें आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता तो विभागीय पदोन्नति समिति की एक नई बैठक बुलाई जाएगी जिसकी अध्यक्षता संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा किसी सदस्य द्वारा की जाएगी ।</p> | <p>प्रत्येक प्रसंग पर अथवा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाएगा ।</p>         |

[सं. 13012/6/85-टी आई एन/अ.भा.से. (III)-एन]

G.S.R. 439.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (Training Establishment Posts) Recruitment Rules, 1961 in so far as they relate to the post of Assistant Professor in Economics, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Professor in Economics in the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration Assistant Professor in Economics Recruitment Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay :—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications :—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Inter-se seniority :—The inter-se seniority of persons holding the posts of Assistant Professor in Economics on the

date of notification of these rules, shall be determined with reference to the date of regular appointment to the respective posts.

5. Disqualification :—No person—

- who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the above post :

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax :—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commissions, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving :—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

| Name of post   | No. of posts  | Classification                              | Scale of pay   | Whether selection post or non-selection post | Age limit for direct recruits   | Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972 |
|--|---|---|--|--|---|---|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   |
| Assistant Professor in Economics   | 2* (1986)<br>*Subject to variation dependent on workload. | General Central Service Group 'A' Gazetted. | Rs. 700-40-900-1250-EB-50-1600.  | N.A.   | Not exceeding 40 years. (Relaxable for Govt. servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)<br>Note:— The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep).                    | Yes   |
| Educational and other qualifications required for direct recruits  |   |   | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees  | Period of probation, if any                  | Method of recruitment whether by direct recruitment or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods   |   |
|  | 8   |   | 9  | 10   | 11  |   |
| Essential:<br>(i) M.Phil. degree of a recognised University in Economics.<br>(ii) 2 years experience in teaching and/or research.<br>Note 1:— Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwise well qualified.<br>Note 2:— The qualification(s) experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from those communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. |   |   | N.A.   | 1 year for direct recruits.                  | By transfer on deputation (including short-term contract/transfer) failing which by direct recruitment.<br>Note:— The officers who have been appointed on a regular basis in the post in the pre-revised scale of Rs. 700-1300 (Revised to Rs. 700-1600) prior to the notification of these rules, shall be deemed to have been appointed to the post in the revised pay-scale. |   |
| In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made.  |   |   | If a DPC exists what is its composition  |  | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment   |   |
|  | 12  |   | 13   |  | 14  |   |
| Transfer on deputation (including short-term contract/transfer):— A. Grade IV officers of the Indian Economic Service.<br><br>OR   |   |   | Gp. 'A' DPC (for considering confirmation):<br>1. Joint Director, LBSNAA.—Chairman.<br>2. Deputy Director, (Admn.) LBSNAA.—Members<br>Note:— The proceedings of the DPC relating |  | Selection on each occasion shall be made in consultation with UPSC.   |   |

B. Officers under the Central/State Govts./Universities/Recognised Research Institutions/Semi-Govt. Statutory or Autonomous organisations—

- (i) holding analogous posts, or  
(ii) with 2 years teaching/research experience possessing a Master's Degree in Economics from a recognised University or equivalent.

(Period of deputation/contract including period of deputation/contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/Department shall not exceed 3 years.)

to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the UPSC shall be held.

[No. 13012/6/85-TIN/AIS(iii)-M]

सा. का. नि. 440. —राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रस्तुत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (प्रशिक्षण स्थापन पद) भर्ती नियमावली 1961 जहाँ तक व लोक प्रशासन में सहायक प्रोफेसर के पद से संबंधित हैं उन बातों के सिवाय जिन्हें इस अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है एतद्वारा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में लोक प्रशासन में सहायक प्रोफेसर के पद की भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का नाम लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी लोक प्रशासन में सहायक प्रोफेसर भर्ती नियमावली, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा इसका वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 तक में निर्दिष्ट किए अनुसार होगा।

3. भर्ती की प्रणाली, आयु सीमा तथा अन्य अर्हताएँ :—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएँ तथा उक्त पद से सम्बन्धित अन्य बातें उक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 तक में निर्दिष्ट किए अनुसार होंगी।

4. परस्पर वरिष्ठता :—इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को लोक प्रशासन में सहायक प्रोफेसर के पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की परस्पर वरिष्ठता संबंधित पदों पर उनकी नियमित नियुक्ति होने की तारीख के संबंध में निर्धारित की जाएगी।

5. निरर्हताएँ : यह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होने हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है

उक्त सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्त्रीय विधि के अधीन अनुश्रेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो यह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. नियम शिथिल करने की शक्ति :—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, बत्ती बह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों में किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाह्य आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्याप्ति :—इन नियमों में किया गया कोई भी प्रावधान ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा से छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगा जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इन संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों, सूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

| पद का नाम                      | पदों की संख्या                                   | वर्गीकरण  | वेतनमान   | क्या ध्यान पद है अथवा नैर-अग्रत पद |
|--------------------------------|--|---|---|------------------------------------|
| 1                              | 2  | 3   | 4   | 5                                  |
| लोक प्रशासन में सहायक प्रोफेसर | 2*<br>(1986)<br>*कार्यभार के आधार पर परिषत्तनीय। | सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप-ए (समूह-क)<br>राजपत्रित। | र. 700-40-900-ब. री. -40-<br>1100-50-1250-ब. री. -50-<br>1600 | लागू नहीं होता                     |

|                            |  |   |  |                             |
|----------------------------|--|---|--|-----------------------------|
| सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा | यथा केन्द्रीय विधिल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा में जोड़े गए वर्षों का लाभ अनुभूय है | सीधी भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए शैक्षिक तथा प्रत्यक्ष प्रवेक्षित अर्हताएं | यथा सीधी भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के संबंध में भी लागू होंगी | परिशीला की अवधि, यदि कोई हो |
|----------------------------|--|---|--|-----------------------------|

| 6   | 7   | 8  | 9               | 10                      |
|---|-----|--|-----------------|-------------------------|
| 40 वर्ष से अधिक नहीं।<br>(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को 5 वर्ष तक छूट दी जा सकती है।)<br>टिप्पणी :—आयु सीमा निर्धारित करने के लिए चर्ची तारीख होगी जो तारीखें भारत (मण्डलान ब निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को छोड़कर) के उम्मीदवारों के आबेदन-पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तारीख होगी। | हाँ | आवश्यक :<br>(1) लोक प्रशासन में एक मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से एम. फिल की उपाधि तथा उसके समकक्ष।<br>(2) अध्यापन और/अथवा अनुसंधान में दो वर्ष का अनुभव।<br>टिप्पणी :—अन्यथा अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के मामले में सब लोक सेवा आयोग के विवेक पर अर्हताओं में छूट दी जा सकती है।<br>टिप्पणी :—यदि चयन के किसी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का यह मत हो कि अपेक्षित अनुभव रखने वाले पर्याप्त उम्मीदवार इन समुदायों में से, उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए उपलब्ध न हो सके तो अनु. जाति तथा अनु. जनजातियों के उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अर्हता (ओं) अनुभव में छूट दी जा सकती है।<br>वास्तविक :—भारतीय प्रशासन के अध्ययन में विशेषज्ञता। | लागू नहीं होंगी | सीधी भर्ती के लिए 1 साल |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| भर्ती की पद्धति, यथा सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति अथवा स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में बहु श्रेष्ठ जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है | यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति बिधमान है तो उसका गठन | वह परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करने के लिए सब लोक सेवा आयोग के परामर्श किया जाता है |
|--|--|--|---|

| 11   | 12  | 13   | 14   |
|--|---|--|--|
| प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/स्थानांतरण ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा। | प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/स्थानांतरण :<br>केन्द्रीय/राज्य सरकारी/विश्वविद्यालयी सरकारी अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी जो (क) (1) ग्राह्य पदों पर कार्य कर रहे हैं अथवा (2) रु. 700-1300 के बेतममान वाले अथवा इसके समतुल्य पदों पर 2 वर्ष का शिक्षण अनुसंधान अनुभव और (ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से लोक प्रशासन में मास्टर की उपाधि अथवा इसके समकक्ष रखने वाला (उसी संगठन विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पहले धारित अन्य संघर्ष-आधार पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त, प्रतिनियुक्ति अनुबंध की अवधि 3 साल से अधिक नहीं होगी) | श्रेष्ठ "क" विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए)<br>1 संयुक्त निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी—अध्यक्ष<br>2 उपनिदेशक (प्रशा.) लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी—सदस्य<br>टिप्पणी :—स्थायीकरण के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाहियाँ अनुमोदन के लिए आयोग को भेजी जाएँगी किन्तु यदि ये आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं की जाती हैं तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य की अध्यक्षता में विभागीय पदोन्नति समिति की एक नई बैठक होगी। | चयन प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाएगा। |

G.S.R. 440.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Lal Bahadur Shastri National Academy of Assistant Professor in Public Administration, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, 1961 in so far as they relate to the post of Assistant Professor in Public Administration, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Professor in Public Administration in the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration Assistant Professor in Public Administration Recruitment Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay:—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications :—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Inter-se seniority :—The inter-se seniority of persons holding the posts of Assistant Professor in Public Adminis-

tration of the date of notification of these rules, shall be determined with reference to the date of regular appointment to the respective posts.

5. Disqualification :—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the above post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax :—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commissions, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving :—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

| Name of post   | No. of posts  | Classification                              | Scale of pay  | Whether selection post or non-selection post. | Age limit for direct recruits  | Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972 |
|--|---|---|---|---|--|---|
| 1  | 2   | 3   | 4   | 5   | 6  | 7   |
| Assistant Professor in Public Adm'n.   | 2* (1986)<br>*Subject to variation dependent on workload. | General Central Service Group 'A' Gazetted. | Rs. 700-40-900-<br>EB-40-1100-50-<br>1250-EB-50-<br>1600.   | N.A.  | Not exceeding 40 years.<br>(Relaxable for Govt. servants upto 5 years) in accordance with the instructions or orders issued by the central Government.)<br>Note:— The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep). | Yes   |
| Educational and other qualifications required for direct recruits  |   |   | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any                   | Method of recruitment whether by direct recruitment or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods  |   |
|  | 8   |   | 9   | 10  | 11   |   |
| Essential:<br>(1) M.Phil. Degree of a recognised University in Public Administration.<br>(2) 2 years experience in teaching and/or research. |   |   | N.A.  | 1 year for direct recruits.                   | By transfer on deputation (including short-term contract/transfer failing which by direct recruitment.   |   |

Note:- Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwise well qualified.

Note:- The qualification(s) experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if at any stage of selection, the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Desirable:

Specialisation in the study of Indian Administration.

| In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made.   | If a DPC exists what is its composition  | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment |
|---|--|---|
| 12  | 13   | 14  |
| Transfer on deputation (including short-term contract/transfers). Officers under the Central/State Governments/Universities/Government Research Institutions (a) (i) holding analogous posts; or (ii) with 2 years' teaching/research experience in posts in the scale of Rs. 700-1300 or equivalent; and (b) possessing Master's Degree in Public Administration from a recognised University or equivalent. (period of deputation) contract including period of deputation/contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/department shall not exceed 3 years). | Gr. 'A' DPC (for considering confirmation).<br>1. Joint Director.<br>LBSNAA-Chairman<br>2. Deputy Director (Admin.)<br>LBSNAA-Member<br>Note: The proceedings of the DPC relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission, a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the UPSC shall be held. | Selection on each occasion shall be made in consultation with UPSC.                             |

[No. 13012/6/85--TIN/AIS(ii)--J]

मा. का. नि. 441:—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (प्रशिक्षण स्थापना पद) भर्ती नियमावली, 1961 (जहाँ तक वे राजनीति सिद्धांत और सांविधानिक विधि प्रोफेसर से संबंधित हैं उन बातों के सिवाय जिन्हें इस अधिसूचना से पूर्व किया गया है या करने का सोच किया गया है एल.द्वारा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में राजनीति सिद्धांत और सांविधानिक विधि के प्रोफेसर के पद की भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का नाम लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी राजनीति सिद्धान्त और सांविधानिक विधि के प्रोफेसर भर्ती नियमावली, 1986 है।
- ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान:—उक्त पद की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा इसका वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 तक में निविष्ट किए अनुसार होगा।
- भर्ती की प्रणाली, आयु सीमा तथा अन्य अर्हताएं:—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा उक्त पद से संबंधित अन्य बातें उक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 तक में निविष्ट किए अनुसार होंगी।
- परस्पर वरिष्ठता:—इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को राजनीति सिद्धान्त और सांविधानिक विधि के प्रोफेसर के पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की परस्पर वरिष्ठता संबंधित पदों पर उनकी नियमित नियुक्ति होने की तारीख के संबंध में निर्धारित की जाएगी।
- निर्हताएं:—वह व्यक्ति—
  - जिम्हें ऐसे व्यक्ति से जिम्हका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, बिवाह किया है, या
  - जिम्हें अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए, किसी व्यक्ति से बिवाह किया है उक्त सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6 नियम शिथिल करने की शक्ति.—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह ग्य हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करने तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

व्याप्ति :—इन नियमों में किया गया कार्य भी प्रावधान ऐसे प्रावधानों, आयु सीमा से छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगा जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

[एफ. संख्या एफ. 3/10 (1)/86—आर. आर.]

राजनीति सिद्धान्त और सांविधानिक विधि के प्रोफेसर के पद के लिए भर्ती नियम

अनुसूची

| पद का नाम   | पदों की संख्या   | वर्गीकरण  | वेतनमान  | क्या अ्यय पद है अथवा गैर-अ्यय पद |
|---|--|---|--|----------------------------------|
| 1   | 2  | 3   | 4  | 5                                |
| राजनीति सिद्धान्त और सांविधानिक विधि के प्रोफेसर <sup>1</sup>   | कार्यभार को ध्यान में रखते हुए परिवर्तनीय (1986)   | सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपक्षित   | 1500-60-1800-100-2000<br>125/2-2500  | अ्यय                             |
| सीधे भर्ती के लिए आयु सीमा  | क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ अनुज्ञेय है | सीधी भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए शैक्षिक तथा अन्य अपेक्षित अर्हताएं  | क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पवीन्तत व्यक्तियों के संबंध में भी लागू होंगी। | परिरीक्षा की प्रथम               |
|   | 6  | 7   | 8  | 9                                |
| अधिमामतः 50 वर्ष से कम (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनु-वेगों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक छूट) | हां  | अतिवार्य<br>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में डाक्टरेट की उपाधि तथा उसके सम-कक्ष<br>(2) अध्यापन और/तथा अनु-संधान में 10 वर्ष का अनुभव<br>टिप्पणी (1) : अन्यथा सुयोग्य अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अर्ह-ताओं में छूट दी जा सकती है।<br>टिप्पणी (2) : यदि अ्यय के किसी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का यह मत हो कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित पदों पर भर्ती के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के | आयु : नहीं<br>शैक्षिक अर्हताएं : हां   | सीधी भर्ती जाणों के लिए 1 वर्ष   |



| 6 | 7 | 8  | 9 | 10 |
|---|---|--|---|----|
|   |   | पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है है तो इन समुदायों के उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर ग्रहता (ओं) अनुभव में छूट दी जा सकती है। |   |    |
|   |   | वांछनीय :—भारत सरकार और राजनीति में अध्ययन में विशेषज्ञता।   |   |    |

भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति अथवा स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में बहू श्रेष्ठ जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है।

यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो इसका गठन

बहु परिस्थितियों जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाता है।

| 11   | 12  | 13  | 14   |
|--|---|---|--|
| पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पकालिक अनुबंध सहित) जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।<br>टिप्पणी :—ऐसे अधिकारी जिन्हें इन नियमों के अधिसूचित किए जाने से पहले रुपये 1500-2000 (जिसे बाद में संशोधित करके 1500-2500 कर दिया गया था) वेतनमान वाले पद में नियमित आधार पर नियुक्ति किया गया हो उन्हें संशोधित वेतनमान वाले पद में नियुक्त किया गया समझा जाएगा। | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण (अल्पकालिक अनुबंध सहित)<br>1. (क) केन्द्रीय/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों सरकारी अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी जो<br>(1) सर्वस्य पदों पर कार्य कर रहे हों ;<br>(2) रु. 1500-2000 वाले वेतनमान में 2 साल का अध्ययन/अनुसंधान अनुभव रखते हों ;<br>(3) रु. 1200-1900 वाले वेतनमान में अध्ययन/अनुसंधान में 5 साल का अनुभव ;<br>अनिवार्य :—<br>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में मास्टर की उपाधि अथवा उसके समकक्ष ;<br>वांछनीय :—संबंधित विषय में डाक्टरेट की उपाधि 2 (राजनीति विज्ञान में विभागीय रीडर (जिसका बाद में राजनीति सिद्धांत और सांविधानिक विधि नाम रखा गया था) का 5 साल का अनुभव, इस श्रेष्ठ में नियमित सेवा हो और राजनीति विज्ञान में डाक्टरेट की उपाधि रखता हो, उस पर भी विचार किया जाएगा यदि इन पद पर नियुक्ति के लिए चुन लिया जाता है तो उस पद को पदोन्नति द्वारा भरा हुआ समझा जाएगा। इसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पहले धारित अन्य संबंधित पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि 4 साल होगी। | श्रेष्ठ-क विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार के लिए)<br>1. अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष<br>2. निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी—सदस्य<br>3. संयुक्त निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी—सदस्य<br>श्रेष्ठ "क" विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए)<br>(1) निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी—अध्यक्ष<br>(2) संयुक्त निदेशक लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी—सदस्य<br>टिप्पणी :—स्थायीकरण से संबंधित विभागीय कार्यवाहियों को अनुमोदन के लिए आयोग में भेजा जाएगा यदि इन्हें आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है, तो विभागीय पदोन्नति समिति की एक नई बैठक बुलाई जाएगी जिसकी अध्यक्षता संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य द्वारा की जाएगी। | प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाएगा। |

G.S.R. 441.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (Training Establishment Posts) Recruitment Rules, 1961 in so far as they relate to the post of Professor of Political Theory and Constitutional Law except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regarding the method of recruitment to the post of Professor of Political Theory and Constitutional Law in the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration Professor of Political Theory and Constitutional Law Recruitment Rules, 1986.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Number of post, classification and scale of pay :—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
3. Method of recruitment, age limit and other qualifications:—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.
4. Inter-se seniority :—The inter-se seniority of persons holding the posts of Professor of Political theory and Consti-

tutional Law on the date of notification of these rules, shall be determined with reference to the date of regular appointment to the respective posts.

5. Disqualifications :—No person —

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the above post :

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax :—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in Consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving :—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

| Name of post  | No. of posts | Classification  | Scale of pay                         | Whether selection post or non Selection post. | Age limit for direct recruits  | Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972. |
|---|--------------|---|--------------------------------------|---|--|--|
| 1   | 2            | 3   | 4                                    | 5   | 6  | 7  |
| Professor of Political Theory and Constitutional Law.   | 1 (1986)     | General Central Service Group 'A' Gazetted.   | Rs. 1500-60-1800-100-2000-125/2-2500 | Selection                                     | Preferably below 50 years (Relaxable for Govt. servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Govt.).<br>Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman & Nicobar Island and Lakshadweep). | Yes.   |
| Educational and other qualifications required for direct recruits   |              | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees |                                      | Period of probation, if any                   | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods  |  |
|   | 8            |   | 9                                    | 10  |  | 11   |
| Essential :<br>(1) Doctorate in Political Science from a recognised University or equivalent.<br>(2) 10 years experience in teaching and/or research. |              | Age : No<br>E. Qs. : Yes.   |                                      | 1 year for direct recruits                    | Promotion/Transfer on deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.<br>Note : The officers who have been appointed on a regular basis in the post in the pre-revised scale of 1500-  |  |

| 8  | 9  | 10   | 11  |   |  |
|--|----|--|---|---|--|
| <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from those communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p> <p><b>DESIRABLE:</b><br/>Specialisation in the study of Indian Government and Politics.</p> |    | 2000, (Revised to 1500-2500) prior to the notification of these rules shall be deemed to have been appointed to the post in the revised pay scale. | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.  |   |  |
| 12   | 13 | 14   | <p>Promotion/transfer on deputation (including short-term contract).</p> <p>1. (a) Officers under the Central/State/Govts./Universities/Govts. Research Institutions</p> <p>(i) holding analogous posts; or</p> <p>(ii) with 2 years' teaching/research experience in the pay scale of Rs. 1500-2000; or</p> <p>(iii) With 5 years teaching/research experience in the scale of 1200-1900; and</p> <p>(b) possessing ESSENTIAL Master's Degree in political Science from a recognised University or equivalent; DESIRABLE Doctorate in the concerned discipline.</p> <p>2. The departmental Reader in Political Science (Re-designated Political Theory &amp; Constitutional Law) with 5 years, regular service in the grade and possessing a Doctorate in Political Science will also be considered and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/department shall ordinarily not exceed 4 years).</p> | <p>If a DPC exists what is its composition.</p> <p>Gr. 'A' DPC (for considering promotion).</p> <p>1. Chairman/Member UPSC—Chairman.</p> <p>2. Director, LBSNAA—Member.</p> <p>3. Joint Director, LBSNAA—Member.</p> <p>Gr. 'A' DPC (for considering Confirmation).</p> <p>1. Director, LBSNAA—Chairman</p> <p>2. Joint Director, LBSNAA—Member.</p> <p>Note: The proceedings of the DPC relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or Member of the UPSC shall be held.</p> | <p>Selection on each occasion shall be made in consultation with UPSC.</p> |

[No. 13012/1]

भा.का.नि. 44:—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीर लाल ब्रह्मचारी (प्रशिक्षण सहायक पद) भर्ती नियमावली, 1981 गठित की राजनीति विज्ञान और संवैधानिक विधि में सहायक 3 के सिवाय किसी इस प्रक्रियण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है। एतद्वारा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मधुरा में राजनीति विज्ञान और संवैधानिक के सहायक प्रोफेसर पद की भर्ती की पद्धति को विनियमित करने हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का नाम लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी राजनीति विज्ञान और संवैधानिक विधि में सहायक प्रोफेसर भर्ती नियमावली, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या वर्गीकरण तथा वेतनमान—उक्त पद की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा इसका वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 तक में निर्दिष्ट किए अनुसार होगा।

3. भर्ती की प्रणाली, आयु सीमा तथा अन्य अर्हताएं: भर्ती की पद्धति, आयुसीमा, अर्हताएं तथा उक्त पद से संबंधित अन्य बातें उक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 तक में निविष्ट किए अनुसार होंगी।

4. परस्पर वरिष्ठता:—इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को राजनीति सिद्धान्त और संविधानिक विधि के सहायक प्रोफेसर के पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की परस्पर वरिष्ठता संबंधित पदों पर उनकी नियमित नियुक्ति होने की तारीख के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी।

5. निरर्हताएं:—वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है उक्त सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अंतर्गत प्रयुक्त है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इन नियमों के अंतर्गत से छूट दे सकेंगे।

6. नियम शिथिल करने की शक्ति:—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों से किसी उच्चतम को किसी वर्ग या वर्ग के व्यक्तियों को वास्तव आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

व्याप्ति:—इन नियमों में किया गया कोई भी प्रावधान ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगा जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

| पद का नाम  | पदों की संख्या  | धर्गीकरण  | वेतनमान  | क्या चयन पत्र है अथवा गैर-चयन पत्र |
|--|---|---|--|------------------------------------|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5                                  |
| राजनीति सिद्धान्त और संविधानिक विधि में सहायक प्रोफेसर   | 1*<br>(1986)<br>*कार्यभार को ध्यान में रखते हुए परिवर्तनीय।   | सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रेड "क" राजपत्रित  | र. 700-40-900-द.रो.-40-1100-50-1250-द.रो.-50-1600  | लागू नहीं होता                     |
| सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा   | क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ अनुज्ञेय है। | सीधी भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए शैक्षिक तथा अन्य अपेक्षित अर्हताएं  | क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के संबंध में में भी लागू होंगी। | परिक्षा की अवधि यदि कोई हो         |
| अधिमानत: 40 वर्ष से कम (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक छूट)   | हां   | अनिवार्य: 1. राजनीति विज्ञान में माध्यमता प्राप्त विश्वविद्यालय में एम. फिल की उपाधि; 2. अध्यापन और/अथवा अनुसंधान में 2 वर्ष का अनुभव।  | लागू नहीं होगा   | सभी भर्ती बाकों के लिए एक वर्ष।    |
| टिप्पणी: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख वही होगी जो तारीख भारत (अंशमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को छोड़कर) में उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तारीख होगी। |   | टिप्पणी: 2 यदि चयन के किसी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का यह मत हो कि अनु. ज. /अनु. ज. जातियों के लिए आरक्षित पदों पर भर्ती के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो इन समुदायों के उम्मीदवारों के मामलों में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अर्हता (ओं) अनुभव में छूट दी जा सकती है। |  |                                    |

6

7

8

9

10

वांछनीय:

भारत सरकार और राजनीति के  
अध्ययन में विशेषज्ञता।

टिप्पणी:

अन्यथा सुयोग्य ग्रहण प्राप्त उम्मीद-  
वारों के मामले में संघ लोक सेवा  
आयोग के विवेक पर ग्रहणार्थों में  
छूट भी जा सकती है।भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती अथवा  
पदोन्नति, अथवा स्थानांतरण द्वारा तथा  
बिभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली  
रिक्तियों की प्रतिशतता।पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती  
के मामले में वह श्रेष्ठ जिनसे पदोन्नति/प्रति-  
नियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है।यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति  
विद्यमान है तो इसका गठनवह परिस्थितियां जिनमें  
भर्ती करने के लिए संघ  
लोक सेवा आयोग से  
परामर्श किया जाना है

11

12

13

14

प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (इसमें  
अल्पकालिक अनुबंध/शामिल है)/  
स्थानांतरण जिसके अंतर्गत पर सीधी  
भर्ती द्वारा।प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पकालिक  
अनुबंध सहित)/

स्थानांतरण:

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय/  
सरकारी अनुसंधान संस्थानों के अधीन अधि-  
कारी जो, (i) (क) रु. 700-1600 के  
वेतनमान में सापेक्ष पदों पर कार्यरत हों  
अथवा2. रु. 700-1300 के वेतनमान वाले अथवा  
समकक्ष पदों में अस्थापित/अनुसंधान का दो  
वर्ष का अनुभव रखते हों(ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से  
राजनीति विज्ञान में मास्टर की उपाधि का  
अभाव इसके समकक्ष योग्यता।(ज) उसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल  
पहले धारित अन्य संघर्ष बाह्य पद में प्रति-  
नियुक्ति सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि  
सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।श्रेष्ठ "क" (विभागीय पदोन्नति समिति)  
(स्थायीकरण पर विचार करने के लिए):

1. संयुक्त निदेशक—सा. ब. शा. रा. प्र.

अकादमी—अध्यक्ष

2. उपनिदेशक—(प्रशासन)—सा. ब. शा.

रा. प्रशासन अकादमी—सदस्य

टिप्पणी:

स्थायीकरण से संबंधित विभागीय पदोन्नति  
समिति की कार्यवाहियों को अनुमोदन के  
लिए आयोग को भेजा जाएगा यदि इसके  
आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता  
तो विभागीय पदोन्नति समिति को एक नई  
बैठक बुलाई जाएगी जिसको अध्यक्षता संघ  
लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा किसी  
सदस्य द्वारा की जाएगी।प्रत्येक अवसर पर संघ  
लोक सेवा आयोग के  
परामर्श से चयन किया  
जाएगा।

[सं. 13012/8/85-टी आई एन/अ. भा. से (III)-जी]

G.S.R. 442.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (Training Establishment Posts) Recruitment Rules, 1961 in so far as they relate to the post of Assistant Professor in Political Theory and Constitutional Law, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Professor in Political Theory and Constitutional Law in the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, namely:—

1. Short title and commencement:—(1) These rules may be called the Lal Bahadur Shastri National Academy

of Administration Assistant Professor in Political Theory and Constitutional Law Recruitment Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay:—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications:—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Inter-se seniority :—The inter-se seniority of persons holding the posts of Assistant Professor in Political Theory and Constitutional Law on the date of notification of these rules shall be determined with reference to the date of regular appointment to the respective posts.

5. Disqualification :—No person —

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the above post :

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law

applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of the rule.

6. Power to relax :—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in Consultation with the Union Public Service Commissions, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving :—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

| Name of post   | No. of posts.  | Classification           | Scale of pay  | Whether selection post or non-selection post | Age limit for direct recruits.  | Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972.  |
|--|--|--------------------------|---|--|---|---|
| 1  | 2  | 3                        | 4   | 5  | 6   | 7   |
| Assistant Professor 1* in Political Theory & Constitutional Law.   | (1986)<br>*Subject to variation dependent on workload. | G.C.S. Gr. 'A' Gazetted. | Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1250-EB-50-1600.   | N.A.   | Not exceeding 40 years (Relaxable for Govt. servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).<br>Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep). | Yes.  |
| Educational and other qualifications required for direct recruits  |  |                          | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees |  | Period of probation if any.   | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods |
|  | 8  |                          | 9   |  | 10  | 11  |
| Essential :  |  |                          | N.A.  |  | 1 year for direct recruits.   | By transfer on deputation (including short term contract)/ Transfer failing which by direct recruitment.  |
| (1) M. Phil Degree of a recognised University in Political Science.  |  |                          |   |  |   |   |
| (2) 2 years experience in teaching and/or research.  |  |                          |   |  |   |   |
| Note : Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwise well qualified.  |  |                          |   |  |   |   |
| Note 2 : The qualification(s) experience is/ are relaxable at the discretion of the UPSC in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from those communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. |  |                          |   |  |   |   |
| Desirable :  |  |                          |   |  |   |   |
| Specialisation in the study of Indian Govt. and Politics.  |  |                          |   |  |   |   |

| In case of recruitment by promotion/deputation/<br>transfer grades from which promotion/deputation/<br>transfer to be made  | If a DPC exists what is its composition  | Circumstances in which Union<br>Public Service Commission is<br>to be consulted in making<br>recruitment |
|---|--|--|
| 12  | 13   | 14   |
| <p>Transfer on deputation (including short term contract)/<br/>Transfer.</p> <p>Officers under the Central Govt./State Govts./ Universities<br/>Govt. Research Institutions—</p> <p>(a) (i) holding analogous posts in the scale of<br/>Rs. 700-1600; or<br/>(ii) with 3 years' teaching/research experience in<br/>posts in the scale of Rs. 700-1300 or equivalent; or<br/>(b) Possessing a Master's Degree in Political Science<br/>from a recognized University or equivalent.</p> <p>(Period of deputation including period of deputation in<br/>another ex-cadre post held immediately preceding this<br/>appointment in the same organisation/department shall<br/>ordinarily not exceed 3 years).</p> | <p>Gr. 'A' DPC (for considering confirmation)</p> <p>1. Joint Director, LBSNAA—Chairman.<br/>2. Deputy Director (Admn.) LBSNAA—<br/>—Member.</p> <p>Note: The proceedings of the DPC relating<br/>to confirmation shall be sent to the Com-<br/>mission for approval. If, however,<br/>these are not approved by the Commis-<br/>sion a fresh meeting to be presided over by<br/>the Chairman or Member of the U.P.S.C.<br/>shall be held.</p> | <p>Selection on each occasion shall<br/>be made in consultation with<br/>U.P.S.C.</p>                    |

[No. 13012/6/85—TIN/AIS (III)—G]

नई दिल्ली, 3 जून, 1986

सा. का. नि. 443.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (प्रशिक्षण स्थापना पद) भर्ती नियमावली, 1961 अर्थात् तक वे राजनीति विद्वान्त तथा सांविधानिक विधि के रीडर के पद से संबंधित हैं हैं उन बातों के सिवाय उन्हें इस अधिग्रहण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है एतद्वारा लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में राजनीति विद्वान्त तथा सांविधानिक विधि के रीडर के पद की भर्ती की पद्धति को विनियमित करने हुए निम्नलिखित नियम अनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और शारम्भ : (1) इन नियमों का नाम लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी राजनीति विद्वान्त तथा सांविधानिक विधि रीडर के भर्ती नियमावली, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान उक्त पद की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा इसका वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कावम 2 से 4 तक में निर्दिष्ट किए अनुसार होगा।

3. भर्ती की प्रणाली, आयु सीमा तथा अन्य अर्हताएं : भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा उक्त पद से संबंधित अन्य बातें उक्त अनुसूची के कावम 5 से 14 तक में निर्दिष्ट किए अनुसार होंगी।

4. परस्पर वरिष्ठता : इन नियमों की अधिमूलना की तारीख को राजनीति विद्वान्त तथा सांविधानिक विधि रीडर के पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की परस्पर वरिष्ठता संबंधित पदों पर उनकी नियमित नियुक्ति होने की तारीख के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी।

5. निरर्हताएं : वह व्यक्ति :-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से त्रिवका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित छोड़े हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है उका वेला में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू किये गये विधि के अंतर्गत अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इन नियमों के अंतर्गत प्रवृत्त नहीं करेगा।

6. नियम विधिल अर्हण की शक्ति : अर्हण केन्द्रीय सरकार को यह शक्ति है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वहाँ, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों में किसी उल्लंघन को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों को प्रवृत्त मादेश द्वारा विधिल कर सकेगी।

व्याप्ति :- इन नियमों में किया गया कोई भी प्रावधान ऐसे व्यक्तियों, आयु सीमा में लड़क और अन्य विधायकों पर प्रभाव नहीं डालेगा जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, एतद्वत्तै जातियों तथा अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

राजनीति सिद्धान्त तथा सांविधानिक विधि के रीडर के पद के लिए भर्ती नियम।

एफ. 3/10(1)/86-भार. प्रार.

## अनुसूची

| पद का नाम   | पदों की संख्या  | वर्गीकरण  | वेतनमान  | क्या अथवा पद है अथवा गैर अथवा पद  |
|---|---|---|--|---|
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5   |
| राजनीति सिद्धान्त तथा सांविधानिक विधि रीडर  | 1* (1986) *कार्यभार को ध्यान में रखते हुए परिवर्तनीय  | सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित   | घ. 1200-50-1300-60 1900  | अथवा  |
| सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा  | क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (वैशन) नियम-बली 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ अनुज्ञेय है                  | सीधी भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए शैक्षिक तथा अन्य अपेक्षित अर्हताएं  | क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के संबंध में भी लागू होगी |   |
| अधिमानतः 45 वर्ष से कम (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक छूट) टिप्पणी :- आयु सीमा निर्धारित किए जाने के लिए निर्णायक तारीख बही होगी, जो तारीख भारत (अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को छोड़कर) में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख होगी। | हैं   | अनिवार्य (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में डॉक्टर की उपाधि अथवा समकक्ष। (2) अध्यापन तथा/अथवा अनुसंधान में 5 वर्ष का अनुभव टिप्पणी -1: अन्यथा सुयोग्य अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अर्हताओं में छूट दी जा सकती है। टिप्पणी-2: यदि अयन के किसी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का यह मत हो कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रारक्षित पदों पर भर्ती के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो इन समुदायों के उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अर्हताओं, अनुभव में छूट दी जा सकती है। यांछनीय: भारतीय सरकार तथा राजनीति के अध्ययन में विशेषज्ञता। | आयु: नहीं। शैक्षिक अर्हताएं: जो  | सीधी भर्ती वालों के लिए एक वर्ष।  |
| भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता  | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती के मामले में बहु श्रेष्ठ तिर्हने रक्षण/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाता है | यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान न हो तो इसका गठन  | वर्ष   | परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है |
| पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसमें अल्पकालिक अनुबंध भी शामिल हैं)   | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसमें अल्पकालिक अनुबंध भी शामिल हैं)  | श्रेष्ठ "न" विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए)  | प्रत्येक क्रम में संघ लोक सेवा आयोग  |   |



| 11   | 12  | 13  | 14 |
|--|---|---|----|
| <p>शामिल है) जिम्मे न होने पर सीबी भर्ती द्वारा।</p> <p>टिप्पणी : ऐसे अधिकारी जिन्हें इन नियमों के अधिसूचित करने से पहले रु. 1100-1600 (जिसे बाद में संशोधित करके 1200-1900) कर दिया गया (के पूर्व संशोधित वेतनमान वाले पद में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है उन्हें संशोधित वेतनमान वाले पद में नियुक्ति किया गया समझा जाएगा।</p> | <p>केन्द्रीय/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/सरकारी निकायों/अनुसंधान संस्थानों के अधीन ऐसे अधिकारी जो (क) (i) साव्यय पदों पर कार्यरत हैं; (ii) जिन्हें रु. 1100-1600 अथवा समतुल्य वेतनमान वाले पदों में 2 वर्ष का अवयवन/अनुसंधान का अनुभव हो।</p> <p>(ख) जिनके पास अनिवार्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री अथवा समकल योग्यता हो।</p> <p>वाछनीय : संबंधित विषय में डॉक्टर की उपाधि (2) राजनीति सिद्धांत तथा सांविधानिक विधि के विभागीय सहायक प्रोफेसरों के ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा हो और राजनीति शास्त्र में डॉक्टर की उपाधि रखते हों, उन पर भी विचार किया जाएगा, यदि उसे पद की भर्ती के लिए चुन लिया जाता है तो उस पद को पदोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा। (उसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के तत्काल पहले धारित अन्य संबंधी बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।</p> | <p>1. अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग-अध्यक्ष के परामर्श से किया जाएगा।</p> <p>2. निदेशक. लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन प्रकाशनी - सदस्य</p> <p>3. संयुक्त निदेशक लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन प्रकाशनी - सदस्य</p> <p>(2) समूह "क" विभागीय पदोन्नति समिति (स्वायीकरण पर विचार करने के लिए)</p> <p>1. निदेशक - लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन प्रकाशनी - अध्यक्ष</p> <p>2. संयुक्त निदेशक - लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन प्रकाशनी - सदस्य</p> <p>टिप्पणी : स्वायीकरण के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाहियां अनुमोदन के लिए आयोग को भेजी जाएगी। किन्तु यदि वे आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं की जाती हैं तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य की अध्यक्षता में विभागीय पदोन्नति समिति की एक नई बैठक होगी।</p> |    |

[सं. 13012/6/85 - टी. आई. एन./अ. भा से. III - एक.]

बी. आर. श्रीनिवासन, अवर सचिव

New Delhi, the 3rd June, 1986

G.S.R. 443.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (Training Establishment Posts) Recruitment Rules, 1961 in so far as they relate to the post of Reader in Political Theory and Constitutional Law, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Reader in Political Theory and Constitutional Law in the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration Mussoorie, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration Reader in Political Theory and Constitutional Law Recruitment Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Inter-se Seniority.—The inter-se seniority of persons holding the posts of Reader in Political Theory and Consti-

tutional Law on the date of notification of these rules, shall be determined with reference to the date of regular appointment to the respective posts.

5. Disqualification.—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the above post :

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in those rules shall affect reservation, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

| Name of post   | No. of posts  | Classification   | Scale of pay              | Whether selection post or Non-selection post                               | Age limit for direct recruits   | Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972  |
|--|---|--|---------------------------|--|---|--|
| 1  | 2   | 3  | 4                         | 5  | 6   | 7  |
| Reader in Political Theory and Constitutional Law.   | 1* (1986)<br>*Subject to variation dependent on workload. | General Central Service Group 'A',<br>Gazetted.  | Rs. 1200-50-1300-60-1900. | Selection  | Preferably below 45 years.<br>(Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).<br>Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands & Lakshadweep). | Yes.   |
| <p>Educational and other qualifications required for direct recruits.</p> <p>Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees</p> <p>Period of probation, if any</p> <p>Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods</p>   |   |  |                           |  |   |  |
| <p>8</p> <p>9</p> <p>10</p> <p>11</p>  |   |  |                           |  |   |  |
| <p>Essential :</p> <p>(1) Doctorate in Political Science from a recognised University or equivalent.</p> <p>(2) 5 years experience in teaching and/or research.</p> <p>Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the U.P.S.C. in case of candidates otherwise will qualify.</p> <p>Note 2 : The qualification(s) experience is/are relaxable at the discretion of the U.P.S.C. in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the U.P.S.C. is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p> <p>Desirable :</p> <p>Specialisation in the study of Indian Govt. and Politics.</p> |   | <p>Age : No.<br/>E. Qs. : Yes.</p>   |                           | <p>1 year for direct recruit.</p>  |   | <p>Promotion/transfer on deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment.</p> <p>Note : The Officers who have been appointed on a regular basis in the post in the pre-revised scale of Rs. 1100-1600 (revised to Rs. 1200-1900) prior to the notification of these rules, shall be deemed to have been appointed to the post in the revised pay-scale.</p> |
| <p>In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made</p> <p>If a DPC exists what is its composition</p> <p>Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment</p>  |   |  |                           |  |   |  |
| <p>12</p> <p>13</p> <p>14</p>  |   |  |                           |  |   |  |
| <p>Promotion/Transfer on deputation (including short-term contract) :</p> <p>(1) Officers under the Central/State Govts./Universities/Govt. Bodies/Research Institutions :</p> <p>(a)(i) holding analogous posts; or</p>   |   | <p>Gr. 'A' DPC (for considering promotion) :</p> <p>1. Chairman/Member, U.P.S.C.—Chairman<br/>2. Director, LBSNAA, —Member<br/>3. Joint Director, LBSNAA —Member</p> <p>(2) Group 'A' DPC (for considering confirmation)</p> |                           | <p>Selection on each occasion shall be made in consultation with UPSC.</p> |   |  |

- (ii) with 2 years teaching/research experience in posts in scale of Rs. 1100-1600 or equivalent; and  
 (b) possessing Essential Masters Degree in Political Science from a recognised University or equivalent;

Desirable :

- (1) Doctorate in the concerned discipline.  
 (2) The departmental Assistant Professors of Political Theory and Constitutional Law with 5 years regular service in the grade and possessing a Doctorate in Political Science will also be considered and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. (period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/department shall ordinarily not exceed 4 years.)

1. Director, LBSNAA, —Chairman  
 2. Jt. Director, LBSNAA —Member  
 Note : Proceedings of the DPC relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or Member of the UPSC shall be held.

[No. 13012/6/85-TIN/AIS (III)-F]  
 V. R. SRINIVASAN, Under Secy.

### वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 1985

सा.का.नि. 444:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंक नोट प्रेस, देवास, समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1975 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, (बैंक नोट प्रेस, देवास, समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1985 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंक नोट प्रेस, देवास, समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1975 की अनुसूची में:

(i) मुख्य रसायनज्ञ (स्याही) ग्रेड II के पद से संबंधित क्रम संख्या 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों रखी जाएंगी, अर्थात्:—

| 1  | 2   | 3                              | 4  | 5   | 6  | 7    | 7क |
|--|---|--------------------------------|--|-----|--|------|----|
| 11. रसायनज्ञ (स्याही और अनुसंधान ग्रेड-II) | 3* (1985) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' | 700-40-900-व.रो.-<br>40-1100-50-<br>1300 रु. | चयन | 35 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या भावदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक क्षिपित की जा सकती है।<br>टिप्पण : आयुसोमा ध्व-धारित करने के लिए निर्णायक तारीख, प्रत्येक मामले में, भारत में अभ्यायियों से (उनसे भिन्न जो अन्वयमान और विकोन्नार द्वीप तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) (आवेषन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। | नहीं |    |

8

9

10

भावश्यक :

नहीं

- (i) सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति के लिए एक वर्ष ।  
(ii) प्रोन्नत अधिकारी के लिए दो वर्ष ।

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की रसायनशास्त्र में मास्टर की डिग्री या रसायन प्रौद्योगिकी या रसायन इंजीनियरी में डिग्री ।

(ii) स्थायी प्रौद्योगिकी से संबंधित रासायनिक, पेंट, बार्निश आदि के विश्लेषण या विनिर्माण में 3 वर्ष का अनुसंधान/विकास/प्रौद्योगिक अनुभव ।

टिप्पण (1) : अर्हताएं अन्यथा सुप्रसिद्ध अभ्यासियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार विधिल की जा सकती हैं ।

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यासियों की दशा में तब विधिल की जा सकती है (है) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए प्रारंभिक रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे ।

11

12

(i) 33-1/3 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) ;

(ii) 66-2/3 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधे भर्ती द्वारा ।

प्रोन्नति :

तकनीकी अधिकारी (स्थायी कारखाना) जिसने उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की हो ।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केंद्रीय/राज्य सरकारों/लोक उपक्रमों/छात्र-सरकारी/कानूनी या स्थायित संगठनों के ऐसे अधिकारी :

(क) (i) जो सर्वत्र पद धारण किए हुए हैं, या

(ii) जिनकी 650-1200 रुपए के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों 3 वर्ष सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास स्तर 8 के नीचे सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अधिकारित वैध अर्हताएं और अनुभव आदि हों। (फीडर श्रेणी में ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति अधिकारी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं हों।)

(प्रतिनियुक्ति संविदा की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी संगठन विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काब्र बाध्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

13

14

(प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए)

(1) समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति :

1. संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य —अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव (कार्य) व्यय विभाग —सदस्य
3. संयुक्त सचिव (करेंसी और सिक्का निर्माण) आर्थिक (कार्य) विभाग —सदस्य

(2) पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति :

1. संयुक्त सचिव (कार्य) व्यय विभाग —अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव (करेंसी और सिक्का निर्माण) आर्थिक (कार्य) विभाग —सदस्य

टिप्पण : पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी किन्तु, यदि उक्त आयोग उक्त अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति भी बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी ।

चयन प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाएगा ।

(ii) रसायन (अनुसंधान) श्रेणी-2 के पद से संबंधित क्रम सं. 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

पाठ टिप्पण: मूल नियम अधिसूचना सं. 3(8)/75-बी.एन.पी. तारीख 26-12-1975 सा.का.वि. 435, तारीख 27-3-76 द्वारा प्रकाशित किए गए पद नवम्बन उनका विमलित द्वारा संशोधन किया गया:

| सा.का.वि. सं.                            | तारीख      |
|--|------------|
| (1) 1030                                 | 17-7-1976  |
| (2) 253                                  | 26-2-1976  |
| (3) 320                                  | 12-3-1977  |
| (4) अधिसूचना सं. का. 3/8/75-बी.एन. पी.   | 21-12-1976 |
| (5) अधिसूचना सं. का. 5/37/76-बी.एन. पी.  | 4-5-1977   |
| (6) 870                                  | 9-7-1977   |
| (7) 989                                  | 30-7-1977  |
| (8) 548                                  | 29-4-1978  |
| (9) 1282                                 | 20-12-1978 |
| (10) 475                                 | 31-3-1979  |
| (11) 550                                 | 17-5-1980  |
| (12) 356                                 | 29-3-1980  |
| (13) 772                                 | 26-7-1980  |
| (14) अधि. सं. एफ. 4/15/80-बी. एन. पी.    | 8-1-1981   |
| (15) 1084                                | 11-12-1981 |
| (16) 100                                 | 31-1-1983  |
| (17) 224                                 | 3-3-1984   |
| (18) 347                                 | 7-7-1984   |
| (19) 1111                                | 27-10-1984 |
| (20) अधिसूचना सं. एफ. 4/20/82-बी.एन. पी. | 25-5-1985  |

[सं. एफ. 4(2), 81-बं

अपर नाथ भाटिया, अपर सचिव

### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 13th December, 1985

G.S.R. 444.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Bank Note Press, Dewas, Group 'A' and Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 1975, namely:—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Bank Note Press,

Dewas, Group 'A' and Group 'B' Posts) Recruitment (Third Amendment) Rules, 1985.

- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Bank Note Press, Dewas, Group 'A' and Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 1975,—

- (i) for serial number 11 relating to the post of Chemist (Ink) Grade-II and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be substituted, namely:—

| 1                                       | 2  | 3  | 4 | 5                                  | 6         | 7  | 7(a) | 8   |
|---|--|--|---|------------------------------------|-----------|--|------|---|
| 11. Chemist (Ink and Research) Grade-II | 3* (1985) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service Group 'A' Gazetted |   | Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1300. | Selection | Not exceeding 35 years. (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).<br>Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other | No   | Essential: (i) Master's degree in Chemistry or Degree in Chemical Technology or Chemical Engineering of a recognised University or equivalent. (ii) 3 years' research/development/industrial experience in analysis or manufacture of resins, paints, varnishes connected with Ink Technology. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public |

| 1  | 2   | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 7a | 8  |
|----|---|--|--|--|---|---|----|--|
|    |   |  |  |  |   | than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). |    | Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.<br>Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. |
| 9  | 10  | 11   | 12   | 13   | 14  |   |    |  |
| No | (i) One year for direct recruit;<br>(ii) Two years for promotee officer | (i) 33-1/3 % by promotion failing which by transfer on deputation (including short-term contract);<br>(ii) 66-2/3 % by transfer on deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment. | Promotion :<br>Technical Officer (Ink Factory) with 3 years' regular service in the grade.<br>Transfer on deputation (including short-term contract)<br>Officers under the Central/State Governments/Public Undertakings/Semi-Government/Statutory or Autonomous Organisations:—<br>(a)(i) holding analogous posts; or<br>(ii) with 3 years' service in posts in the scale of Rs. 650-1200 or equivalent; and<br>(b) possessing the educational qualifications, experience etc. laid down for direct recruits under column 8.<br>(The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation/contract including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding, this appointment in the same organisation/Department shall ordinarily not exceed 3 years). | (1) Group 'A' Departmental Promotion Committee (For considering promotion)<br>1. Chairman/Member Union Public Service Commission—Chairman<br>2. Joint Secretary (Personnel) Department of Expenditure—Member<br>3. Joint Secretary (Currency and Coinage), Department of Economic Affairs—Member<br>(2) Group 'A' Departmental Promotion Committee (For considering confirmation)<br>1. Joint Secretary (Personnel) Department of Expenditure—Chairman<br>2. Joint Secretary (Currency and Coinage) Department of Economic Affairs—Member<br>Note : The Proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a member of the Union Public Service Commission shall be held. | Selection on each occasion shall be made in consultation with the Union Public Service Commission." |   |    |  |

(ii) serial number 12 relating to the post of Chemist (Research) Grade-II and the entries relating thereto, shall be omitted.  
Footnote :— Principal Rules published vide Notification No. F. 3(8)/75 BNP dated 26-12-1975 G.S.R. No. 435, dated 27-3-76 and subsequently amended by:—

| G.S.R. No                            | Date       |
|--------------------------------------|------------|
| (1) 1030                             | 17-7-1976  |
| (2) 253                              | 26-2-1977  |
| (3) 320                              | 12-3-1977  |
| (4) Notification No. F. 3/8/75-BNP   | 21-12-1976 |
| (5) Notification No. F. 5/37/76-BNP  | 4-5-1977   |
| (6) 870                              | 9-7-1977   |
| (7) 988                              | 30-7-1977  |
| (8) 548                              | 29-4-1978  |
| (9) 1282                             | 20-12-1978 |
| (10) 475                             | 31-3-1979  |
| (11) 550                             | 17-5-1980  |
| (12) 356                             | 29-3-1980  |
| (13) 772                             | 26-7-1980  |
| (14) Notification No. F. 4/15/80-BNP | 8-1-1981   |
| (15) 1084                            | 11-12-1981 |
| (16) 100                             | 31-1-1982  |
| (17) 224                             | 3-3-1984   |
| (18) 347                             | 7-7-1984   |
| (19) 1111                            | 27-10-1984 |
| (20) Notification No. F. 4/20/82-BNP | 25-5-1985  |

[No. F.4(2)/81-BNP]  
A. N. BHATIA, Under Secy.

### वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1986

स. नं० का० वि० 445:—वर्तमान के अनुच्छेद 309 के पराम्बुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति जी एतद्वारा वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के वित्तो कर पक्ष में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के पद पर भर्ती के तरीके के लिए निम्नलिखित विनियामक नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संश्लिष्ट नाम तथा प्रारम्भ: (1) इन नियमों को वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) वित्तो कर पक्ष (वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी) भर्ती नियम 1986 कहा जाएगा;

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. संख्या वर्गीकरण तथा वेतनमान: उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण तथा उससे सम्बद्ध वेतनमान वे होंगे जिन्हें इन नियमों से उपायुक्त अनुसूची के कालम 2 से 4 तक विनिर्दिष्ट किया गया है।

3. भर्ती का तरीका, आयु सीमा, अर्हताएं आदि: भर्ती का तरीका, आयु सीमा, अर्हताएं तथा उक्त पद से संबंधित अन्य मामले वे होंगे जिन्हें उक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 तक विनिर्दिष्ट किया गया है।

4. अर्हताएं: कोई भी व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति के साथ शादी की है अथवा शादी का इकरारनामा किया है जिसका पति अथवा पत्नी जीवित है, अथवा

(ख) जिसने पति अथवा पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ शादी की है अथवा शादी का इकरारनामा किया है,

बशर्त कि केन्द्रीय सरकार, यदि इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति पर तथा शादी करने वाले दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत ऐसी शा करनाही अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के लिए अन्य कारण भी हैं, किसी व्यक्ति को इन नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

5. नियमों को शिथिल करने का अधिकार:—जब केन्द्रीय सरकार को यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समयोजित है, तो वह आदेश द्वारा, लिखित रूप में कारण देकर तथा संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके, किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकती है।

6. व्यावृत्ति:—इन नियमों से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष श्रेणियों के लिए आरक्षणों, आयु सीमा को शिथिल करने तथा अन्य विधायकों पर, जो कि इस संबंध में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले आदेशों के अनुसार मुहैया किए जाने अपेक्षित हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

## धनुषी

| पद का नाम  | पदों की संख्या   | वर्गीकरण  | वेतनमान  | क्या प्रवर्धन पद है<br>अथवा नैर प्रवर्धन<br>पद है | सीधी भर्ती किये<br>जाने के लिए<br>ग्राम सीमा  | क्या केन्द्रीय विधि<br>सेवा (वेशन)<br>निमावली 1972<br>के अन्तर्गत सेवा<br>के बर्ष जोड़ने का<br>लाभ अनुभूय है<br>अथवा नहीं | सीधी भर्ती के लिए<br>आवश्यक शैक्षिक<br>तथा अन्य माहिरताएँ |
|--|--|---|--|---|---|---|---|
| 1  | 2  | 3   | 4  | 5   | 6   | 7   | 8   |
| वरिष्ठ अनुसंधान<br>अधिकारी   | 1*<br>(1986)<br>*कार्यभार के<br>अनुसार अन्तर्ण जा<br>सकता है | सामान्य केन्द्रीय सेवा<br>समूह 'क' (राज-<br>पत्रित) | 1100-50-1600 रु.   | लागू नहीं होता है                                 | लागू नहीं होता है   | लागू नहीं होता है   | लागू नहीं होता है   |
| यथा सीधी भर्ती के लिए निर्धारित सीमा तथा<br>शैक्षिक योग्यता परीक्षा के मामले में भी लागू होगी<br>अथवा नहीं   |  | परीक्षा को अर्थात् यदि कोई हो                       | कोई हो   |   | भर्ती का तरीका क्या भर्ती सीधी<br>प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण के माध्यम पर<br>तथा विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का<br>प्रतिष्ठल अनुपात | की जाएगी अथवा<br>का जाएगा   |   |
|  | 9  |   | 10   |   |   | 11  |   |
| लागू नहीं होता   |  | लागू नहीं होता                                      |  |   | प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा   |   |   |
| पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा की जाने वाली भर्ती के<br>मामले में जो बेंड जिनमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण<br>किया जाएगा ।  |  |   | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो<br>उसका स्वरूप क्या है |   | वे परिलब्धियाँ जब भरती करते समय संघ लोक<br>सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।  |   |   |
|  | 12   |   | 13   |   | 14  |   |   |
| प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण<br>केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारियों जो—   |  |   | लागू नहीं होता   |   | प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग के<br>साथ प्रामर्श करने किया जाएगा ।   |   |   |
| (क) (i) नियमित आधार पर मध्य पद स्तरण किए हों;<br>अथवा;<br>(ii) जिनकी 700-1300 रु. अथवा समतुल्य वेतन-<br>मान में किसी पद पर 5 वर्षों का नियमित<br>सेवा हो, अथवा;<br>(iii) 650-1200 रु. अथवा समतुल्य वेतनमान में<br>किसी पद पर 8 वर्षों की नियमित सेवा हो,<br>तथा<br>(ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव हो—  |  |   |  |   |   |   |   |
| (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य<br>अथवा अर्थशास्त्र के साथ द्वितीय अथवा उसके<br>समतुल्य योग्यता विशेषतया कानून में द्वितीय<br>तथा<br>(ii) का कानूनों अर्थात् त्रितीय कक्षा/केन्द्रीय स्तर/एन<br>सीमा शून्य/आयकर का अनुभव हो ।<br>(प्रतिनियुक्ति की अवधि जिनमें इसी संगठन/<br>विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व धारित<br>किसी अन्य पद पर प्रतिनियुक्ति<br>की अवधि भी शामिल है माध्यम पर 3 वर्ष<br>से अधिक नहीं होगी । |  |   |  |   |   |   |   |

[संए- 12018/2/85-प्रशा. I]

जे. एम. लेहन, अधीक्षक सचिव



## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 30th April, 1986

G.S.R. 445.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Research Officer in the Sales Tax Wing of the Ministry of Finance, Department of Revenue, namely :—

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Ministry of Finance (Department of Revenue) Sales Tax Wing (Senior Research Officer) Recruitment Rules, 1986.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

| Name of post  | No. of post   | Classification  | Scale of pay  | Whether Selection post or non-selection post                                | Age limit for direct recruit   | Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972 | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|---|---|---|---|---|--|---|---|
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6  | 7   | 8   |
| 1. Senior Research Officer  | 1* (1986)<br>*Subject to variation dependent on work load | General Central Service Group 'A' (Gazetted)  | Rs. 1100-50-1600  | Not applicable  | Not applicable   | Not applicable  | Not applicable  |
| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of Probation if any                                | Method of rectt. by direct rectt. or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods | Whether rectt. by promotion/deputation/transfer and grades from which promotion/deputation/transfer to be made.   | In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, what is its composition | If a DPC exists, what is its composition                                   | Circumstances in which UPSC is to be consulted in making rectt.                                     |   |
| 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14   |   |   |
| Not applicable  | Not applicable  | By transfer on deputation   | Transfer on deputation : Officers under the Central Govt : (a)(i) holding analogous post on regular basis ; or (ii) with 5 years regular service in posts in the scale of Rs. 700-1300 or equivalent ; or | Not applicable  | Selection on each occasion shall be made in consultation with the U.P.S.C. |   |   |

- (iii) with 8 years' regular service in posts in the scale of Rs. 650-1200 or equivalent; and
- (b) possessing the following educational qualifications and experience—
- (i) Degree in Commerce or with Economics from a recognised University or its equivalent, preferably a degree in Law, and
- (ii) having experience of taxation Laws, viz. Sales Tax/Central Excise-Customs/Income-tax.
- (Period of deputation, including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/department shall ordinarily not exceed 3 years).

[F. No. A. 12018/2/85-Ad. I]  
J.M. TRIFHAN, Under Secy.

### वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 मई, 1986

मा. का. नि. 446:—राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल को अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, निम्न श्रेणी लिपिक (आयात और निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन) भर्ती नियम, 1976 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम श्रेणी लिपिक (आयात और निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन) भर्ती (संशोधन) नियम, 1986 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. निम्न श्रेणी लिपिक (आयात और निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन) भर्ती नियम, 1976 में—
- (i) नियम 3 में परन्तुक का लोप किया जाएगा;
- (ii) नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—  
“6. व्याप्ति—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों आदि सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।
- (iii) (क) अनुसूची में, स्तम्भ 10 के प्रथम प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

“90 प्रतिशत भर्ती सीधी द्वारा  
10 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।”

टिप्पण (1): इस पद्धति में प्रोन्नति व्यक्तियों की अधिकतम संख्या, किसी वर्ष में निम्न श्रेणी लिपिक के फाइल में होने वाली रिक्तियों

के 10 प्रतिशत तक सीमित होगी और न बरी गई रिक्तियां अगले वर्ष अग्रणीत नहीं की जाएंगी।

- टिप्पण (2): (क) वर्ष 1973 में या पहले नियुक्त किए गए सभी टेलीफोन अपरेटरों को आयात और निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन में निम्न श्रेणी लिपिकों की श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है। उनके पूरे दल के वर्ष 1973 में नियमित रूप से नियुक्त किए गए निम्न श्रेणी लिपिकों के नीचे ज्येष्ठता दी जाएगी।
- (ख) वर्ष 1974, 1975 और 1976 में नियुक्त किए गए टेलीफोन अपरेटरों को निम्न श्रेणी लिपिकों की सुचना में ज्येष्ठता उनकी नियुक्ति की तारीख के आधार पर दी जाएगी।
- (ग) वर्ष 1977 और उसके बाद में नियुक्त किए गए टेलीफोन अपरेटरों को उस वर्ष में जिसमें टेलीफोन अपरेटर नियुक्त किए गए थे, खूबी प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्त किए गए निम्न श्रेणी लिपिकों के नीचे ज्येष्ठता दी जाएगी।
- (घ) आयात और निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन में सम्मिलित किए गए टेलीफोन अपरेटरों को 20 रु. प्रतिमास विशेष वेतन, टेलीफोन अपरेटरों के रूप में काम करने के दौरान प्राप्त करने के हकदार होंगे।
- (ङ) टेलीफोन अपरेटर आयात और निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन में उच्च श्रेणी में प्रोन्नति के लिए, उन्हें दी गई ज्येष्ठता के अनुसार पात्र होंगे। उच्च श्रेणी प्रोन्नति हो जाने पर वे टेलीफोन अपरेटर के रूप में काम करना जारी रख सकते हैं क्योंकि निम्न श्रेणी लिपिक और उच्च श्रेणी लिपिक के पदों की अदलाबदली की जा सकती है। तथापि टेलीफोन अपरेटर के रूप में कार्य करते समय उच्च श्रेणी लिपिक 30 रु. प्रतिमास विशेष वेतन प्राप्त करने के हकदार होंगे,

(iii) (ख) स्लब 11 के नीचे विद्यमान प्रविष्टि के स्तर पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“प्रोत्तनि-निम्नलिखित वर्गों के अधीन रहते हुए, समूह ‘ध’ कर्मचारी (नियमित स्थापन में के) (i) चयन परीक्षा विभागीय परीक्षा के माध्यम से होगा, जो ऐसे कर्मचारियों तक सीमित होगी जो न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, अर्थात् मैट्रिक या समतुल्य की अपेक्षा पूरी करने हों,

- (ii) उम्र परीक्षा के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 50 वर्ष) होगी।  
(iii) समूह ‘ध’ में कम से कम पांच वर्ष की सेवा आवश्यक है।

3. आयात और निर्यात व्यापार (नियंत्रण संगठन टेलिफोन ऑपरेटर) भर्ती नियम, 1961 जो अतिसूचना सं. सा.का.नि. 1281, तारीख 11 अक्टूबर, 1961 द्वारा अधिसूचित किए गए थे, को इसके द्वारा निरमित किया जाता है।

पाठ टिप्पण सूत्र नियम भारत के राजपत्र तारीख 6-12-1976 में सा.का.नि. सं. 583 के अधीन प्रकाशित किए गए और तदनुसार सा.का.नि. सं. 1360 तारीख 4-11-1978 द्वारा संशोधित किए गए।

[सा. सं. सं-12018/1/75-व्यवस्था-III]

## MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 29th May, 1986

G.S.R. 446—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Lower Division Clerk (Import and Export Trade Control Organisation) Recruitment Rules, 1976, namely :—

1. (1) These rules may be called the Lower Division Clerk (Import and Export Trade Control Organisation) Recruitment (Amendment) Rules, 1986.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Lower Division Clerk (Import and Export Trade Control Organisation) Recruitment Rules, 1976—

(i) in rule 3, the proviso shall be omitted ;

(ii) for rule 6, the following rule shall be substituted, namely :—

“6. Saving :—

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time ;”

(iii) (a) in the Schedule for the entry under column 10, the following entry shall be substituted, namely :—

“90% by direct recruitment  
10% by promotion;

Note.—(1) The maximum number of promotions by this method shall be limited to 10% of vacancies in

the cadre of Lower Division Clerks occurring in a year and the unfilled vacancies shall not be carried over to the next year.

Note (2) (a) All the Telephone Operators appointed in the year 1973 or earlier, may be inducted to the Grade of Lower Division Clerks in the Import and Export Trade Control Organisation. They shall be assigned seniority en bloc below the regularly appointed Lower Division Clerks appointed in the year 1973.

(b) The Telephone Operators appointed in the years 1974, 1975 and 1976, shall be assigned seniority vis-a-vis the Lower Division Clerks on the basis of their date of appointment.

(c) The Telephone Operators appointed in the year 1977 and thereafter, shall be assigned seniority below the Lower Division Clerks appointed through the Open Competitive Examination of the year in which the Telephone Operators were appointed.

(d) The Telephone Operators on their induction to the Import and Export Trade Control Organisation shall be entitled to a special pay of Rs. 20 per month while working as Telephone Operators.

(e) The Telephone Operators shall be eligible for promotion to the Upper Division Grade in the Import and Export Trade Control Organisation as per the seniority assigned to them. On promotion to the Upper Division Grade, they may continue to work as Telephone Operators as the positions of Lower Division Clerks and Upper Division Clerks are interchangeable. However, Upper Division Clerks, while working as Telephone Operators, shall be entitled to a special pay of Rs. 30 per month”.

III(b) for the entry under column 11, the following entry shall be substituted, namely :—

“Promotion.—Group ‘D’ employees (Borne on regular establishment); subject to the following conditions :—

(i) Selection would be made through a departmental examination confined to such (Group) employees who fulfill the requirement of minimum educational qualification viz. matriculation or equivalent ;

(ii) the maximum age for this examination shall be 45 years (50 years for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees) ;

(iii) atleast five years’ service in Group ‘D’ is essential.

3. The Import and Export Trade Control Organisation (Telephone Operator) Recruitment Rules, 1961, notified vide late Ministry of Commerce and Industry Notification No. GSR-1281, dated the 11th October, 1961, are hereby repealed.

Foot Note.—The original rules were published with GSR No. 583 in the Gazette of India dated 6-12-1976 and subsequently amended by GSR No. 1360 dated 4-11-1978.

[File No. A-12018/1/75-F III]

सा.का.नि. 447:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और आदेशिका नामीयकर्ता सिपाही (आयात और निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन) भर्ती नियम, 1977, को उन बातों के सिवाय अधिकांश करने हुए, जिन्हें ऐसे अधिसूचना में पहले किया गया है, या करने का लोप किया गया है, आयात और निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन में आदेशिका नामीयकर्ता सिपाही के पद/पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आदेशिका नामीयकर्ता सिपाही (आयात और निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन) भर्ती नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त हों।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान:— उक्त पद/पदों की संख्या, उक्त वर्गीकरण और उक्त वेतनमान यह होगा जो इन नियमों से उपाब्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि:— उक्त पद/पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उमसे/उनसे संबंधित अन्य बातें व होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. होम गार्ड के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करने का दायित्व:— इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, इन नियमों के अर्थात् नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, तीन वर्ष की अवधि के लिए होम गार्ड के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करेगा, उन व्यक्तियों को छोड़कर जो ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए शारीरिक रूप से विकलांग है।

परन्तु महासमावेष्टा, होम गार्ड, प्रशिक्षण की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति के कार्य और इगके द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण के स्तर पर विचार करने पर, एसी अवधि को दो वर्ष तक कम कर सकेगा।

5. निरहताएं:— वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिबका प्रति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अर्थात् अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकेगा।

6. शिथिल करने की शक्ति:— जहाँ केन्द्रीय सरकार का यह पय है कि ऐसा करना आवश्यक या सर्वाधिकार है, वहा वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या वर्गों के व्यक्तियों की वास्त, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति:— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य गियायनों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भांगूव सीनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

| पद का नाम  | पदों की संख्या | वर्गीकरण          | वेतनमान    | चयन पद अथवा अचयन पद   | सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अर्थात् अनुज्ञेय है या नहीं।                        | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।   |
|--|----------------|-------------------|------------|---|---|--|
| 1  | 2              | 3                 | 4          | 5   | 6   | 7  |
| आदेशिका  | 5              | समूह "घ"          | 196-3-220- | अचयन  | लागू नहीं ढाना  | 18 और 25 वर्ष के बीच।  |
| तामीनकर्ता सिवाही  | (1986)         | मन्विद्य अराजगजिन | दरी-3-232  | र.  |   | टिप्पणी: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, प्रत्येक मामले में, भारत में अभ्याषियों में (उनसे भिन्न जो अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी)। |
| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।   |                |                   |            | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं। |   | परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो:   |
|  | 8              |                   |            | 9   |   | 10   |
| मिडिल स्कूल स्तर उत्तीर्ण  |                |                   |            | नहीं  |   | दो वर्ष  |
| भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता। |                |                   |            |   | प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रणियां, जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा।             |  |
|  | 11             |                   |            |   |   | 12   |
| स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हों सबने पर सीधा भर्ती द्वारा।  |                |                   |            |   | स्थानान्तरण: ऐसे फराज आइकन या चौकीदार जिनके पास प्रारंभिक साक्षरता है और जो अंग्रेजी हिन्दी या कोई प्रादेशिक भाषा पढ़ने का साक्ष्य देते हैं |  |

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।

अतीत काल में तिन परिस्थितियों में सब लोक सेवा आयोग में परामर्श किया जाएगा।

13

विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:—

उप महानिर्देशक, आयात और निर्यात (प्रणामन) — अध्यक्ष

निर्देशक (प्रणामन) — सदस्य

निर्देशक — सदस्य

उप निर्देशक सक्तीकी विकास महानिर्देशक (कल्याण) — सदस्य

14

नापू नहीं होता

[ए-12018/3/85 भा-3]

टी. आर. नामराजन, अवर सचिव

G.S.R. 447.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Process Service Sepoy (Import and Export Trade Control Organisation) Recruitment Rules, 1977, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Process Server Sepoy in the Import and Export Trade Control Organisation, namely:—

1. Short title and commencement—(i) These rules may be called the Process Server Sepoy (Import and Export Trade Control Organisation) Recruitment Rules, 1986.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment to the said Post, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Liability to undergo training as Home Guards.—Notwithstanding anything contained in these rules, every person appointed under these rules, shall undergo training as a Home Guard for a period of three years, save in the case of those who are physically handicapped to undergo such training.

Provided that the Commandant General, Home Guards may, having regard to the performance of and standard of training, reduce such period to two years.

5. Disqualification:— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

| Name of post         | No. of posts  | Classification                         | Scale of pay              | Whether selection post or non-selection post | Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the CCS (Pension Rules), 1972. | Age limit for direct recruits  | Educational and other qualifications required for direct recruits. |
|----------------------|---------------|--|---------------------------|--|--|--|--|
| 1                    | 2             | 3                                      | 4                         | 5  | 6  | 7  | 8  |
| Process Server Sepoy | (5)<br>(1986) | Group 'D' Non-Ministerial Non-Gazetted | Rs. 196-3-220-E.B.-3-232. | Non Selection                                | Not applicable   | Between 18 and 25 years.   | Middle School standard pass.                                       |
|                      |               |  |                           |  |  | The crucial date for determining the age will in each case be the last date of receipt of applications from candidates in India (other than those) in the Union Territories of the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). |  |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees  | period of probation if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods. | In case of recruitment by promotion or deputation or transfer, grades from which promotion or deputation or transfer to be made.                                     |
|--|----------------------------|---|--|
| 9  | 10                         | 11  | 12   |
| No   | 2 years                    | By transfer failing which by direct recruitment.  | Transfer :<br>Farashes or Sweepers or Chowkidars who possess elementary literacy and give proof of ability to read either English or Hindi or any regional Language. |
| If a departmental promotion committee exists what is its composition   |                            | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment   |  |
| 13   |                            | 14  |  |
| Departmental Promotion Committee comprising of:—<br>Deputy Chief Controller of Imports and Exports (Administration)<br>—Chairman—<br>Controller (Administration)—Member<br>Controller—Member<br>Deputy Director Directorate General Technical Development (Welfare)—Member |                            | Not applicable  |  |

[A-12018/3/85-E. III]

T.R. NAGARAJAN, Under Secy.

### योजना आयोग

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 1986

मा०का०नि०-448—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हुए और योजना आयोग (अ्येक्ट विश्लेषक) (कार्य अध्ययन) भर्ती नियम, 1973 का उन बातों के सिवाय जिसे ऐसे अधिनियम से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है योजना आयोग में अ्येक्ट विश्लेषक (कार्य अध्ययन) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बताते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम योजना आयोग अ्येक्ट विश्लेषक (कार्य अध्ययन) भर्ती नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान यह होगा जो इन नियमों से उदाहरण अनुसूची क स्तंभ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं आदि :— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता :— वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वयं विधि के अधीन प्रत्यक्ष है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवृत्त से छूट दे सकेगा।

5. शिथिल करने की शक्ति :— जहां केन्द्रीय सरकार को यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिये जो कारण हैं उन्हें उल्लेख करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ष या प्रयोग के व्यक्तियों की जाका, अर्थात् द्वारा शिथिल कर सकेगी।



जिन्होंने—केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/संवालयों में कनिष्ठ विज्ञापक (कार्य अध्ययन) के रूप में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव अर्जित कर लिया होगा। (प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि, जिसके अन्तर्गत उसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति में दी गई पदवी धारित किसी अन्य काइर/ब्राह्म पर पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है पांच वर्षों से अधिक नहीं होगी।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसी संरचना

भर्ती करने के लिये कितने परिस्थितियों में संव लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।

12

13

नाम नहीं होता

चयन प्रत्येक अवसर पर, संव लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जायेगा। हा निराना के उद्देश्यों से ही किसी को संशोधित/विशेष करने समय भी संव लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[सं० 12025/4/85-प्रशासन-2]

### PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 11th February, 1986

G.S.R. 448.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Planning Commission Senior Analyst (Work Study) Recruitment Rules, 1973 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Analyst (Work Study) in the Planning Commission, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Planning Commission Senior Analyst (Work Study) Recruitment Rules, 1986
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule, annexed to these rules.
3. Method of recruitment, age limit, qualification etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule aforesaid.

### 4. Disqualification.—No person,

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

### SCHEDULE

| Name of the post            | Number of Post  | Classification  | Scale of pay     | Whether s.l.c. post or not | Age limit for direct recruits | Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972. |
|-----------------------------|---|---|------------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| 1                           | 2   | 3   | 4                | 5                          | 6                             | 6(a)  |
| Senior Analyst (Work Study) | * 1 (1986)<br>*Subject to variation dependent on work-load. | General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-ministerial. | Rs. 1100-50-1600 | Not applicable             | Not applicable                | Not applicable  |



| Educational and other qualifications required for direct recruits   | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruit will apply in case of promotees  | Period of probation, if any  |  |
|---|---|--|--|
| 7   | 8   | 9  |  |
| Not applicable  | Not applicable  | Not applicable   |  |
| Method of recruitment, whether by direct recruitment or by transfer on deputation or transfer, and percentage of the vacancies to be filled in by each method | In case of recruitment by promotion, deputation or transfer, grades from which promotion, deputation or transfer to be made   | If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition | Circumstances under which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment   |
| 10  | 11  | 12   | 13   |
| By Transfer on deputation (including short term contract)   | <p>Transfer on deputation (including short-term contract) :</p> <p>Officers of the Central Government, failing which, officers from the State Governments or Public Sector Undertakings or autonomous or local bodies, according to requirement, who shall have :</p> <p>(i) a degree of a recognised University or its equivalent.</p> <p>(ii) rendered at least 5 years regular service in posts in the scale of Rs. 700-1300/- or 8 years regular service in posts in the scale of Rs. 650-1200 or equivalent; and</p> <p>(iii) Completed successfully, or be eligible to undergo, the Advanced Management Services Course of the Institute of Secretariat Training &amp; Management, Defence Institute of Work Study or a comparable training in any other recognised institution.</p> <p>Explanation : If an officer who has not already undergone the said course is selected, he shall be required to undergo, the said course at the earliest, and his continued retention in the post shall be subject to the condition that he completes the said course successfully within one year of the date of his appointment.</p> | Not applicable   | <p>Selection on each occasion shall be made in consultation with the Union Public Service Commission. Consultation with the Commission is also necessary, while amending/relaxing any of the provisions these rules.</p> |

OR

acquired at least 3 years experience as Junior Analyst (Works Study) in the Central Government Office's/Ministries.

(Period of deputation/contact including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/Department shall not exceed 5 years).

सा. का. वि. 449—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परामर्श द्वारा प्रकृत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और योजना आयोग की संश्लेषक और अनुसंधान सहायक (कार्य अध्ययन) भर्ती नियम, 1981 और भर्ती नियमों के सभी पश्चात्कर्ती संशोधनों को जहाँ तक उनका संबंध है योजना आयोग में अनुसंधान सहायक (कार्य अध्ययन) के पद से है उन बातों के विचार अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिकरण से पहले किया गया है या करने का वीक्षित किया गया है, योजना आयोग में अनुसंधान सहायक (कार्य अध्ययन) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

- संक्षिप्त नाम और आरम्भ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम योजना आयोग अनुसंधान सहायक (कार्य अध्ययन) भर्ती नियम 1986।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख का प्रवृत्त होंगे।
- पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान: उक्त पद की संख्या, उम्मा वर्गीकरण और उसका वेतनमान यह होगा जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता आदि: उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।
- विधेता: वह व्यक्ति  
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या  
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।  
परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुक्रम है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इन नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती।
- शिक्षण करने की शक्ति: जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह, उसके लिए जो कारण हैं, उम्मे लेखन करने तथा सच लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या वर्गों के व्यक्तियों की भावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकती।
- व्याप्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, प्रावधानों में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनको केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकालने गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित क्षेत्रों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

| पद का नाम  | पदों की संख्या  | वर्गीकरण  | वेतनमान   | अन्य पद अथवा अक्षय पद   | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा | सेवा में जोड़े गए वर्षों का काल या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुवैध है या नहीं |
|--|---|---|---|---|---|---|
| 1  | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 6(क)।   |
| अनुसंधान सहायक (कार्य अध्ययन)  | 3* (1986) आरक्षण के प्राधार पर परिकल्पित किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" अराजकलित, अनुसूचित जातीय | ₹ 550-25-750-<br>₹ 10-30-900  | लागू नहीं होता  | लागू नहीं होता                                      | नहीं  |
| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं  |   |   | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोत्त व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं |   | परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो                       |   |
|  | 7   |   |   | 8   |   | 9   |
|  | लागू नहीं होता  |   |   | लागू नहीं होता  |   | लागू नहीं होता  |
| भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होंगी या प्रोत्त द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता |   |   |   | प्रोत्त/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे क्षेत्रों जिनसे प्रोत्त/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा       |   |   |
|  | 10  |   |   |   |   | 11  |
| प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा  |   |   |   | प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : योजना आयोग के अधिकारी जिनके न हो सकने पर, केन्द्रीय सरकार के अन्य अक्षांश/विभागों के ऐसे अधिकारी |   |   |

- (1) जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या समतुल्य होगी
- (2) जिन्होंने 423-800 र./ 425-700 र. के बंदनमान वाले सम-तुल्य पदों पर पांच वर्ष या नियमित सेवा की होगी; और
- (3) जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबन्ध संस्थान का बुनियादी प्रबन्ध सेवा पाठ्यक्रम या किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्था में समतुल्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया होगा या जो उनके लिए प्राप्त होंगे।

स्पष्टीकरण: यदि किसी ऐसे अधिकारी का भयन किया जाता है जिसने उक्त पाठ्यक्रम पूरा नहीं किया है, तो उससे अपेक्षा की जाएगी कि वह जल्दी उक्त पाठ्यक्रम पूरा कर ले और उसका उस पद पर निरंतर बना रहना इस भर्ती के अधीन रहते हुए होगा कि वह अपनी नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर उक्त पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है।

प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत वसी संगठन/विभाग के इस नियुक्ति से ठीक पहले चारित किसी अन्य काउर बाइर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, सीधी स्पष्टता तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने के लिए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

12

13

जाय नहीं होना

इन नियमों के उपबन्धों में से किसी को संशोधित/मिचल करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

[सं. 12025/4/85 प्रभा.-2]

G.S.R. 449.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Planning Commission Junior Analyst and Research Assistant (Work Study) Recruitment Rules, 1981 and all subsequent amendments to the Recruitment Rules in so far as the post of Research Assistant (Work Study) in the Planning Commission are concerned, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Research Assistant (Work Study) in the Planning Commission, namely :—

4. Disqualification.—No person,

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Planning Commission Research Assistant (Work Study) Recruitment Rules, 1986.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

3. Method of recruitment, age limit, qualification etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule aforesaid.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

| Name of the post   | Number of posts  | Classification   | Scale of pay             | Whether selection post or not   | Age limit for direct recruits | Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.  |
|--|--|--|--------------------------|---|-------------------------------|--|
| 1  | 2  | 3  | 4                        | 5   | 6                             | 6(a)   |
| Research Assistant (Work Study)  | 3* (1986)<br>*Subject to variation dependent on work-load. | General Central Service, Group 'B' Non-gazetted, Non-ministerial   | Rs. 550-25-750-EB-30-900 | Not applicable  | Not applicable                | No   |
| Educational and other qualifications required for direct recruits.   |  | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.   |                          |   | Period of probation, if any   |  |
| 7  |  | 8  |                          |   | 9                             |  |
| Not applicable   |  | Not applicable   |                          |   | Not applicable                |  |
| Method of recruitment, whether by direct recruitment or by transfer on deputation or transfer and percentage of the vacancies to be filled in by each method |  | In case of recruitment by promotion, deputation or transfer, grades from which promotion, deputation or transfer to be made.   |                          | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition |                               | Circumstances under which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment               |
| 10   |  | 11   |                          | 12  |                               | 13   |
| By transfer on deputation  |  | <p>Transfer on deputation :</p> <p>Officers of the Planning Commission failing which officers in other Ministries/Departments of the Central Government who shall have :</p> <p>(i) a degree of a recognised University or its equivalent ;</p> <p>(ii) rendered at least 5 years regular service in posts in the scale of Rs. 425-800/425-700 or equivalent; and</p> <p>(iii) completed successfully, or be eligible to undergo the Basic Management Services Course of the Institute of Secretariat Training and Management or a comparable training in any other recognised institution.</p> <p>Explanation :</p> <p>If an officer, who has not already undergone the said course is selected, he shall be required to undergo the said course at the earliest and his continued retention in the post shall be subject to the condition that he completes the said course successfully within one year of the date of his appointment.</p> <p>(Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/ Department shall ordinarily not exceed 3 years).</p> |                          | Not applicable  |                               | The Union Public Service Commission shall be consulted while amending/relaxing any of the provisions of these rules. |

सा. का. नि. 450:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परामर्श द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और योजना आयोग कनिष्ठ विश्लेषक और अनुसंधान सहायक (कार्य अध्ययन) भर्ती नियम, 1981 और भर्ती नियमों के सभी पश्चात्तवर्ती संशोधनों को, जहाँ तक उनका संबंध योजना आयोग में कनिष्ठ विश्लेषक (कार्य अध्ययन) के पद से है उन बातों के सिवाय अधिकार करने हुए जिन्हें ऐसे अधिकरण से पहले किया गया है या करने में खोप किया गया है, योजना आयोग में कनिष्ठ विश्लेषक (कार्य अध्ययन) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बताते हैं, अर्थात्:—

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम योजना आयोग कनिष्ठ विश्लेषक (कार्य अध्ययन) भर्ती नियम, 1986 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रबुद्ध होंगे।
- पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान:—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान यह होगा जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 में 4 में विनिर्दिष्ट है।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, ग्रहता आदि:—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, ग्रहताएँ और उसके संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 में 13 में विनिर्दिष्ट हैं।
- निर्हुता: वह व्यक्ति—  
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या  
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,  
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान ही जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- शिथिल करने की शक्ति:—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, जहाँ वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संध नोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या वर्गों के व्यक्तियों की बाबत, भावेक द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- व्याप्ति:—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, मूलपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

| पद का नाम   | पदों की संख्या | वर्गीकरण   | वेतनमान  | चयन पथ<br>अथवा<br>अध्ययन पद   | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा | सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं |
|---|----------------|--|--|---|---|---|
| 1   | 2              | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| कनिष्ठ विश्लेषक (कार्य अध्ययन)  | 1* (1986)      | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" आधार पर. राजपत्रित, अनुसूचित-विशेष परिचालन किया जा सकता है। | 650-30-740-<br>35-810-<br>द.रो.-35-830-<br>40-1000<br>द.रो.-40-<br>1200 रु.  | लागू नहीं होता  | लागू नहीं होता                                      | लागू नहीं होता  |
| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य ग्रहताएँ   |                |  | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शिथिल आयु और शैक्षिक ग्रहताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं |   | परिशीला की अवधि, यदि कोई हो                         |   |
|   | 7              |  |  | 8   |   | 9   |
|   | लागू नहीं होता |  |  | लागू नहीं होता  |   | लागू नहीं होता  |
| भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता |                |  |  | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में से श्रेष्ठियाँ प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा   |   |   |
|   | 10             |  |  |   |   | 11.   |
| प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा।  |                |  |  | प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा केन्द्रीय सरकार के अधिकारी, जिसके नहीं होने पर अपेक्षा-नुसार राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त या स्थानीय |   |   |

निकायों के ऐसे अधिकारी :—

- (i) जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या समतुल्य होगी।
- (ii) जिन्होंने 650-1200 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर कम से कम 5 वर्ष नियमित सेवा की होगी या जिन्होंने 425-800 या 425-700 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर कम से कम 8 वर्ष नियमित सेवा की हो ;
- (iii) जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबन्ध मन्थान, रक्षा कार्य अध्ययन संस्थान का उच्च प्रबन्ध सेवा पाठ्यक्रम या किसी अन्य मान्यताप्राप्त संस्था में तुल्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया होगा या जो उनके लिए प्राप्त होंगे।

स्पष्टीकरण :—यदि किसी ऐसे अधिकारी का ज्ञान किया जाता है जिसने उक्त पाठ्यक्रम पूरा नहीं किया है, तो उसमें अपेक्षा की जाएगी कि वह जल्दी उक्त पाठ्यक्रम पूरा कर लें और उसका उस पद पर निरंतर बना रहना हम शर्त के अधीन रहते हुए होगा कि वह अपनी नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर उक्त पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है।

(प्रतिनियुक्ति संविदा की शर्तों में भन्तर्गत उसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काष्ठर बाध्य पद पर प्रतिनियुक्ति की शर्त है, पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी) :।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने के लिए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

नागू नहीं होता

राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रम है, आदि से किन्हीं अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति (संविदा पर नियुक्ति के लिए ध्यान करते समय और इन नियमों के उपबन्धों में से किसी को संशोधित शिक्षित करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[सं 12025/4/85-प्रशा.-2]

एम. एन. बरदराजन, प्रवर सचिव

G.S.R. 450.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution and in supersession of the Planning Commission Junior Analyst and Research Assistant (Work Study) Recruitment Rules, 1981 and all subsequent amendments to the Recruitment Rules in so far as the post of Junior Analyst (Work Study) in the Planning Commission are concerned, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Analyst (Work Study) in the Planning Commission, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Planning Commission Junior Analyst (Work Study) Recruitment Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

3. Method of recruitment, age limit, qualification etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule aforesaid.

4. Disqualification.—No person,

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

| Name of the post   | No. of posts  | Classification  | Scale of pay   | Whether Selection post or not | Age limit for direct recruits  | Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 |
|--|---|---|--|-------------------------------|--|--|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5                             | 6  | 6(a)   |
| Junior Analyst (Works Study)   | 1* (1986)<br>*Subject to variation dependent on workload.   | General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non-ministerial  | Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200                     | Not applicable                | Not applicable   | Not applicable   |
| Educational and other qualifications required for direct recruits  |   | Whether age and other educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees |  | Period of probation, if any   |  |  |
| 7  |   | 8   |  | 9                             |  |  |
| Not applicable   |   | Not applicable  |  | Not applicable                |  |  |
| Method of recruitment, whether by direct recruitment or by transfer on deputation or transfer and percentage of the vacancies to be filled in by each method   | In case of recruitment by promotion, deputation or transfer, grades from which promotion, deputation or transfer to be made   |   | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition. |                               | Circumstances under which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment   |  |
| 10   | 11  |   | 12   |                               | 13   |  |
| By transfer on deputation (including short-term contract)  | By transfer on deputation (including short-term contract)<br>Officers of the Central Government, failing which officers of the State Governments or Public Sector Undertakings or autonomous or local bodies according to the requirement who shall have :<br>(i) a degree of a recognised University or its equivalent.<br>(ii) rendered at least 5 years regular service in posts carrying the scale of Rs. 650-1200 or its equivalent;<br>or<br>rendered at least 8 years, regular service in posts carrying the scale of Rs. 425-800/ Rs. 425-700 or equivalent;<br>(iii) Completed successfully, or be eligible to undergo, the Advanced Management Services Course of the Institute of Secretariat Training and Management, Defence Institute of Works Study or a comparable Training, in any other recognised institution. |   | Not applicable   |                               | Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while selecting an officer from a State Government or a Public Sector Undertaking etc. for appointment on deputation/contract and for amending/relaxing any of the provisions of these rules. |  |
| Explanation :<br>If an officer who has not already undergone the said course is selected, he shall be required to undergo the said course at the earliest and his continued retention in the post shall be |   |   |  |                               |  |  |

| 10 | 11   | 12 | 13  |
|----|--|----|---|
|    | subject to the condition that he completes the said course successfully within one year of the date of his appointment.<br>(Period of deputation contract including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/Department shall not exceed 5 years). |    |   |
|    |  |    | [No. 12025/4/85-Adm. II]<br>M.N. VARADARAJAN, Under Secy. |

### उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 28 मई, 1986

मा.का.नि. 451.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परस्पर द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) ज्येष्ठ विश्लेषक (कार्य अध्ययन) भर्ती नियम, 1981 को उन बातों के सिवाय अतिरिक्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का सोच किया गया है, उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग में ज्येष्ठ विश्लेषक (कार्य अध्ययन) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) ज्येष्ठ विश्लेषक (कार्य अध्ययन) भर्ती नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान यह होगा जो इन नियमों से उपायुक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य शर्तें आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शर्तें और उसके संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अर्धीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य प्राधान्य है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा सभ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाधत, प्रादेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्याप्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

| पद का नाम                       | पदों की संख्या | वर्गीकरण                       | वेतनमान          | अन्य पद अथवा अध्ययन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा | सेवा में जोड़े गए वर्गों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (वेतन) नियम, 1972 के नियम 30 के अर्धीन अनुज्ञेय है या नहीं |
|---------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------|------------------------|---|---|
| 1                               | 2              | 3                              | 4                | 5                      | 6   | 6क  |
| ज्येष्ठ विश्लेषक (कार्य अध्ययन) | 2*             | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" | 1100-50-1600 रु. | लागू नहीं होता         | लागू नहीं होता                                      | नहीं  |
|                                 |                | *कार्यभार राजपत्रित            |                  |                        |   |   |



2

के  
आधार  
पर  
परिवर्तन  
किया  
जा  
सकता  
है

भीषे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु परीक्षा की अवधि यदि कोई हो और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं

7

8

9

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा

10

11

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिनके अनंत अल्पकालिक संविदा भी हैं)/पुनर्नियोजन द्वारा

(क) प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : जिसके अस्तगत अल्पकालिक संविदा भी है। केन्द्रीय सरकार के अधिकारी, जिनके न ही सकने पर आवश्यकतानुसार राज्य सरकारों, पब्लिक सैक्टर उपक्रमों या स्वायत्त या स्थानीय निकायों के ऐसे अधिकारी;

(i) जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या समतुल्य अर्हता है;

(ii) जिन्होंने 700—1300 रु. के वेतनमान वाले पदों पर कम से कम 5 वर्ष नियमित सेवा की है या जिन्होंने 650—1200 रु. के वेतनमान वाले या समतुल्य पदों पर 8 वर्ष नियमित सेवा की है; और

(iii) जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान, रक्षा कार्य अध्ययन संस्थान या किसी अन्य मान्यताप्राप्त संस्था में तुलनीय प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है या जो उसे प्राप्त करने के पात्र हैं। यदि ऐसे अधिकारी का, जिसने उक्त पाठ्यक्रम पहले से पूरा नहीं किया है, यथन कर लिया जाता है तो, उससे यथाशीघ्र उक्त पाठ्यक्रम पूरा करने की अपेक्षा की जाएगी और उसका उस पद पर बने रहना इस बात के अर्धान होगा कि वह उक्त पाठ्यक्रम ही अपना नियुक्ति की शारीर से एक वर्ष के भीतर सफलतापूर्वक पूरा कर ले।

या

जिन्होंने केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/मंत्रालयों में कनिष्ठ विश्लेषक (कार्य अध्ययन) के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त किया है।

पुनर्नियोजन: सशस्त्र बलों के ऐसे कामिक जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा-निवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित होने वाले हैं और जिनके पास

(क) में उल्लिखित अपेक्षित अनुभव और अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस शारीर तक, जिसको वे सशस्त्र बलों से निर्मुक्त होने वाले हैं, प्रतिनियुक्ति की शर्तों पर रखा जाना चाहिए। उसके पश्चात् उनको या तों स्थानांतरण करके या अल्पकालिक संविदा पर धारित किया जा सकता है।

(प्रतिनियुक्ति/संधिषा की अवधि, जिसके अन्तगत उसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काइर बाह्य पद पर नियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोबेशन कमिशन है तो उसकी संरचना

बर्ती करने के लिए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

12

13

सांगू नहीं होता

प्रत्येक अवसर पर जयन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाएगा। इन नियमों के उपबंधों में से किसी को संशोधित/शिथिल करने समय भी संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[सं. ए-12018/1/80-ई]

बलराम दास, अधीक्षक सचिव

### MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 28th May, 1986

G.S.R. 451.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Senior Analyst (Work Study) Recruitment Rules 1981, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Analyst (Work Study) in the Ministry of Industry, Department of Industrial Development, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Senior Analyst (Work Study) Recruitment Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and

other matters relating to said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person—

- who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

### SCHEDULE

| Name of post  | No. of posts   | Classification  | Scale of pay     | Whether selection post or non-selection post | Age limit for direct recruits  | Whether benefit of added years of service under rule 30 of CCS (Pension) Rules, 1972.   |
|---|--|---|------------------|--|--|---|
| 1   | 2  | 3   | 4                | 5  | 6  | 6(a)  |
| Senior Analyst (Work Study)                                       | 2* (1986)<br>*Subject to variation dependent on work-load. | General Central Service, Group 'A' Gazetted.  | Rs. 1100-50-1600 | Not Applicable                               | Not applicable   | No  |
| Educational and other qualifications required for direct recruits |  | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees |                  | Period of probation, if any                  | Method of recruitment  | Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods |
|   | 7  | 8   |                  | 9  |  | 10  |
| Not applicable  |  | Not Applicable  |                  | Not Applicable                               | By transfer on deputation (including short-term contract)/re-employment. |   |

| 11<br>Cases in which promotion/deputation/transfer, and/or from which promotion/deputation/transfer to be made   | 12<br>If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition | 13<br>Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment  |
|--|---|---|
| <p>(A) Transfer on deputation (including short-term contract):<br/>Officers of the Central Government, failing which, officers from the State Governments, or Public Sector Undertakings or Autonomous or Local Bodies, according to requirement, who shall have:—</p> <p>(i) A degree of a recognised University or its equivalent;</p> <p>(ii) rendered at least 5 years regular service in posts in the scale of Rs. 700-1300 or 8 years' regular service in posts in the scale of Rs. 650-1200 or equivalent; and</p> <p>(iii) completed successfully or be eligible to undergo, the Advanced Management Service course of the Institute of Secretariat Training and Management, Defence Institute of Work Study or a comparable training in any other recognised institution. If an officer who has not already undergone the said course is selected, he shall be required to undergo the said course at the earliest and his continued retention in the post shall be subject to the condition that he completed the said course successfully within one year of the date of his appointment;</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>acquired at least 3 years experience as Junior Analyst (Work-Study) in the Central Government Offices/Ministries..</p> | Not Applicable  | Selection on each occasion shall be made in consultation with the Union Public Service Commission. Consultation with the Union Public Service Commission is also necessary while amending, relaxing any of the provisions of these rules. |
| <p>Re-employment:—</p> <p>Armed Forces Personnel due to retire or to be transferred to reserve, within a period of one year and having requisite experience and qualifications as mentioned at (A). Such persons should be given deputation terms upto the date on which they are due to release from armed forces. Thereafter they may be absorbed either on transfer or on short-term contract.</p> <p>(Period of deputation/contract including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/department shall not exceed 5 years).</p>   |   |   |

[No. A—12018/1/80—E.1.]  
CHARAN DASS, Under Secy.

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**  
(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 28 मई, 1986

आ. का. नि. 452.—राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल के अनुच्छेद 309 के परस्पर द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली (केन्द्रीय प्रबंधक) भर्ती नियम, 1965 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाये हैं, अर्थात्:—

(1) इन नियमों का संश्लिष्ट नाम केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली (केन्द्रीय प्रबंधक) नियम 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रबल होंगे।

2. केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली (केन्द्रीय प्रबंधक) भर्ती नियम, 1965 की अनुसूची में:—

(1) खंड 2 के नीचे प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

1\* (1986)

\*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।"

(2) स्तम्भ 3 के नीचे प्रविष्टियों में—

बर्ग-1 राजपत्रित शब्दों और प्रकों के स्थान पर समूह "क" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे।

(3) स्तम्भ 4 के नीचे प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

700-40-900-इ.रो.-1100-50-1300 रुपये”

(4) स्तम्भ 6 के नीचे प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक गिथिल की जा सकती है।

टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक, तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में हैं (आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।

(5) स्तम्भ 6 और नीचे प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित स्तम्भ 6क और प्रविष्टियों अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—  
“सेवा में जोड़े गये वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं।

6क

नहीं

(6) स्तम्भ 7 के नीचे प्रविष्टियों में:—

(क) खंड (2) में, आवश्यक शीर्षक के नीचे खंड (2) में “लगभग शब्द का शेष किया जाएगा।

(ख) निम्नलिखित टिप्पण अंत में जोड़ा जाएगा, अर्थात्

टिप्पण: प्रहृष्टाएँ अथवा युग्मित अभ्यर्थियों की सेवा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार नियुक्त की जा सकती है।

टिप्पण: 2 अनुभव संबंधी अहंता (अहंताएँ) संघ लोक सेवा आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को वहां में तब गिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग/सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए प्रारक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उचित प्रस्ताव रखे जाते हैं। उन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे।

(7) स्तम्भ 12 और 13 के नीचे प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

सीधे भर्ती किये गए व्यक्तियों की पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए:—

स्तम्भ 12: समूह “क” विभागाध्यक्ष गेनरल समिति—

(1) संयुक्त सचिव,  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय—प्रध्यक्ष

(2) अपर महाविदेशीय, स्वास्थ्य सेवा महाविदेशीय—सदस्य

(3) निवेशक (प्रशासन और सतर्कता)  
स्वास्थ्य सेवा महाविदेशीय—सदस्य

टिप्पण: पुष्टि के संबंधित विभागाध्यक्ष प्रेषित गतिविधि को कार्यवाहिका संघ लोक सेवा आयोग के अनुसंधानार्थ भेजी जाएगी कि, यदि

उक्त आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागाध्यक्ष प्रेषित समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।

स्तम्भ 13: सीधे भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

टिप्पण: मुख्य निवन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की 15-12-1965 की अधिसूचना संख्या पी-19—32/65-एम.ए. के अनुसार भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3 (उपखंड (1) में सा.का.नि. संख्या विनांक को प्रकाशित किए गये थे और बाद में उनका संशोधन नहीं किया गया।

[सं. ए-11018/16/85-प्रार.प्रार.विनो.प्र.ई (एन.एन.)]  
जी. जी. के. नायर, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE  
(Department of Health)

New Delhi, the 28th May, 1986

G.S.R. 452.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Central Research Institute, Kasauli (Factory Manager) Recruitment Rules, 1965, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Research Institute, Kasauli (Factory Manager) Recruitment (Amendment) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Central Research Institute, Kasauli (Factory Manager) Recruitment Rules, 1965,—

(i) for the entries under column 2, the following shall be substituted namely:—

“1\* (1986)

\* Subject to variation dependent on workload” ;

(ii) in the entries under column 3, for the words and figured “Class I Gazette”, the word and letter “Group A” shall be substituted ;

(iii) for the entries under column 4, the following shall be substituted, namely:—

“Rs. 700-40-900-EB-1100-50-1300” ;

(iv) for the entries under column 6, the following shall be substituted, namely:—

“Not exceeding 35 years (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

Note.—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep” ;

(v) after column 6 and the entries thereunder, the following column 6a and entries shall be inserted, namely:—

“whether the benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.

6 (a)

No.” ;

(vi) in the entries under column 7,—

(a) in clause (ii) under the heading “Essential”, the words “about” shall be omitted ;

(b) the following notes shall be added at the end namely:—

"Note 1.—Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2.—The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from those communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them".

(vii) for the entries under column 12 and 13, the following shall be respectively substituted, namely:—

Column 12.—"Group 'A' Departmental Promotion Committee—

For considering case of confirmation of direct recruits.

(1) Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare—Chairman.

(2) Additional Director General, Directorate General of Health Services—Member.

(3) Director (Administration and Vigilance), Directorate General of Health Services—Member.

Note.—The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commissioner, a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held".

Column 13.—"Consultation with the Commission necessary while making direct recruitment."

Note.—The principal rules were published in Ministry of Health and Family Welfare Notification (No. G.S.R. P-19-32/65-MA dated 15th December, 1965) of the Gazette of India, 1965 Part II, Section 3, Sub-Section (i) pages ..... and were not subsequently amended.

[No. A-11018/16/85-RR/EPI (MS)]  
G. G. K. NAIR, Under Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 29 मई, 1986

सांकांनि० 453—गाइडपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परस्मूक द्वारा प्रबन्ध शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) के केन्द्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्म, चण्डीगढ़ में खण्ड प्रशोतन यांत्रिक (नमू० "ग") के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्म, चण्डीगढ़ खण्ड प्रशोतन यांत्रिक (नमू० "ग") पर भर्ती नियम ..... है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान: उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उदाहरण अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।
3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि: उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरर्हताएं: यह व्यक्ति—  
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या  
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होने हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा.—  
परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुश्रेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आश्वासन हैं, तो यह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. शिथिल करने की शक्ति: उक्त केन्द्रीय सरकार की यह शक्ति है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह उनके लिये जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी धर्म या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाधत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. व्याप्ति: इन नियमों की कोई भी शक्ति ऐसे आदेशों, आयु सीमा में कूट और अन्य विधायकों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम             | पदों की संख्या | वर्गीकरण                                   | वेतनमान                                    | न्यून पद गणना प्रवर्ग | सोचे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु-सीमा                                | वेतन में जोड़े गये वर्गों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुश्रेय है या नहीं। |
|-----------------------|----------------|--|--|-----------------------|--|--|
| 1                     | 2              | 3  | 4  | 5                     | 6  | 6R   |
| खण्ड प्रशोतन यांत्रिक | 1*             | साधारण केन्द्रीय सेवा नमू० "ग" के आधारे पर | 330-10-330-<br>६०००-12-500-<br>६०००-15-360 | अवकाश                 | 18 से 25 वर्ष<br>(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों या आदेशों के अनुसार स- | नहीं   |



**MINISTRY OF AGRICULTURE**

(Department of Agriculture &amp; Cooperation)

New Delhi, the 29th May, 1986

G.S.R. 453.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Refrigeration Mechanic (Group C) Central Poultry Breeding Farm, Chandigarh under the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation), namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Poultry Breeding Farm, Chandigarh, Senior Refrigeration Mechanic Group 'C' post Recruitment Rules, 1986.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment to the said post, age-limit qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in column 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

## 4. Disqualification.—No person,

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a Spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for as doing exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

|   |   |
|---|---|
| 1. Name of post   | Senior Refrigeration Mechanic   |
| 2. Number of post   | One (subject to variation dependent on workload)  |
| 3. Classification   | General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.   |
| 4. Scale of pay   | Rs. 330-10-380 EB-12-500-EB-15-560.   |
| 5. Whether selection post or non-selection post.  | Non-selection.  |
| 6. Age limit for direct recruits.   | 18-25 years (Relaxable upto 35 years in respect of Government servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).   |
|   | Note :—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (Other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep)  |
|   | (2) In the case of recruitment made through the Employment Exchange the crucial date for determining the age limit should be last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.   |
| 6.a. Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension), Rules, 1972.        | No.   |
| 7. Education and other qualifications required for direct recruits.   | Essential :<br>(i) Matriculation or equivalent;<br>(ii) I.T.I. Certificate in Refrigeration Mechanic.<br>(iii) 5 years experience of refrigeration unit.  |
|   | Note :—1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/competent Authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise found suitable.  |
|   | (2) The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes if any stage of selection the staff selection Commission/Competent authority for reasons to be recorded in writing, is of the opinion that sufficient number of candidates from the communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. |
| 8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion. | Age—No<br>Educational Qualification—Yes.  |
| 9. Period of probation, if any.   | 2 years.  |

|  |   |
|--|---|
| 10. Method of recruitment whether by direct or by promotion or by deputation/transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods. | By promotion filling which by direct recruitment.   |
| 11. In cases of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.                          | Promotion from Refrigeration Mechanic with minimum 5 years experience in the grade.   |
| 12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.   | Departmental Promotion Committee Group 'C'<br>1. Director—Chairman.<br>2. A Gazetted Officer—Member.<br>3. An outside Gazetted Officer—Member<br>Not applicable |
| 13. Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.   |   |

[No. 41-S/85-L.D. II]

S. P. VERMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 मई, 1986

New Delhi, the 30th May, 1986

सा.का.नि. 454—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रत्यक्ष द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय तटीय मत्स्यकी इंजीनियरी संस्थान, समूह "क" उपनिदेशक (जलचर) शर्ती नियम, 1985 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय तटीय मत्स्यकी इंजीनियरी संस्थान, समूह "क" उपनिदेशक (जलचर) शर्ती (संशोधन) नियम, 1986 है।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. केन्द्रीय तटीय मत्स्यकी इंजीनियरी संस्थान, समूह "क" उपनिदेशक (जलचर) शर्ती नियम, 1985 की अनुसूची में स्तम्भ 7 में टिप्पण 2 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

"बांछनीय: समुद्री जीव विज्ञान या मत्स्य विज्ञान में पी.एच.डी. डिग्री"

[सं. 4-17/83-मत्स्यकी (प्रशा.)]

एस. बालाकृष्णन, अवर सचिव

नोट: मुख्य नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. संख्या 1097 तारीख 16-11-85 के तहत पृष्ठ 2791 से 2793 में प्रकाशित हुए थे।

G.S.R. 454.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Group 'A' Deputy Director (Aquaculture) Recruitment Rules, 1985, namely:—

- (1) These rules may be called the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Group 'A' Deputy Director (Aquaculture) Recruitment (Amendment) Rules, 1986.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Group 'A' Deputy Director (Aquaculture) Recruitment Rules, 1985, in Column 7 after 'Note 2', the following entry shall be added, namely:—

"Desirable.—Ph. D. degree in Marine Biology or Fisheries Science".

[No. 4-17/83-Fy(Adm.)]

S. BALAKRISHNAN, Under Secy.

NOTE.—The Principal rules were published in the Gazette of India vide G.S.R. No. 1097 dated 16-11-85 at pages 2791, to 2793.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 8 मई, 1986

सा.का.नि. 455—संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्धों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति शिक्षा विभाग, युनेस्को में भारत के उप-स्थायी प्रतिनिधि नियमावली 1979 जो तत्कालिन शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय (शिक्षा विभाग) द्वारा अधिसूचित की गई थी, और भारत के राजपत्र में सा.का.नि. संख्या 1087 दिनांक 25 अगस्त 1979 के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी, को एतद्वारा तत्काल रद्द करते हैं।

2. ऐसे निरसन के बावजूद इस प्रकार रद्द किए गए नियमों के अंतर्गत की गई कोई भी कार्यवाई उन नियमों के तदनुसूची उपबन्धों के अंतर्गत की हुई समझी जाएगी।

[सं. 41-4/82-ई-1]

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Education)

New Delhi, the 8th May, 1986

G.S.R. 455.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby rescinds with immediate effect the Department of Education, Deputy Permanent Representative of India to

Unesco Recruitment Rules, 1979, notified by the erstwhile Ministry of Education and Social Welfare (Department of Education) and published in the Gazette of India under GSR No. 1087 dated the 25th August, 1979.

2. Notwithstanding such rescission, anything done or any action taken under the rules so rescinded, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of those rules.

[No. F. 41—4/82-E. I]

नई दिल्ली, 13 मई 1986

सा.का.नि. 456—संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्धों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्वारा शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय (शिक्षा विभाग) सहायक शिक्षा सलाहकार (संस्कृत) शर्ती नियमावली 1984 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- (1) इन नियमों को शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय (शिक्षा विभाग) सहायक शिक्षा सलाहकार (संस्कृत संशोधन) नियमावली, 1984 कहा जाए।
- (2) ये नियम सरकारी राजपत्र में छपने की तारीख से लागू होंगे।



2. शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय (शिक्षा विभाग) सहायक शिक्षा सहायक-कार (संस्कृत) भर्ती नियमावली, 1984 की अनुसूची में कालम 6(क) को प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि पढ़ी जाए, अर्थात्:—

“हां, केवल सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए।”

[सं.ए-12011/6/83 ई.-1]

सुवर्ण लाल टक्कर, अवर सचिव

टिप्पणी: मुख्य नियम भारत के राजपत्र दिनांक 20-10-1984 में सा. का.नि. 925 पृष्ठ 4120 से 4121 में प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 13th May, 1986

G.S.R. 456.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend, the Ministry of Education and Culture (Department of Educa-

tion) Assistant Educational Adviser (Sanskrit) Recruitment Rules, 1984, namely:—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Education and Culture (Department of Education), Assistant Educational Adviser (Sanskrit) Recruitment (Amendment) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Ministry of Education and Culture (Department of Education), Assistant Educational Adviser (Sanskrit) Recruitment Rules, 1984 for the entry under Column 6(a) the following entry shall be substituted, namely:—

“Yes, for direct recruits only”.

[No. A-12011/6/83-E. I]

S. L. TAKKAR, Under Secy.

Note.—The Principal rules were published in Gazette of India dated 20-10-84 under G.S.R. No. 925 at pages 4120 to 4121.

नई दिल्ली, 27 मई, 1986

सा.का.नि. 457.—संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्धों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 409 दिनांक 9 मई, 1984 में प्रकाशित शिक्षा मंत्रालय श्रेणी II (अराजपत्रित) और श्रेणी III पदों के भर्ती नियमों, जहां तक उनका विक्री सहायक के पद से सम्बंध है, का अधिकरण करते हुए, ऐसे अधिकरण के पूर्व किए गए अथवा किए जाने के लिए छोड़े गए मुद्दों के अलावा, राष्ट्रपति मानव संसाधन विकास मंत्रालय, (शिक्षा विभाग) में विक्री सहायता के पद की भर्ती की प्रणाली को विनियमित करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. लघु शीर्षक और आरम्भ होना:—(1) इन नियमों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) विक्री सहायक भर्ती नियमावली, 1986 कहा जाए।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में छपने की तारीख से लागू होंगे।

2. प्रयुक्ति:— ये नियम संलग्न अनुसूची के कालम (1) में निर्दिष्ट पद पर लागू होंगे।

3. संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान:— उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे सम्बद्ध वेतनमान वही होंगे जो इस नियमावली की अनुसूची के कालम 2 से 4 में यथा विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती से तर्जाने, प्राप्ति-नामा तथा अन्य योग्यताएं आदि:— उक्त पदों के संबंध में भर्ती प्रयत्नों, आवेदन, योग्यताएं और इससे सम्बद्ध अन्य बातें वहां होंगी, जो उक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 में यथा निर्दिष्ट हैं।

5. अयोग्यताएं:— कोई भी ऐसा व्यक्ति,—

(क) जो ऐसे व्यक्ति से विवाह अथवा विवाह का अनुबन्ध करता है, जिसकी पत्नी अथवा पति जीवित है, अथवा

(ख) जो पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह अथवा विवाह का अनुबन्ध करता है, उक्त पद पर नियुक्त के लिए पात्र नहीं होगा।

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि विवाह अनुमत्य है और ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

6. छूट देने की शक्ति:—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक तथा उचित है तो वह आदेश द्वारा लिखित रूप में कारणों को दर्ज करते हुए तथा मंत्र लोक सेवा आयोग के परामर्श से किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों अथवा पदों के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबन्ध में ढील दे सकती है।

7. प्रतिबन्ध:—इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षणों और रियायतों पर इन नियमों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

310 GI/85 -1:

## अनुसूची

| पद का नाम  | पदों की संख्या   | वर्गीकरण   | वेतनमान                           | क्या प्रवरण पद है अथवा<br>गैर-प्रवरण पद है | क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन)<br>नियमावली, 1972 के नियम 30<br>के अंतर्गत जोड़े गए सेवा वर्षों का<br>साथ प्राप्त है। |
|--|--|--|-----------------------------------|--|---|
| 1  | 2  | 3  | 4                                 | 5  | 6   |
| बिज्जो सहायक   | 1*<br>(1986)<br>*कार्यभार के<br>अनुसार परिवर्तन<br>किया जा सकता<br>है।   | वर्ग 'ग' अराजपत्रित<br>गैर-लिपिकीय   | 550-20-650-<br>25-750 रु.         | लागू नहीं होता                             | लागू नहीं होता  |
| सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा  | सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए<br>शैक्षिक तथा अन्य अपेक्षित अर्हताएं   | क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों<br>के लिए निर्धारित आयु तथा योग्यताएं<br>पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू<br>होंगी। | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोर<br>हो। | 7  | 8   |
| 18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा<br>जारी किए गए आदेशों अथवा अनुदेशों के<br>अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष<br>तक की छूट दी जा सकती है)   | अनिवार्य :<br>(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय<br>से डिग्री अथवा इसके<br>समकक्ष।   | लागू नहीं होता   | 2 वर्ष                            | 9  | 10  |
| टिप्पणी : आयु सीमा निर्धारण के लिए<br>निर्णायक तिथि प्रत्येक मामले में भारत के<br>उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की<br>अंतिम तारीख होगी (अवमान तथा निको-<br>बार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप<br>संघ शासित क्षेत्रों को छोड़) | (2) सरकारी विभाग या प्रतिष्ठित<br>सार्वजनिक उद्यम में बिज्जो का<br>5 वर्ष का अनुभव।<br>बांछनीय : बुक-कीपिंग और<br>लेखा-बिधि का ज्ञान।<br>टिप्पणी : 1 यदि उम्मीदवार<br>अन्यथा अर्हक हो तो स्टाफ<br>चयन आयोग के विवेक पर अर्हताओं<br>में ढील दी जा सकती है।  |  |                                   |  |   |
|  | टिप्पणी :--2. यदि चयन के किसी<br>भी स्तर पर स्टाफ चयन आयोग<br>की यह राय हो कि अनुसूचित<br>जातियों तथा अनुसूचित जन-<br>जातियों के अपेक्षित अर्हताएं<br>रखने वाले उम्मीदवार अर्हक<br>व्यक्तियों को भरने के लिए<br>पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं<br>हैं तो इन उम्मीदवारों की<br>अनुभव सम्बन्धी अर्हताओं में<br>स्टाफ चयन आयोग के विवेक<br>पर छूट दी जा सकती है। |  |                                   |  |   |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| भर्ती की विधि:—<br>सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति अथवा स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिभावता | यदि पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाना है। | यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है। | परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है। |
|---|--|--|---|

|  |   |                 |                 |
|--|---|-----------------|-----------------|
| 11   | 12  | 13              | 14              |
| प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा अथवा सीधी भर्ती द्वारा | प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण :<br>केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक, जिन्होंने ग्रेड में पांच वर्ष तक कार्य किया हो अथवा अधिकारी जिन्होंने 425—700 रु. के वेतनमान में पांच वर्ष तक कार्य किया हो अथवा इसके समकक्ष, जिनके पास माय्यता प्राप्त विरविद्यालय की डिग्री हो तथा बिश्री और लेखा मामलों में अनुभव प्राप्त हो।<br>(उसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से पूर्व अन्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।) | लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। |

पाठ टिप्पणी : बिश्री सहायक के पद के भर्ती नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 409, दिनांक 9 मई, 1958 के अन्तर्गत प्रकाशित किये गये थे।

[स.ए-12034/1/85-स्था.-II (भाग/II)]

के. एल. चावला, अवर सचिव

New Delhi, the 27th May, 1986

matters connected therewith shall be as specified in Columns 5 to 14 of the Schedule aforesaid.

G.S.R. 457.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of recruitment rules to the Class II(non-Gazetted) and Class III posts in Ministry of Education published in the Notification Number GSR 409 dated the 9th May, 1958 in so far as they relate to the post of Sales Assistant, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Sales Assistant in the Ministry of Human Resource Development (Department of Education), namely :—

5. Disqualification.—No person,

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living, or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
- shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called Ministry of Human Resource Development (Department of Education) Sales Assistant Recruitment Rules, 1986. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

2. Application.—These rules shall apply to the post specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said post, classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed hereto.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government in this regard.

4. Method of recruitment age limit and qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other

SCHEDULE

| Name of post    | No. of posts | Classification | Scale of pay         | Whether selection post or non-selection post | Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules 1972. | Age for direct recruits                       | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|-----------------|--------------|----------------|----------------------|--|--|---|---|
| 1               | 2            | 3              | 4                    | 5  | 6  | 7   | 8   |
| Sales Assistant | One (1986)*  | Group C, Non-  | Rs.550-20-650-25-750 | Not applicable                               | Not applicable   | Between 18 to 25 years (Relaxable for Govern- | Essential : (i) A Degree of a re-                                 |

| 1  | 2  | 3  | 4   | 5   | 6   | 7  | 8   |
|--|--|--|---|---|---|--|---|
|  | *Subject to non-variation dependent on work load | gazetted, non-ministerial  |   |   |   | ment servants upto 5 years in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government.)<br>Note —The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidate in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep) | cognised University or equivalent<br>(ii) Five years Sales experience in a Government Department or reputable public concern.<br>Desirable—Knowledge of book keeping and accountancy.<br>Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified.  |
|  |  |  |   |   |   |  | Note 2 : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in case of candidates belonging to SC/ST if at any stage of selection, Staff Selection Commission is of opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. |
| 9  | 10   | 11   | 12  | 13  | 14  |  |   |
| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. | Period of probation, if any                      | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion or deputation or transfer, grades from which promotion or deputation or transfer to be made   | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment |  |   |
| Not applicable   | 2 years  | By transfer on deputation failing which by direct recruitment  | Transfer on deputation : Assistants of Central Secretariate Service with five years' service in the grade or officers with five years' service in the scale of Rs. 425-700 or equivalent, possessing a Degree of a recognised University and having experience of sales and accounts matters. | Not applicable  | Not applicable  |  |   |

| 9 | 10 | 11 | 12   | 13 | 14 |
|---|----|----|--|----|----|
|   |    |    | (The period of deputation including period of deputation in another post held immediately preceding this appointment in the same Organisation/Department shall ordinarily not exceed 3 years). |    |    |

[No. A. 12034/1/85-E.II(Part VII)]

K. L. CHAWLA, Under Secy.

Footnote.— The recruitment rules for the post of Sales Assistant were published in Gazette of India under G.S.R. No. 409 dated the 9th May, 1958.

जल संसाधन मंत्रालय  
नई दिल्ली, 12 मार्च, 1986

मा.का.नि. 458.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय जल आयोग और विद्युत आयोग पुस्तकालय (वर्ग 2 और वर्ग 3 पद) भर्ती नियम, 1973 को, उन बातों के निम्न अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिसूचना में पहले किया गया है या करने का तोप किया गया है, केन्द्रीय जल आयोग में पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बताते हैं, अर्थात्—

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय जल आयोग, पुस्तकालय (प्रराजपत्रित समूह "ख") पद भर्ती नियम, 1985 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख की प्रवृत्त होंगे।
- पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो अपने उपाखण्ड अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरहताएं :—बहु व्यक्ति—  
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या  
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होने हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,  
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।  
परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार का लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो यह किसी व्यक्ति को इन नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी।
- शिक्षण करने की शक्ति :—यहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना प्रावश्यक या समीचीन है, वहां यह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाधन, प्राप्ति द्वारा शिक्षण कर सकेगी।
- व्यवृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आदेशों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इन संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

| पद का नाम                 | पदों की संख्या | वर्गीकरण  | वेतनमान                         | वयन पद अथवा अक्षयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा   |
|---------------------------|----------------|---|---------------------------------|-----------------------|---|
| 1                         | 2              | 3   | 4                               | 5                     | 6   |
| पुस्तकालयाध्यक्ष श्रेणी-I | 2*<br>(1986)   | साधारण केन्द्रीय सेवा,<br>(समूह 'ख') प्रराजपत्रित,<br>अनुसूचित श्रेणी | 550-25-750-इ.रो.-<br>30-900 रु. | अग्रत                 | 30 वर्षों से अधिक नहीं।<br>(केन्द्रीय सरकार द्वारा तय किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवाओं के लिए 5 वर्ष तक शिक्षण की जा सकती है।)<br>आयु सीमा प्रस्तावित करने के लिए निम्नलिखित तारीख, भारत में रह रहे अभ्यर्थियों से (उनमें विश्व जो अज्ञान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियम की गई अंतिम तारीख होगी। |

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य ग्रहंताएं सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए परिवीक्षा की प्रवृत्ति, यदि कोई हो  
विहित आयु शैक्षिक ग्रहंताएं पौष्टिक व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं

7

8

9

आवश्यक :

- किसी माध्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक डिग्री या समतुल्य।
- किसी माध्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था या समतुल्य से पुस्तकालय विज्ञान से डिग्री या समतुल्य डिप्लोमा।
- किसी प्रतिष्ठित पुस्तकालय में किसी उत्तरदायी हैमियन में 2 वर्ष का अनुभव।

आयु : नहीं

2 वर्ष

शैक्षिक ग्रहंताएं : नहीं :

परन्तु उसके पास कम से कम स्नातक की डिग्री और पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री या समतुल्य डिप्लोमा आवश्यक होना चाहिए।

टिप्पण :

- ग्रहंताएं, अन्यथा सुप्रसिद्ध अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।
- अनुभव संबंधी ग्रहंताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब न्यून के किमी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए प्रारंभित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे।

बाछनीय :

- किसी माध्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में मास्टर की डिग्री या समतुल्य;
- किसी उत्तरदायी हैमियन में दस्तावेजी कार्य में अनुभव।
- अंग्रेजी में निम्न किमी एक आधुनिक यूरोपीय भाषा में कार्य साधक ज्ञान।

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जायेगा

10

11

प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा है) द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति :

सेवा पुस्तकालयाध्यक्ष श्रेणी 2 जिनमें उम श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा है) :

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/अर्ध सरकारी, कानूनी या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी :

(i) जो सद्य पद धारण किए हुए हैं;

(ii) जिन्होंने 425-700/800 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 5 वर्ष सेवा की है; और

(iii) जिनके पास स्तम्भ 7 में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक ग्रहंताएं और अनुभव हैं।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

12

13

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति :

- अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग या सदस्य, केन्द्रीय जल आयोग—अध्यक्ष
- निदेशक (टी.डी.) —सदस्य

किसी अधिकारी की सीधी भर्ती और प्रतिनियुक्ति संविदा पर नियुक्ति के लिए न्यून करने समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।

(iii) उप सचिव (प्रशासन) जल संसाधन मंत्रालय—सदस्य

(iv) निदेशक (प्रशासन)—सदस्य।

टिप्पण:

पुष्टि से सम्बंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, संघ लोक सेवा आयोग के अनमोदितार्थ भेजी जाएंगी, किन्तु यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे।

इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत उसी संगठन/विभाग में इन नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी शून्य फाइर से बाह्य पद पर नियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

[सं. 7/86/एफ.सं. 39/17/80 स्थापना-I]

## MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 12th March, 1986

G.S.R. 458.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Central Water and Power Commission Library (Class II and Class III posts) Recruitment Rules, 1973, except as respect to things done or omitted to be done before such supersession, the president hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Librarian posts in the Central Water Commission, namely :—

1. Short title and Commencement.—(i) these rules may be called the Central Water Commission, Library (Non-Gazetted Group B) Posts Recruitment Rules, 1985.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

## 4. Disqualifications.—No person.—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

| Name of the post    | No. of posts | Classification   | Scale of pay            | Whether Selection post or non-selection post | Age limit for direct recruits   | Educational and other qualifications required for direct recruits   |
|---------------------|--------------|--|-------------------------|--|---|---|
| 1                   | 2            | 3  | 4                       | 5  | 6   | 7   |
| Librarian, Grade I. | Two* (1986)  | General Central Service, (Group B) Non-Gazetted, Non-Ministerial | Rs.550-25-750-E5-30-900 | Selection                                    | Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). | Essential :<br>(i) Bachelor's degree in Science of a recognised University or equivalent.<br>(ii) Degree or equivalent Diploma in Library Science of a recognised University/Institution or equivalent.<br>(iii) Two years, experience in |

Note : The crucial date for determining the age

| 1   | 2          | 3   | 4  | 5   | 6   | 7  |
|---|------------|---|--|---|---|--|
|   |            |   |  |   | limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). | <p>responsible capacity in a Library of standing.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p> <p>Desirable :</p> <p>(i) Master's degree in Library Science of a recognised University or equivalent;</p> <p>(ii) Experience of documentation work in a responsible capacity;</p> <p>(iii) Working knowledge of any European modern language other than English.</p> |
|   |            | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees                 | Period of probation, if any  | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment, by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made                                    |  |
|   | 8          | 9   | 10   | 11  |   |  |
| <p>Age : No.</p> <p>Educational Qualifications : No. but must possess at least a bachelors' Degree and a Degree or equivalent diploma in Library Science.</p> <p>Desirable :</p> <p>(i) Master's Degree in Library Science of a recognised University or equivalent;</p> <p>(ii) Experience of documentation work in a responsible capacity.</p> <p>(iii) Working knowledge of any one modern European language other than English.</p> | Two years. | By promotion, failing which by transfer on deputation (including short-term contract) and failing both by direct recruitment. | <p>Promotion : Librarian, Grade II with, five years' regular service in the grade;</p> <p>Transfer on deputation (including short-term contract) : Officers under the Central Government/State Governments /Universities/Semi-Government, Statutory or Autonomous Organisations ;</p> <p>(a) (i) holding analogous posts; or (ii) with five years service in posts in the scale of Rs.425-700/800/-or equivalent; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column 7.</p> <p>(The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment on deputation by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/department shall ordinarily not exceed three years.)</p> |   |   |  |



| If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition  | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment   |
|--|---|
| 12   | 13  |
| Group 'B' Departmental Promotion Committee :   |   |
| (i) Chairman, Central Water Commission or a Member, Central Water Commission   | Union Public Service Commission shall be consulted while making direct recruitment and selecting an officer for appointment on deputation/Contract. |
| (ii) Director (TD), Central Water Commission   | —Chairman   |
| (iii) Deputy Secretary (Administration), Ministry of Water Resources   | —Member   |
| (iv) Director (Administration), Central Water Commission   | —Member   |
| Note : The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Union Public Service Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held. |   |

[No. 7/86/F.No. 39/17/80 Estt.I]

मांका०नि० 459. राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय जल और बिद्युत आयोग पुस्तकालय (वर्ग 2 और वर्ग 3 पद) भर्ती नियम, 1973 को अधिकांश करते हुए, केन्द्रीय जल आयोग में पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय जल आयोग, पुस्तकालय (भराजपक्षित समूह 'ग') पद भर्ती नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना : ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आय सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हताएं : वह व्यक्ति :

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन प्रभुत्व है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति : जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, बहुत बड़े उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्याप्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आय सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

| पद का नाम                 | पदों की संख्या   | वर्गीकरण  | वेतनमान                                      | अनुसूची             |  | सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन प्रभुत्व है या नहीं |
|---------------------------|--|---|--|---------------------|--|--|
|                           |  |   |  | चयन पद अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आय सीमा   |  |
| 1                         | 2  | 3   | 4  | 5                   | 6  | 7  |
| पुस्तकालयाध्यक्ष श्रेणी 2 | 6* (छः) (1986)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा (समूह ग)<br>भराजपक्षित<br>अननुसूचीय | 425-15-500-<br>ब.रो.-15-560-<br>20-700 रुपये | अचयन                | 30 वर्ष से अधिक नहीं<br>(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनु-देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकता है)।<br>टिप्पण : आय सीमा प्रवर्धित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में अध्यापियों से | नहीं   |

| 1 | 2   | 3 | 4   | 5 | 6   | 6क  |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | (उनसे भिन्न जो अंङमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में हैं) ब्रावेवन प्राप्त करने के लिए नियम की गई अंतिम तिथि होगी।<br>ऐसे पदों की बाबत, जिन पर नियुक्ति रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाती है, आयु सीमा प्रबन्धित करने के लिए निर्णायक तारीख प्रत्येक मामले में, वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है। |   |
|   | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं   |   | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु  |   | परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो   | और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं |
|   | 7   |   | 8   |   | 9   |   |
|   | आवश्यक :  |   | नहीं  |   | दो वर्ष   |   |
|   | (1) विज्ञान में स्नातक की डिग्री को अधिमान दिया जायगा और पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री या समतुल्य डिप्लोमा।<br>(2) किसी प्रतिष्ठित पुस्तकालय में 2 वर्ष का अनुभव।<br>बौद्धिक :   |   |   |   |   |   |
|   | (1) दस्तावेजी कार्य का अनुभव<br>(2) अंग्रेजी से भिन्न किसी एक प्राधुनिक युरोपीय भाषा का कार्य-साक्षक ज्ञान।<br>टिप्पण : अनुभव संबंधी अर्हताएं (कर्मचारी बचन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में सब शिक्षित की जा सकती हैं जब बचन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी बचन आयोग/सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हों सकेंगे। |   |   |   |   |   |
|   | भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।   |   |   |   | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जायेगा।   |   |
|   | 10  |   | 11  |   |   |   |
|   | प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा बानों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।   |   | ऐसा पुस्तकालयाध्यक्ष श्रेणी 3 जिसने नियमित आधार पर प्रतिनियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की है।<br>प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण :<br>ऐसे व्यक्ति जो सर्वथा पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तम्भ 7 से विहित अर्हताएं हैं।<br>(प्रतिनियुक्ति की अवधि, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।) |   |   |   |
|   | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना   |   |   |   | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा  |   |
|   | 12  |   | 13  |   |   |   |
|   | समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :   |   |   |   | लागू नहीं होता  |   |
|   | (1) निदेशक (प्रशासन) केन्द्रीय जल आयोग—अध्यक्ष<br>(2) सहयोगित किया जाने वाला केन्द्रीय जल आयोग का निदेशक/अधीक्षक इंजीनियर कनिष्ठ का एक अधिकारी—सदस्य<br>(3) अवर सचिव कोई निदेशक, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण—सदस्य<br>(4) केन्द्रीय जल आयोग का संबंधित अवर सचिव—सदस्य   |   |   |   |   |   |

| 1  | 2  | 3   | 4   | 5                   | 6   | 6क   |
|--|--|---|---|---------------------|---|------|
| 2. पुस्तकालय/अध्यक्ष श्रेणी-3  | 5*<br>(पांच)<br>(1986)                         | साधारण केन्द्रीय सेवा (समूह ग) अराजपत्रित अनुसूचितबीय | 380-12-440-<br>ब०रो०15-560-<br>ब०रो०20-640 ब० | लागू नहीं होता      | 28 वर्ष से अधिक नहीं<br>(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।<br>टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप समूह में हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।<br>ऐसे पदों की बाधत, जिन्हें पर नियुक्ति रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाती है, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए का गया है। | नहीं |
|  | *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। |   |   |                     |   |      |
|  | 7  |   |   | 8<br>लागू नहीं होता | 9<br>दो वर्ष  |      |
| आवश्यक   |  |   |   |                     |   |      |
| (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री विज्ञान में स्नातक की डिग्री या समतुल्य को अधिमान दिया जाएगा। |  |   |   |                     |   |      |
| (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा या समतुल्य।               |  |   |   |                     |   |      |
| बांछनीय : (i) प्रलिखित पुस्तकालय का एक वर्ष का अनुभव।  |  |   |   |                     |   |      |
| (ii) दस्तावेजी कार्य का अनुभव।   |  |   |   |                     |   |      |
|  | 10   |   |   |                     | 11  |      |
|  | सौधी भर्ती द्वारा                              |   |   |                     | लागू नहीं होता  |      |
|  | 12   |   |   |                     | 13  |      |
| (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)  |  |   |   |                     | लागू नहीं होता  |      |
| समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :  |  |   |   |                     |   |      |
| (i) निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय जल आयोग—अध्यक्ष  |  |   |   |                     |   |      |
| (ii) सहयोगित किया जाने वाला केन्द्रीय जल आयोग का निदेशक/अध्यक्षण हजी-नियर को पंक्ति का एक अधिकारी—सबस्य        |  |   |   |                     |   |      |
| (iii) अवर सचिव/कोई निदेशक, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण—सदस्य   |  |   |   |                     |   |      |
| (iv) केन्द्रीय जल आयोग का संबंधित अवर सचिव—सबस्य   |  |   |   |                     |   |      |
| 1  | 2  | 3   | 4   | 5                   | 6   | 6क   |
| 3. अध्याय पुस्तकालय परिचर  | *1<br>(एक)<br>(1986)                           | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित             | 260-6-3326-ब०<br>रो०-8-350 ब०                 | अचयन                | 30 वर्ष से अधिक नहीं<br>(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार  | नहीं |

| 1 | 2              | 3   | 4 | 5              | 6  | 6क             |
|---|----------------|---|---|----------------|--|----------------|
|   |                | अनुसूचिकीय  |   |                | सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)  |                |
|   |                | *कायधार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।  |   |                | टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। |                |
|   | 7              |   |   | 8              |  | 9              |
|   | लागू नहीं होता |   |   | लागू नहीं होता |  | दो वर्ष        |
|   |                | 10  |   |                |  | 11             |
|   |                | शांत-प्रतिभात प्रोन्नति द्वारा  |   |                | ऐसा पुस्तकालय परिवार जिसने उस श्रेणी में कम से कम 5 वर्ष निरंतर सेवा की है।  |                |
|   |                | 12  |   |                |  | 13             |
|   |                | समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी—  |   |                |  | लागू नहीं होता |
|   |                | (i) निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय जल आयोग—अध्यक्ष   |   |                |  |                |
|   |                | (ii) सहयोजित किया जाने वाला केन्द्रीय जल आयोग का निदेशक/प्रशिक्षक इंजी-नियर की पंक्ति का एक अधिकारी—सदस्य |   |                |  |                |
|   |                | (iii) अवर सचिव/कोई निदेशक, केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण—सदस्य   |   |                |  |                |
|   |                | (iv) केन्द्रीय जल आयोग का संबंधित अवर सचिव—सदस्य  |   |                |  |                |

[सं 8/86/एफ. सं. 39/17/80-स्था. I]

बी. के. साधु, अवर सचिव

G.S.R. 459.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Central Water and Power Commission Library (Class II and Class III posts) Recruitment Rules, 1973, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Librarian posts in the Central Water Commission, namely :—

1. Short title and Commencement.—These rules may be called the Central Water Commission, Library (Non-Gazetted Group 'C' Posts Recruitment Rules, 1986. (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the schedule aforesaid.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relation thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule

5. Disqualifications.—No person—

- who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living; or
- who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds of so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, be order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

| Name of the post   | Number of posts   | Classification   | Scale of pay   | Whether Selection post or non-selection post                           | Age limit for direct recruits   | Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972. | Educational and other qualifications required for direct recruits.  |
|--|---|--|--|--|---|---|---|
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5  | 6   | 6a  | 7   |
| 1. Librarian Grade II  | 6(Six)* (1986)<br>*Subject to variation dependent on work-load. | General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial  | Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700.   | Non-Selection  | Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government Servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).<br>Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).<br>In respect of posts, the appointment to which are made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit will, be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names. | No  | Essential :<br>(i) Bachelor's Degree preferably in Science and Degree or equivalent Diploma in Library Science. .<br>(ii) Two years experience in a Library of standing Desirable :<br>(i) Experience of documentation work.<br>(ii) Working knowledge of one modern European Language other than English.<br>Note : The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission/Competent Authority in case of candidate belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes if at any stage of selection Staff Selection Commission/Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. |
| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. | Period of probation, if any                                     | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods. | In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion deputation/transfer to be made. | If a Departmental promotion Committee exists, what is its composition. | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.  |   |   |
| 8  | 9   | 10   | 11   | 12   | 13  |   |   |
| No   | Two years   | By promotion failing which by transfer on  | Librarian Grade III with five years Service in   | Group 'C' Departmental Promotion Committee                             | Not applicable.   |   |   |

| 8 | 9 | 10   | 11   | 12   | 13 |
|---|---|--|--|--|----|
|   |   | deputation falling both by direct recruitment. | the grade rendered after appointment thereto on regular basis. Transfer on deputation : Persons holding analogous posts with qualification prescribed in Column 7 for direct recruits (period of deputation ordinarily not exceeding three years.) | consisting of :<br>(i) Director (Administration) Central Water Commission—Chairman,<br>(ii) An officer of the rank of Director/ Superintending Engineer, Central Water Commission to be co-opted— Member<br><br>(iii) Under Secretary/ Any Director, Central Electricity Authority—Member<br><br>(iv) Under Secretary concerned Central Water Commission—Member. |    |

| 1                      | 2  | 3  | 4                                   | 5               | 6   | 6a  | 7   |
|------------------------|--|--|-------------------------------------|-----------------|---|-----|---|
| 2. Librarian Grade III | 5(Five)* (1986)<br>*Subject to variation dependent on work load. | General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial. | Rs. 380-12-440-EB-15-560-EB-20-640. | Not applicable. | Not exceeding 28 years. (Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instructions issued by the Central Government).<br>Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). | No. | Essential :<br>(i) Bachelor's degree preferably in Science of a recognised University or equivalent.<br>(ii) Diploma or equivalent in Library Science of a recognised University or Institute.<br>Desirable :<br>(i) One years' experience in Library of standing<br>(ii) Experience of documentation work. |
|                        |  |  |                                     |                 | In respect of posts, the appointment to which are made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit will be the last date upto the Employment Exchanges are asked to submit the names.  |     |   |

| 8               | 9         | 10                    | 11             | 12  | 13             |
|-----------------|-----------|-----------------------|----------------|---|----------------|
| Not applicable. | Two years | By direct recruitment | Not applicable | Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of : (For considering confirmation)<br>(i) Director (Administration), Central Water Commission<br>— Chairman<br>(ii) An officer of the rank of Director/ Superintending Engineer, Central Water Commission to be co-opted<br>— Member.<br>(iii) Under Secretary/ Any Director, Central Electricity Authority<br>— Member<br>(iv) Under Secretary concerned, Central Water Commission<br>— Member. | Not applicable |

| 1                           | 2  | 3  | 4                       | 5             | 6  | 6(a) | 7              |
|-----------------------------|--|--|-------------------------|---------------|--|------|----------------|
| 3. Senior Library Attendant | 1(One)* (1986)<br>*Subject to variation on the workload. | General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Ministerial | Rs. 260-6-326-EB-8-350. | Non-Selection | Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).<br>Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than Andaman and Nicobar Islands). | No   | Not applicable |

| 8              | 9         | 10                | 11  | 12  | 13             |
|----------------|-----------|-------------------|---|---|----------------|
| Not applicable | Two Years | By promotion 100% | Library Attendant who have rendered at least 5 years continuous service in the grade. | Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :<br>(i) Director (Administration), Central Water Commission<br>— Chairman.<br>(ii) An officer of the rank of Director/ Superintending Engineer, Central | Not applicable |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12   | 13 |
|---|---|----|----|--|----|
|   |   |    |    | Water Commission<br>to be co-opted<br>—Member.                                       |    |
|   |   |    |    | (iii) Under Secretary/<br>Any Director, Central<br>Electricity Authority<br>—Member. |    |
|   |   |    |    | (iv) Under Secretary<br>concerned, Central<br>Water Commission<br>—Member.           |    |

[No. 8/86/F. No. 39/17/80-Estt. I]  
V.K. SADHU, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 मई, 1986

सा. का. नि. 460.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (समूह "ग" और समूह "घ") भर्ती नियम, 1988 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, समूह "ग" और समूह "घ" भर्ती (संशोधन) नियम, 1988 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (समूह "ग" और समूह "घ") भर्ती नियम, 1988 को अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्:—  
अनुसूची

| क्र.सं. | पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण   | वेतनमान                                 | बचन पद अथवा<br>अन्वयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के<br>लिए आयु-सीमा   | सेवा में जोड़े गए<br>वर्षों का फायदा<br>केन्द्रीय सिविल सेवा<br>(पेंशन) नियम,<br>1972 के नियम<br>30 के अधीन<br>अनुशेष है या नहीं |
|---------|-----------|----------------|--|---|--------------------------|--|--|
| 1       | 2         | 3              | 4  | 5                                       | 6                        | 7  | 7क   |
| 15.     | क्लीनर    | 128*           | साधारण केन्द्रीय<br>समूह "ख" अराज-<br>पत्रित (अनुसू-<br>सचिवालय) | 200-3-206-4-<br>234-ब.रो.-4-<br>250 रु. | लागू नहीं होता           | 18-25 वर्ष<br>(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए<br>गए अनुदेशों या आदेशों के अनु-<br>सार सरकारी सेवाओं के लिए<br>35 वर्ष तक शिथिल की जा<br>सकती है।)<br>टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने<br>के लिए निर्णायक तारीख, भारत<br>में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो<br>वर्तमान और निकोबार द्वीप तथा<br>लक्षद्वीप में हैं) आवेदन प्राप्त<br>करने के लिए नियत की गई<br>अंतिम तारीख होगी। ऐसे पदों<br>की बाबत, जिन पर नियुक्ति<br>रोजगार और प्रशिक्षु महा-<br>निदेशालय या रोजगार कार्या-<br>लय के माध्यम से की जाती है,<br>आयु सीमा अवधारित करने के<br>लिए निर्णायक तारीख प्रत्येक<br>मामले में वह अंतिम तारीख होगी<br>जिस तक रोजगार और प्रशिक्षण<br>महानिदेशालय या रोजगार<br>कार्यालय से नाम भेजने के लिए<br>कहा गया है। | नहीं   |

\*कार्यभार के आ-  
धार पर परिवर्तन  
किया जा सकता है।



सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए परीक्षा की व्यवस्था की व्यवस्था, यदि कोई हो प्रस्तावित प्रायु और शैक्षिक प्रस्ताव प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं

8

9

10

प्रावश्यक

लागू नहीं होता

दो वर्ष

- (i) छाठवीं कक्षा उत्तीर्ण  
(ii) क्लीनर के रूप में दो वर्षों तक कार्य किया हो।

वांछनीय

- (i) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य।  
(ii) भारी वाहनों के लिए विधिमान्य मोटरयानचालन अनु-  
ज्ञप्ति हो।

टिप्पण: अनुभव संबंधी श्रेष्ठता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में कारण लेखवद्ध करके तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे।

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिगता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा।

11

12

100% सीधी भर्ती द्वारा

लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में मंच लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

(प्रोन्नति/पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति लागू नहीं होता समिति को जो निम्नलिखित से मिलकर होगी:—

1. अध्यक्षण इंजीनियर,  
केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड—अध्यक्ष।
2. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,  
केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड—सदस्य।

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3(1) तारीख 18 मई, 1968 के पृष्ठ 1058-1063 पर कृषि संवालय की अधिसूचना सं. सा. का.नि. 390 तारीख 1 मई, 1968 के रूप में प्रकाशित हुए और तत्पश्चात् इसके निम्नलिखित संशोधन हुए।

1. सरकारी अधिसूचना सं. सा. का. नि. 1311 तारीख 7 अक्टूबर, 1972 के रूप में भारत में राजपत्र भाग 2 खंड 3(1) पृष्ठ 3108-14 पर प्रकाशित।
2. सरकारी अधिसूचना सं. सा. का. नि. 1666 तारीख 27 नवम्बर, 1974 के रूप में भारत के राजपत्र भाग 2 खंड 3(1) पृष्ठ 2945 पर प्रकाशित।
3. सरकारी अधिसूचना सं. सा. का. नि. 137 तारीख 29 जनवरी, 1977 के रूप में भारत के राजपत्र भाग 2 खंड 3(1) पृष्ठ 308 पर प्रकाशित।
4. सरकारी अधिसूचना सं. सा. का. नि. 1033 तारीख 4 अक्टूबर, 1980 के रूप में भारत के राजपत्र भाग 2 खंड 3(1) पृष्ठ 2163-2164 पर प्रकाशित।

[सं. 23-4/85-ओ. डब्ल्यू]  
सुषमा माष, उप सचिव

New Delhi, the 14th May, 1986

G.S.R. 460.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Ground Water Board (Group-C and Group-D) recruitment rules, 1968, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Ground Water Board, Group-C and Group-D) recruitment (Amendment) Rules, 1985.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Ground Water Board (Group-C and Group-D) Recruitment Rules, 1968, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

| 1  | 2 | 3   | 4 | 5   | 6               |
|--|---|---|---|---|-----------------|
| 15. Cleaner  |   | *128 (1985) General Central Services Group<br>*Subject to 'D' Non-Gazetted, Non-Min-<br>variation (sterial).<br>dependent<br>on workload. |   | Rs. 200-3-206-4-234-EB-4-250.   | Not applicable. |
| Age limit for direct recruits.   |   | Whether benefits of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rule, 1972.                    |   | Educational and other qualifications required for direct recruits.  |                 |
| 7  |   | 7(a)  |   | 8   |                 |
| 18—25 years. (Relaxable for Government Servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).   |   | No.   |   | Essential :<br>(i) Eight Class Pass.<br>(ii) Should have worked as cleaner for 2 years.<br>Desirable :<br>(i) Matriculation or equivalent.<br>(ii) Possession of a valid motor driving licence for heavy vehicles.<br>Note :—The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority (reasons to be recorded in writing) in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. |                 |
| Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for the receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).  |   |   |   |   |                 |
| Note 2 :—In respect of posts the appointments to which are made through the Directorate General, Employment and Training or Employment Exchanges the crucial date for determining the age limit, in each case will be the last date upto which the Directorate General Employment and Training/Employment Exchanges are asked to submit the names. |   |   |   |   |                 |
| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.   |   | Period of probation, if any.  |   | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion/ or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.   |                 |
| 9  |   | 10  |   | 11  |                 |
| Not applicable   |   | Two years.  |   | 100% by direct recruitment  |                 |
|  |   |   |   | 12  |                 |
|  |   |   |   | Not applicable  |                 |

| If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.   | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. |
|--|--|
| 13   | 14   |
| Departmental Promotion Committee, Group-D, (for considering Confirmation) consisting of :—<br>1. Superintending Engineer, Central Ground Water Board.<br>— Chairman<br>2. Senior Administrative Officer, Central Ground Water Board<br>— Member  | Not applicable.  |
| Note : The Principal rules were published in the Gazette of India Part II Section 3(i) dated the 18th May, 1968 at pages 1058 to 1063 vide Government Notification, Ministry of Agriculture No. G.S.R. 930 dated the 1st May, 1968 and was subsequently amended by :—<br>(1) Government notification No. G.S.R. 1311 dated the 7th October, 1972 published in Gazette of India Part II Section 3(i) at pages 3108 to 3114.<br>(2) Government notification No. 1666 dated the 27th November, 1976 Published in Gazette of India Part II Section 3(i) at page 2945.<br>(3) Government notification No. G.S.R. 137 dated the 29th January, 1977 Published in Gazette of India, Part II, Section 3(i) at page 308.<br>(4) Government notification No. 1033 dated the 4th October, 1980 published in Gazette of India Part II Section 3(i) at pages 2163 to 2164. |  |

[No. 23-4/85-GW]

SUSHMA NATH, Dy. Secy

## संघार मंत्रालय

(ढाक विभाग)

नई दिल्ली, 3 जून, 1986

सा. का. नि. 461:—केंद्रीय सरकार, भारतीय ढाकधर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धारा 8 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय ढाकधर नियमावली 1933 में धीर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- (1) ये नियम, भारतीय ढाकधर (चतुर्थ संशोधन) नियम, 1986 कहे जायेंगे।  
(2) ये 1-7-1986 से लागू होंगे।
- भारतीय ढाकधर नियम, 1933 (जो इसके धाने उक्त नियम संदर्भित किए जायेंगे) के नियम 3 में:—  
(क) "पूव दत्त दर से दुगुने" शब्दों के स्थान पर "पूर्वदत्त दर से दुगुने बराते कि न्यूनतम एक रुपया" स्थापित किया जाए, ;  
(ख) "दुहरी कमी" शब्दों के स्थान पर "दुहरी कमी बराते कि न्यूनतम एक रुपया" स्थापित किया जाए।  
(ग) "केवल मूल धाधा" शब्दों के स्थान पर "मूल केवल धाधा बराते कि न्यूनतम एक रुपया", प्रतिस्थापित किया जाए।
- उक्त नियम के नियम 4 में "10 पसा" शर्कों धीर शब्दों के स्थान पर "पचास पसे" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं।

[सं. 2-2/85-सी आर्क]

डी. श्रीनिवासन, निदेशक (अनुसंधान व विकास)

भारतीय ढाकधर नियमावली 1983 के प्रकाशन के पश्चात् जारी मुख्य अधिसूचनाएं इस प्रकार हैं:—

- जी.एस.आर. नं. 2886 दिनांक 19-12-1975.
- जी.एस.आर. नं. 598 (ई) दिनांक 30-12-1975.
- जी.एस.आर. नं. 741 (ई) दिनांक 31-12-1975.
- जी.एस.आर. नं. 472 दिनांक 24-1-1976
- जी.एस.आर. नं. 93(ई) दिनांक 25-2-1976.
- जी.एस.आर. नं. 811 (ई) दिनांक 31-5-1976.
- जी.एस.आर. नं. 943 (ई) दिनांक 21-6-1976।
- जी.एस.आर. नं. 135 दिनांक 7-1-1978।
- जी.एस.आर. नं. 304 (ई) दिनांक 28-5-1978।
- जी.एस.आर. नं. 316 (ई) 18-5-1979।
- जी.एस.आर. नं. 4118 दिनांक 29-12-1979।
- जी.एस.आर. नं. 1258 दिनांक 13-5-1980।

13. जी.एस.प्रार. नं. 490 (ई) दिनांक 26-6-1980।
14. जी.एस.प्रार. नं. 491 (ई) दिनांक 26-8-1980।
15. जी.एस.प्रार. नं. 380 (ई) दिनांक 5-6-1981।
16. जी.एस.प्रार. नं. 409 (ई) दिनांक 26-9-1981।
17. जी.एस.प्रार. नं. 417 (ई) दिनांक 25-5-1982।
18. जी.एस.प्रार. नं. 59 (ई) दिनांक 11-2-1982।
19. जी.एस.प्रार. नं. 411 (ई) दिनांक 13-5-1982।
20. जी.एस.प्रार. नं. 33 (ई) दिनांक 20-1-1983।
21. जी.एस.प्रार. नं. 49 (ई) दिनांक 2-2-1983।
22. जी.एस.प्रार. नं. 444 (ई) दिनांक 23-5-1983।
23. जी.एस.प्रार. नं. 1652 दिनांक 19-5-1984।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Posts)

New Delhi, the 3rd June, 1986

G.S.R. 461.—In exercise of the powers conferred by section 8 of the Indian Post Office Act, 1898 (6 of 1898), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Post Office Rules, 1933, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Post Office (4th Amendment) Rules, 1986.
- (2) They shall come into force on the 1-7-1986.

2. In rule 3 of the Indian Post Office Rules, 1933 (hereinafter referred to as the said rules) :—

- (a) for the words "Double the pre-paid rate," the words "Double the pre-paid rate subject to a minimum of one rupee," shall be substituted;
- (b) for the words "Double the deficiency," the words "Double the deficiency subject to a minimum of one rupee," shall be substituted;
- (c) for the words "original half only", the words "original half only subject to a minimum of one rupee" shall be substituted.

3. In rule 4 of the said rules for the figures and word "10 paise", the words "fifty paise" shall be substituted.

[No. 2-2/85-CI]

B. SRINIVASAN, Director (R&D)

Not : Principal Notification issued after the publication of the India Post Office Rules, 1933 are as follows: —

- (1) G.S.R. No. 2886 dated 19-12-1975.
- (2) G.S.R. No. 596 (E) Dated 30-12-1975.
- (3) G.S.R. No. 741(E) Dated 31-12-1975.
- (4) G.S.R. No. 477 Dated 24-1-1976.
- (5) G.S.R. No. 93 (E) Dated 25-2-1976
- (6) G.S.R. No. 811 (E) dated 31-5-1976
- (7) G.S.R. No. 943 (E) Dated 21-6-76
- (8) G.S.R. No. 135 Dated 7-1-1978.
- (9) G.S.R. No. 304 (E) Dated 29-5-1978.
- (10) G.S.R. No. 316(E) Dated 18-5-1979.
- (11) G.S.R. No. 4118 Dated 29-12-1979.
- (12) G.S.R. No. 1756 Dated 13-5-1980
- (13) G.S.R. No. 490(E) Dated 26-6-80
- (14) G.S.R. No. 491 (E) Dated 26-8-80
- (15) G.S.R. No. 380(E) Dated 5-6-1981
- (16) G.S.R. No. 409(E) Dated 26-9-1981
- (17) G.S.R. No. 417(E) Dated 22-5-1982
- (18) G.S.R. No. 59 (E) Dated 11-2-1982
- (19) G.S.R. No. 411(E) Dated 13-5-1982
- (20) G.S.R. No. 33(E) Dated 20-1-1983
- (21) G.S.R. No. 49 (E) Dated 2-2-1983
- (22) G.S.R. No. 444 (E) Dated 23-5-1983
- (23) G.S.R. No. 1652 Dated 19-5-1984.